संख्या–29 / XXXVIII–1 / 2022–15(27) / 2020

प्रेषक,

सतेन्द्र बर्मन,
अनु सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

Uttarakhand Pollution Control Board
Diary No. 6536
Date 9/02/22

सेवा में,

सदस्य सचिव,
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
देहरादून।

पर्या0 संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग — **देहरादूनः दिनांकः 27 जनवरी, 2022**

विषयः– मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण में योजित मूल आवेदन संख्या–197 / 2020 में दिनांक 05.08.2020 को पारित आदेश के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–यूकेपीसीबी / एच.ओ. / सा0–183–484 / 2022 / 5938––1170, दिनांक 07.01.2022 द्वारा प्रेषित मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण में योजित मूल आवेदन संख्या–197 / 2020 में दिनांक 05.08.2021 में पारित आदेशों के अनुपालन में वन विभाग, लोक निर्माण विभाग एवं राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अनुपालन आख्याओं के आधार पर तैयार उपलब्ध कराई गई संकलित Consolidated Action Taken Report के ड्राफ्ट की अनुमोदित प्रति मूल रूप में प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अनुमोदित Consolidated Action Taken Report को मा0 हरित प्राधिकरण में समयान्तर्गत प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

संलग्नकः–यथोक्त।

CEO (T)	CEO (S)	EE-Envis/ Water Cess/NAMP
CEO (Admn)	SO	PIO
Nodal-BMW	Nodal-SW/HW	Nodal-HW
Nodal-Legal	Nodal-Account	AO (I/C)

भवदीय,

(सतेन्द्र बर्मन)
अनु सचिव।

ASO R

2021/G.O Letter/garnet /Dell

IN THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,

PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 197 OF 2020

IN THE MATTER OF:

Jagdish Chandra Pandey …………….. Applicant

Versus

State of Uttarakhand & Ors. …..……… Respondent

CONSOLIDATED ACTION TAKEN REPORT ON BEHALF OF STATE OF UTTARAKHAND IN COMPLIANCE OF ORDER DATED 05.08.2021 PASSED BY THIS HON'BLE TRIBUNAL IN THE ABOVE MENTIONED MATTER

INDEX

SN	Particulars	Pages
1.	Consolidated Action Taken Report on behalf of State of Uttarakhand.	1 - 6
2.	ANNEXURE-1: Copy of report submitted by Joint Committee constituted in compliance of Hon'ble Tribunal order dated 05.08.2021.	7 - 11
3.	ANNEXURE-2 (1-3): Copies of orders issued by the Investigating Officer against three Forest Officers dated 23.11.2021.	12 - 64
4.	ANNEXURE-3: Copy of Action taken report submitted by the Uttarakhand Forest Department dated 10.12.2021.	65 - 68

5.	ANNEXURE-4: Copy of order issued by the Public Works Department ref no. 22843008---/2021dated 01.09.2021.	69 - 70
6.	ANNEXURE-5: Copy of order issued by the Public Works Department ref no. 1565/III(1)/2021-4(42) *Ri.Ya.*/2021dated 01.09.2021.	71 - 71
7.	ANNEXURE-6: Copy of action report submitted by Public Works Department dated 26.11.2021.	72 - 76
8.	ANNEXURE-7: Copy of directions issued by Uttarakhand Pollution Control Board dated 30.09.2021.	77 - 78
9.	ANNEXURE-8: Copy of directions issued by Uttarakhand Pollution Control Board dated 10.12.2021.	79 - 81
10.	ANNEXURE-9: Copy of reply dated 21.12.2021 submitted by Executive Engineer, PWD, Construction Division, Ranikhet to UKPCB.	82 - 82

IN THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,

PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 197 OF 2020

IN THE MATTER OF:

Jagdish Chandra Pandey ……….…….. Applicant

Versus

State of Uttarakhand & Ors. ...……… Respondent

CONSOLIDATED ACTION TAKEN REPORT ON BEHALF OF STATE OF UTTARAKHAND IN COMPLIANCE OF ORDER DATED 05.08.2021 PASSED BY THIS HON'BLE TRIBUNAL IN THE ABOVEMENTIONED MATTER

1. That the Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi in the matter of O.A. No. 197 of 2020 Jagdish Chandra Pandey Versus State of Uttarakhand & Ors. issued following directions:

> *6. Accordingly, we direct the Secretary of PWD, Uttarakhand to review the actions taken and take further suitable coercive measures against the law violators, following due process of law. The State PCB and Forest Department also need to review the inadequacy of action on their part in exercise of their respective statutory authority. Coercive measures may include recovery of compensation on 'Polluter Pays' principle and restoration of the concerned forest area. The said departments may file their action taken reports within one month with the Chief Secretary, Uttarakhand. The Chief Secretary may file a*

consolidated action taken report in the matter within three months by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/ OCR Support PDF and not in the form of Image PDF.

2. In compliance of orders of the Hon'ble Tribunal issued on dated 11.09.2020 and 05.08.2021, concerned departments have taken action in accordance of statuary provisions. Details of department wise action taken is as follow:

I. Uttarakhand Forest Department:

In compliance of orders of the Hon'ble NGT dated 11.09.2020, the Forest Department has constituted a two-members Committee comprising of Shri Praveen Kumar Conservator of Forest, North Kumaon, Almora and Shri Harish Chandra Joshi, Assistant Scientific Officer, Uttarakhand Pollution Control Board. After field inspection and perusal of available records, the Committee found that the user agency initiated the road construction work without complying to the conditions under which the in-principle permission was given for the transfer of forest land by the competent authority. Illegal cutting of trees and disposal of muck in Reserved Forests causing damage to the local biodiversity. The committee has also fixed responsibility of the then In-charge Range Officer, Section Officer (Forester) and the then Beat Officer (Forest Guard) for failing to stop the construction of said road before proper sanction was received form competent authority, and also for failing to stop the illegal felling and damage to 232 unmarked trees, along with concerned officers of user agency i.e. Public Works Department (PWD), Construction Division, Ranikhet. Said Factual Report and Action taken Report is already filed before the Hon'ble NGT. Copy of joint report of the Committee is annexed herewith as **Annexure-1.**

Further, Forest Department initiated departmental enquiry against the then In-charge Range Officer, Dwarahat Range; Section Officer (Van Daroga) and Van Rakshak (now- Van

Daroga) for negligence of their duties and issued Charge-sheet on dated 22.12.2020. Considering the Charge-sheet and reply of above said Forest Officials, the Investigating Officer (Divisional Forest Officer, Civil & Soyam Forest Division, Almora) found that said Forest Officials have had failed to ensure effective control over illegal felling of trees and other illegal activities of the User Agency. The Said Officers were also unable to stop illegal road cutting in their respective work areas and also not informed about the incident to higher officials. As departmental punishment, the Enquiry Officer recommended the stoppage of two annual increments with Cumulative effect from the date of issue of order i.e. 23.11.2021, of all three Forest Officials. On the recommendation of the Enquiry Officer, the Conservator of Forest, North Kumaon, Almora issued punishment order vide his letter No. 1948/1-15-7 dated 24.11.2021. Copy of orders issued by Investigating Officer are annexed herewith as **Annexure-2 (1 to 3).**

Assessment of Damage Compensation and Proposed Mitigation measures:

In compliance to the direction dated 05.08.2021 of the Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi, the Divisional Forest Officer, Almora Forest Division, Almora assessed the damage caused to forest area during the said construction of road by the User Agency and the damage caused has been evaluated to the tune of Rs.43,01,650.86 (Rupees Forty three lacs one thousand six hundred fifty and paise eighty six only). Subsequently, in order to honour the directions completely, passed by this Hon'ble Tribunal, the Executive Engineer, Construction Division, Public Works Department, Ranikhet and Chief Engineer, Public Works Department, Dehradun were asked to deposit compensation amount vide letters dated 06.09.2021, 22.11.2021 & 23.11.2021.

The Divisional Forest Officer, Almora has proposed restorative works for the damage caused to environment. The said proposal includes reclamation of degraded forest area by planting 1600 trees against affected 399 trees in the vacant places in the area and the muck disposal sites. The estimated cost of said works is about 23.42 Lacs.

For rejuvenation of two natural water sources that were damaged during the construction of the said road, the construction of 5-Checkdams, 9-Chal-Khal (rain water impounding structures) and 3-water ponds for water conservation have been proposed in affected areas. The estimated cost of said works is about Rs. 20.00 Lacs. The action taken/reply submitted by the Uttarakhand Forest Department is annexed herewith as **Annexure-3.**

Further, Public Works Department, Dehradun vide its letter re. no. 2234/3008वि0प्र0/2021/2021 dated 22.12.2021 expressed their reservation regarding the calculation of compensation imposed by the Forest Department. Copy of letter dated 22.12.2021 of Public Works Department is annexed herewith as **Annexure-4**.

II. Public Works Department (PWD) Uttarakhand:

Public Works Department considered the facts that while construction of Kotila-Gwad-Suraikhet motor road, conditions of in-principle approval of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Regional Office, Dehradun for transfer of forest land have been violated along with illegal cutting of trees and cutting of road in additional to approved alignment. Muck generated form road cutting was also disposed in forest area. During the investigation, in addition to others, indulgence of officers/Engineers of Construction Division, PWD, Ranikhet were also reported.

The Competent Authority of Public Works Department, after due consideration of facts, granted permission under section-197(1)(b) of Indian Penal Code, 1973 for cognizance of offence and trial against three officers before the Designated Court under the law. Copy of order issued by Public Works Department ref no. 1565/III(1)/2021-4(42) *Ri.Ya.*/2021dated 01.09.2021 is annexed herewith as **Annexure-5**.

Copy of action report of submitted by the Public Works department vide letter dated 26.11.2021 is enclosed as **Annexure-6.**

Further, Public Works Department, Dehradun vide its letter re. no. 2234/3008वि0प्र0/2021 dated 22.12.2021 expressed their reservation regarding calculation of compensation imposed by the Forest Department and environmental compensation imposed by the Uttarakhand Pollution Control Board. Copy of letter dated 22.12.2021 of Public Works Department is annexed herewith as **Annexure-4**.

III. Uttarakhand Pollution Control Board:

In compliance of the order dated 05.08.2021 of the Hon'ble Tribunal, the Uttarakhand Pollution Control Board (UKPCB) assessed the environmental compensation based on field inspection and observation, made by the Joint Committee in the matter. It was evident from the report of Joint Committee that the User Agency had illegally disposed the muck generated form the said motor road cutting in reserved forest blocks. Therefore, considering the nature of deliberated violation, the matter was considered for imposition of an environmental compensation as per criteria and procedure decided by the State Board in its 23rd Board Meeting held on dated 29.11.2019, in pursuance of Hon'ble Tribunal order in the matter of O.A. No. 593/2017. UKPCB assessed an environmental compensation of Rs. 18.75 Lakh and issued directions to show cause under section-33(A) of the Water

(Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 and under section-31(A) of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 to the user agency i.e. Officer-In-Charge, Public Works Department, Construction Division, Ranikhet, Distt. Almora stating that why an environmental compensation of Rs. 18.75 Lakh not be imposed against the user agency, vide letter ref. no. UEPPCB/HO/Gen-183-484/2021/81 dated 30.09.2021. Copy of directions issued by UKPCB is annexed herewith as **Annexure-7**.

The Executive Engineer, Public Works Department, Construction Division, Ranikhet, Distt. Almora submitted its reply vide letters dated 14.10.201 and 02.12.201 enclosing with replies of than Executive Engineer, Assistant Engineer and Upper Assistant Engineer in the said matter. It is evident from the replies of than Assistant Engineer and Upper Assistant Engineer, that single road cutting (3-meter width) was done in reserved forest area and muck generated was dumped along the road side which eventually proposed to disposed at designated dump sites. Some part of stored muck along the road side may would have come down due to specific hilly terrains and rains. Replies of the Executive Engineer dated 14.10.2021 and 02.09.2021 were duly considered by the Board and observed that muck generated from the said road cutting has not been disposed at designated/identified places. Therefore, Uttarakhand Pollution Control Board confirmed its directions under section-33(A) of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 and under section-31(A) of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 issued to the user agency i.e. Officer-In-Charge, Public Works Department, Construction Division, Ranikhet, Distt. Almora vide letter dated 10.12.2021 and directed to deposit an environmental compensation of Rs. 18.75 Lakh to UKPCB within 30 days. Copy of directions issued by UKPCB is annexed herewith as **Annexure-8**. Said directions issued by the UKPCB are yet to be complied.

The Executive Engineer, Public Works Department, Construction Division, Ranikhet, District Almora has informed that the matter of deposition of an environmental compensation is referred to higher officials and further action will be taken accordingly. Copy of reply submitted by Executive Engineer is annexed herewith as **Annexure-9**.

3. That the present Consolidated Action Taken Report, in compliance of direction passed by the Hon’ble Tribunal, is being filed on behalf of State of Uttarakhand for kind perusal of the Hon’ble Tribunal.

4. In view of the facts and circumstances as explained hereinabove sincere efforts are taken by the State of Uttarakhand in compliance of the directions passed by this Hon’ble Tribunal, the same may kindly be accepted by the Hon’ble Tribunal and the deponent is sincerely getting the directions complied with and hereby undertakes to comply with every direction passed by the Hon’ble Tribunal.

****

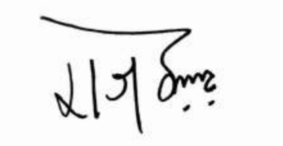

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एन०जी०टी०) में कोटिला–ग्वाड़ से सुरईखेत मोटर मार्ग के सम्बन्ध में योजित मूल आवेदन संख्या 197/2020 जगदीश चन्द्र पाण्डेय बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य के सम्बन्ध में प्रमुख वन संरक्षक (HoFF) उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा गठित जाँच समिति की जाँच आख्या/रिपोर्ट

केस का संक्षिप्त इतिहास

कोटिला–ग्वाड़ से सुरईखेत तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 3.85 है0 वन भूमि लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन करने की सैद्धान्तिक स्वीकृति भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की पत्र संख्या 08/बी/यू0सी0पी0/06/153/2015/एफ0सी0/1472 दिनांक 23.10.2018 द्वारा प्राप्त हुई है। किन्तु राज्य सरकार से इस क्रम में वर्तमान तक विधिवत स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है। मूल आवेदन संख्या 197/2020 में दिनांक 11.09.2020 को मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा निम्न प्रकार से निर्णय पारित किया गया, जिसके प्रभावी अंश निम्न प्रकार है :–

"In view of above, we direct that a joint factual and action taken report be furnished by the Principal Chief Conservator of Forest (HoFF), Uttarakhand and the State Pollution Control Board (SPCB). The PCCF (HoFF), Uttarakhand may nominate a two member team of officers not below the rank of Conservator of Forest. The PCCF (HoFF), Uttarakhand will be the nodal agency for coordination and compliance who may furnish a report within two months by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF".

The applicant may furnish a set of papers to the PCCF (HoFF), Uttarakhand and the SPCB and file an affidavit of service within one week.

उक्त आदेशों के क्रम में प्रमुख वन संरक्षक, (HoFF) उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा अपने पत्रांक 332^{A}/29–3(3) दिनांक 25.09.2020 द्वारा मोटर मार्ग निर्माण में हुई अनियमितताओं की जॉच हेतु 02 सदस्यीय टीम का गठन किया गया, जिसमें श्री निशान्त वर्मा, मुख्य वन संरक्षक, वन पंचायत एवं सामुदायिक वानिकी, उत्तराखण्ड, देहरादून तथा श्री प्रवीन कुमार, वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा को जॉच समिति में सदस्य के रूप में नामित किया गया था। जॉच समिति द्वारा दिनांक 17.10.2020 को स्थलीय निरीक्षण करने के उपरान्त जॉच आख्या दिनांक 28.10.2020 को संगत अभिलेखों के साथ प्रमुख वन संरक्षक, (HoFF) उत्तराखण्ड, देहरादून को प्रेषित कर दी गयी थी। बोर्ड मुख्यालय उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड देहरादून के पत्रांक यू0के0पी0सी0बी/एच0ओ0/सा0– 183–484/3285–662 दिनांक 23.09.2020 द्वारा प्रकरण पर श्री हरीश चन्द्र जोशी, सहायक वैज्ञानिक अधिकारी प्रकरण पर नामित किया गया। जिसके क्रम में सहायक वैज्ञानिक अधिकारी द्वारा दिनांक 04.03.2021 को स्थल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण आख्या उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय हल्द्वानी के पत्रांक UKPCB/ROH/रिट/21/3883 –1763 दिनांक 08.03.2021 द्वारा प्रमुख वन संरक्षक, (HoFF) उत्तराखण्ड, देहरादून को प्रेषित की गयी है।

क्रमशः.....2

प्रमुख वन संरक्षक, (HoFF) उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक 1384/पी0ओ0/29–3(3) दिनांक 21.06.2021 द्वारा पुनः संयुक्त जॉच हेतु 02 सदस्यीय समिति का गठन कर श्री प्रवीण कुमार, वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा एवं श्री हरीश चन्द्र जोशी, सहायक वैज्ञानिक अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय हल्द्वानी को सदस्य नामित किया गया।

2. जॉच समिति द्वारा अभिलेखों का परीक्षण किया गया। किये गये परीक्षण के अनुसार इस प्रकरण में वर्तमान तक हुई कार्यवाही का क्रमवार सारांश निम्न प्रकार से है :–

2.1 कोटिला–ग्वाड़ सुरईखेत मोटर मार्ग के सम्बन्ध में वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव प्रयोक्ता एजेंसी लोक निर्माण विभाग, निर्माण खण्ड रानीखेत द्वारा प्रस्ताव गठित कर ऑनलाईन माध्यम से प्रभाग को दिनांक 15.01.2015 को जमा कराया गया जिस पर वन विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा प्रस्ताव में आवश्यक प्रविष्टियॉ कर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर केन्द्रीय क्षेत्र) 25, सुभाष रोड, देहरादून को भेजा गया।

2.2 उक्त मोटर मार्ग निर्माण हेतु प्रेषित प्रस्ताव के क्रम में भारत सरकार के पत्रांक 8बी/यू0सी0पी0/106/153/2015–एफ0–सी0, 1472, दिनांक 23.10.2016 से अल्मोड़ा जनपद अन्तर्गत कोटिला–ग्वाड़–सुरईखेत मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.85 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को वन (संरक्षण) अभिनियम, 1980 की धारा 2 के तहत प्रत्यावर्तन हेतु निर्धारित शर्तों सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी। किन्तु प्रयोक्ता एजेंसी लोक निर्माण विभाग, निर्माण खण्ड रानीखेत द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन किये बिना मोटर मार्ग का निर्माण प्रारम्भ कर दिया गया, जो वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन है। इस सम्बन्ध में प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग के पत्रांक 60(शि0)/8–2 दिनांक 10.10.2020 एवं वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा द्वारा अपने पत्रांक 1579/12–1(2) दिनांक 15.10.2020 से अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, भूमि हस्तान्तरण को प्रश्नगत मोटर मार्ग निर्माण में हुयी अनियमितताओं के सम्बन्ध में अवगत कराया गया है।

2.3 प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा के पत्रांक 1756/12–1(2) दिनांक 16.10.2019 से कोटिला–ग्वाड़ सुरईखेत मोटर मार्ग में प्रभावित वृक्षों के छपान हेतु आदेश जारी किया गया।

2.4 वन क्षेत्राधिकारी, द्वाराहाट द्वारा अनुभाग अधिकारी चंथरिया को प्रभागीय वनाधिकारी के पत्र दिनांक 16.10.2019 के क्रम में कोटिला–ग्वाड़–सुरईखेत मोटर मार्ग में पातित होने वाले वृक्षों के छपान हेतु आदेश जारी किया गया।

क्रमशः.....3

2.5 वन क्षेत्राधिकारी, द्वाराहाट के पत्रांक 634/9–1 दिनांक 18.03.2020 से प्रभागीय वनाधिकारी अल्मोड़ा को उक्त मोटर मार्ग के छपान सूची का प्रेषण किया गया।

2.6 उप प्रभागीय वनाधिकारी, रानीखेत द्वारा अपने पत्रांक मैमों/12–1, दिनांक 21.07.2020 से तहसीलदार, द्वाराहाट को पत्र जारी कर नाप, पंचायत व सिविल भूमि के सीमाओं के सम्बन्ध में एवं पातित वृक्षों की गणना हेतु पत्र जारी किया गया।

2.7 दिनांक 25.07.2020 से दिनांक 28.07.2020 तक कोटिला–गवाड–सुरईखेत मोटर मार्ग में प्रभाग स्तर से गठित जाँच टीम द्वारा अवैध एवं नियमित रूप से गिरे वृक्षों की गणना की गयी जिसमें विभिन्न प्रजातियों के कुल 399 वृक्ष गिरे पाये गये। इन वृक्षों में लोक निर्माण विभाग द्वारा मार्ग कटिंग के दौरान गिराये गये वृक्षों में छपे तथा बिना छपे वृक्ष सम्मिलित है।

2.8 जिलाधिकारी, अल्मोड़ा द्वारा भी प्रकरण में अपने स्तर से तत्कालीन प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया। प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा द्वारा अपने पत्रांक 1084/8–2 दिनांक 22.08.2020 से विस्तृत आख्या जिलाधिकारी, अल्मोड़ा को प्रेषित की गयी है।

2.9 इस प्रकरण में प्रभाग स्तर से गठित जॉच समिति के अध्यक्ष उप प्रभागीय वनाधिकारी, रानीखेत द्वारा जॉच करते हुए अपनी पत्र संख्या 78/8–1, दिनांक 17.08.2020 से अपनी जॉच रिपोर्ट में प्रस्तुत की गयी, जिसमें प्रथम दृष्टया वन क्षेत्राधिकारी एवं अधीनस्थ स्टाफ की लापरवाही इंगित की गयी थी।

2.10 प्रभाग स्तर से गठित जॉच समिति के अध्यक्ष उप प्रभागीय वनाधिकारी, रानीखेत की प्रारंभिक जॉच रिपोर्ट के आधार पर श्री नवीन कुमार टम्टा, तत्कालीन प्रभारी वन क्षेत्राधिकारी द्वाराहाट के विरूद्ध वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा के पत्रांक 2453/1–15 दिनांक 22.12.2020, श्री चंद्रशेखर त्रिपाठी, वन दरोगा/अनुभाग अधिकारी के विरूद्ध वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा के पत्रांक 2455/1–15 दिनांक 22.12.2020 तथा श्री दिनेश चंद्र भट्ट, वन दरोगा (तत्कालीन वन रक्षक/बीट अधिकारी) के विरूद्ध वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा के पत्रांक 2457/1–15 दिनांक 22.12.2020 से आरोप पत्र जारी किये गये है।

4. **<u>जॉच समिति द्वारा किये गये स्थलीय निरीक्षण के सम्बन्ध में टिप्पणी</u>** :– दिनांक 29.06.2021 को गठित जॉच समिति के सदस्यों द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया गया। जाँच के दौरान यह पाया गया कि सन्दर्भित मोटर मार्ग तहसील द्वाराहाट में कोटिला–ग्वाड़ सुरईखेत तक सड़क का निर्माण कार्य किया जाना प्रस्तावित है। जिसमें कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग, निर्माण खण्ड रानीखेत है। कार्यदायी संस्था द्वारा स्वीकृत वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में मार्ग संरेखण

क्रमशः.....4

के अनुसार आरक्षित वन क्षेत्र चंथरिया कक्ष सं0 15 में कुल लम्बाई 400 मीटर के सापेक्ष मौके पर आरक्षित वन क्षेत्र चंथरिया कक्ष संख्या 15 व 16 में 630 मीटर लम्बाई में मार्ग की कटिंग की गयी है। लोक निर्माण विभाग द्वारा इस मोटर मार्ग में सम्पूर्ण लम्बाई में सिंगल कटिंग पूर्ण कर ली गयी है। कटिंग किये जाने से संरेखण में आ रहे खड़े वृक्षों को गिराया गया है। निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि मोटर मार्ग का निर्माण हेतु कटान का कार्य किया गया है। मोटर मार्ग कटिंग के दौरान अनियोजित तरीके से संरेक्षण में आने वाले पेड़ों को गिराया गया है। प्रश्नगत सड़क मार्ग के किनारे वृक्ष गिरे पाये गये। निरीक्षण के दौरान मौके पर यह भी ज्ञात हुआ कि संरेखण में आ रहे वृक्षों का छपान कर छपान सूची उत्तराखण्ड वन विकास निगम को लौट संख्या 3/38/2020–21 हस्तगत कर दी गयी है। हस्तगत की गयी लौटों में विभिन्न प्रजातियों के 486 वृक्ष छपान किये गये। यह भी पाया गया कि मार्ग निर्माण में आच्छादित नाप/सिविल/पंचायती व आरक्षित वन भूमि में मलवे का निस्तारण (Muck disposal) भी निर्धारित डंपिंग हेतु चिन्हित स्थलों में नहीं किया गया है। मलवा निस्तारण हेतु 03 स्थल चयनित हैं किन्तु वर्तमान में इनका उपयोग नहीं किया गया है। परीक्षण के उपरान्त यह तथ्य प्रकाश में आया कि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा Bill of Quantily में मलवा निस्तारण हेतु रू0 15,16,853.75 लाख स्वीकृत किया गया है। प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा द्वारा मलवे के निस्तारण में हुयी अनियमितताओं तथा इसके निराकरण हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता से पत्राचार कर स्पष्टीकरण मांगा गया है जो कि आतिथि तक अप्राप्त है।

मोटर मार्ग के निर्माण के दौरान जनित मलूवा, पत्थर आदि को निर्धारित डंपिंग जोन के बजाय मोटर मार्ग के किनारे ढलान में अनियंत्रित तरीके से डाला गया है। जिसके कारण जैव विविधता अधिनियम–2002 तथा वन संरक्षण अधिनियम–1980 का उल्लंघन हुआ है।

5. **निष्कर्ष एवं संस्तुति :–** जॉच समिति द्वारा प्रकरण से सम्बन्धित समस्त अभिलेखों का परीक्षण एवं स्थलीय निरीक्षण करने के उपरान्त जॉच समिति का निष्कर्ष एवं संस्तुति निम्न प्रकार है :–

5.1 इस प्रकरण में कार्यदायी संस्था (लो0नि0वि0, नि0ख0 रानीखेत) द्वारा भारत सरकार, वन पर्यावरण एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो का अनुपालन किये बिना मोटर मार्ग निर्माण का कार्य किया गया। उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा आवंटित लौटों में कार्य पूर्ण करने से पूर्व ही लौटों में छपान किये गये वृक्षों तथा बिना छपान किये गये 232 वृक्षों (अवैध रूप से गिराना) का मार्ग निर्माण के दौरान मार्ग कटिंग करते हुए प्रयोक्ता एजेंसी के अधिकारी/कर्मचारी की देखरेख में तथा सम्बन्धित स्वीकृत ठेकेदार के द्वारा गिराये गये। इसके लिए तदसमय तैनात अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड,

क्रमशः.....5

लोक निर्माण विभाग, रानीखेत श्री एम0सी0 जोशी, के साथ सम्बन्धित सहायक एवं कनिष्ठ अभियन्ता जिम्मेदार हैं। जिनको सैद्धान्तिक शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाना था। अतः प्रकरण से सम्बन्धित जारी एच–2 केसों में प्राथमिकता के आधार पर जॉच पूर्ण कर नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की जाती है।

5.2 कार्यदायी संस्था द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो का अनुपालन कराये बिना तथा प्रस्तावित संरेखण से बाहर वन भूमि में कार्य किये जाने एवं अवैध रूप से वृक्षों का पातन होने में प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित नहीं किये जाने से सम्बन्धित तत्कालीन प्रभारी वन क्षेत्राधिकारी, अनुभाग अधिकारी (वन दरोगा) एवं तत्कालीन बीट अधिकारी (वन रक्षक) भी शिथिलता बरतने के लिए जिम्मेदार हैं जिनके विरूद्ध वन विभाग स्तर से आरोप पत्र जारी कर वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा की पत्र संख्या क्रमशः 2454 / 1–15 दिनांक 22.12.2020, 2456 / 1–15 दिनांक 22.12.2020 तथा पत्रांक 2458 / 1–15 दिनांक 22.12.2020 द्वारा श्री रमेश चन्द्र काण्डपाल, प्रभागीय वनाधिकारी, सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, अल्मोड़ा को जॉच अधिकारी नियुक्त किया गया है। आतिथि तक जॉच रिपोर्ट अप्राप्त है। रिपोर्ट प्राप्त होने पर दोषी कर्मचारी के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जाय।

5.3 जॉच समिति द्वारा यह संस्तुति की जाती है कि प्रयोक्ता एजेन्सी मलवे के निस्तारण हेतु चिन्हित स्थलों पर ही मलवे का निस्तारण किया जाय एवं जो मलवा चिन्हित स्थलों के अतिरिक्त स्थलों पर डाला गया है उसको एकत्रित करके चिन्हित स्थलों पर ही डाला जाय, जिसके लिए Bill of Quantity में व्यय का प्राविधान है।

5.4 पूर्व में गठित जॉच समिति की संस्तुति के क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोडा द्वारा अपनी पत्र संख्या 4453 / 9–1(2) दिनांक 17.02.2021 द्वारा अवैध रूप से गिराये गये 232 वृक्षों का छपान कर छपान सूची वन विकास निगम को हस्तगत कर दी गयी है। जिसका निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर किया जाय।

5.5 जॉच समिति द्वारा यह भी संस्तुति की जाती है कि मलवा निस्तारण नियमानुसार सुचारू रूप से नहीं होने के कारण जो पर्यावरणीय क्षति हुई है, उसकी अधिकाधिक पूर्ति हेतु प्रभाग स्तर से कार्ययोजना तैयार की जाय। जिसमें प्रश्नगत मार्ग के दोनों ओर Herbs, Shrubs एवं वृक्ष प्रजाति के पौधों का रोपण किया जाय। यह कार्य प्राथमिकता के आधार पर किया जाय।

अतः इस प्रकरण में गठित जॉच समिति की रिपोर्ट सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

(हरीश चन्द्र जोशी)
सहायक वैज्ञानिक अधिकारी,
क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
हल्द्वानी (नैनीताल)

(प्रवीण कुमार)
वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड,
अल्मोडा

कार्यालय वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

Email : cfkumaon_north@rediffmail.com ☎ & Fax (05962) 231099 Fax230397

वनादेश सं0 - 32 /1-15-7 अल्मोड़ा, दिनांक, 23-11- 2021 ।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एन०जी०टी०) में कोटिला–ग्वाड़ से सुरईखेत मोटर मार्ग के सम्बन्ध में योजित मूल आवेदन संख्या 197/2020 जगदीश चन्द्र पाण्डेय बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य के सम्बन्ध में दोषी श्री नवीन कुमार टम्टा तत्कालीन प्रभारी वन क्षेत्राधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग के विरूद्ध विषयगत प्रकरण में लगाये गये आरोप तथा जाँच अधिकारी की आख्या रिपोर्ट के क्रम में

निर्णय

कोटिला–ग्वाड़ से सुरईखेत तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 3.85 है0 वन भूमि लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन करने की सैद्धान्तिक स्वीकृति भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की पत्र संख्या 08/बी/यू0सी0पी0/06/153/2015/एफ0सी0/1472 दिनांक 23.10.2018 द्वारा प्राप्त हुई थी। राज्य सरकार से इस क्रम में वर्तमान तक विधिवत स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है। प्रस्तावक अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, रानीखेत द्वारा विधिवत स्वीकृति प्राप्त किये बिना कार्य प्रारम्भ कर दिया गया। मोटर मार्ग के निर्माण कार्य में हुई अनियमितता के सम्बन्ध में श्री जगदीश चन्द्र पाण्डेय, ग्राम एवं पो0 ग्वाड़, द्वाराहाट, जिला– अल्मोड़ा द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में मूल आवेदन सं0– 197/2020 योजित की गयी। जिसमें मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा निम्न प्रकार से निर्णय पारित किया गया :–

"In view of above, we direct that a joint factual and action taken report be furnished by the Principal Chief Conservator of Forest (HoFF), Uttarakhand and the State Pollution Control Board (SPCB). The PCCF (HoFF), Uttarakhand may nominate a two member team of officers not below the rank of Conservator of Forest. The PCCF (HoFF), Uttarakhand will be the nodal agency for coordination and compliance who may furnish a report within two months by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF".

The applicant may furnish a set of papers to the PCCF (HoFF), Uttarakhand and the SPCB and file an affidavit of service within one week.

उक्त आदेशों के क्रम में प्रमुख वन संरक्षक, (HoFF) उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा अपने पत्रांक 332A/29–3(3) दिनांक 25.09.2020 द्वारा मोटर मार्ग निर्माण में हुई अनियमितताओं की जाँच हेतु 02 सदस्यीय टीम का गठन किया गया, जिसमें श्री निशान्त वर्मा, मुख्य वन संरक्षक, वन पंचायत एवं सामुदायिक वानिकी, उत्तराखण्ड, देहरादून तथा श्री प्रवीन कुमार, वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा को जाँच समिति में सदस्य के रूप में नामित किया गया था। जॉच समिति द्वारा दिनांक 17.10.2020 को स्थलीय निरीक्षण करने के उपरान्त जॉच आख्या दिनांक 28.10.2020 को संगत अभिलेखों के साथ प्रमुख वन संरक्षक, (HoFF) उत्तराखण्ड, देहरादून को प्रेषित कर दी गयी थी, जिसमें जॉच समिति द्वारा अवैध रूप से गिराये गये वृक्षों का पातन होने पर प्रभावी नियंत्रण न करने एवं संरेखण परिवर्तन करने के लिए लोक निर्माण विभाग के सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारियों के साथ – साथ तत्कालीन प्रभारी वन क्षेत्राधिकारी द्वाराहाट एवं तत्कालीन अनुभाग अधिकारी (वन दरोगा) तथा तत्कालीन बीट अधिकारी (वन रक्षक) को शिथिलता बरतने के लिये जिम्मेदार माना गया। उपरोक्त के अतिरिक्त प्रमुख वन संरक्षक, (HoFF) उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्राकं 1384/पी0ओ0/29–3(3) दिनांक 21.06.2021 द्वारा पुनः संयुक्त जॉच हेतु 02 सदस्यीय समिति का गठन कर श्री प्रवीण कुमार, वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा एवं श्री हरीश चन्द्र जोशी, सहायक वैज्ञानिक अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय हल्द्वानी को सदस्य नामित किया गया था। जाँच समिति द्वारा दिनांक 29.06.2021 को स्थलीय निरीक्षण किया गया। जाँच समिति द्वारा अपने निरीक्षण आख्या में कार्यदायी संस्था द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो का अनुपालन कराये बिना तथा प्रस्तावित संरेखण से बाहर वन भूमि में कार्य किये जाने एवं अवैध रूप से वृक्षों का पातन होने में प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित नहीं किये जाने से सम्बन्धित तत्कालीन

प्रभारी वन क्षेत्राधिकारी, अनुभाग अधिकारी (वन दरोगा) एवं तत्कालीन बीट अधिकारी (वन रक्षक) भी शिथिलता बरतने के लिए जिम्मेदार माना।

जाँच समिति के निर्णय के आलोक में वन विभाग से सम्बन्धित श्री नवीन कुमार टम्टा, तत्कालीन वन क्षेत्राधिकारी द्वाराहाट के विरूद्व द्वाराहाट रेंज के कोटिला–ग्वाड़–सुरईखेत मोटर मार्ग में बड़े पैमाने पर आरक्षित/सिविल/नाप/पंचायत क्षेत्रो में वृक्षों के अवैध रूप से पातन व आरक्षित वन क्षेत्र में बिना स्वीकृति के अवैध सड़क निर्माण तथा आरक्षित वन क्षेत्र में अनियंत्रित मलुवा डालने का प्रकरण संज्ञान में आने पर इस कार्यालय के पत्रांक 2454/1–15 दिनांक 22.12.2020 द्वारा श्री रमेश चन्द्र काण्डपाल, प्रभागीय वनाधिकारी सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, अल्मोड़ा को जाँच अधिकारी नियुक्त कर इस कार्यालय के पत्रांक 2453/1–15 दिनांक 22.12.2020 से जारी आरोप पत्र अपचारी अधिकारी/कर्मचारी को तामिल किये जाने हेतु उन्हें प्रेषित किये गये। अपचारी अधिकारी/कर्मचारी श्री नवीन कुमार टम्टा, तत्कालीन प्रभारी वन क्षेत्राधिकारी द्वाराहाट के विरूद्व जारी आरोप जो निम्न प्रकार हैं :–

आरोप संख्या 1 :– श्री नवीन कुमार टम्टा, वन क्षेत्राधिकारी माह मार्च 2019 से सितम्बर 2020 तक वन क्षेत्राधिकारी द्वाराहाट वन क्षेत्र, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा रूप में कार्यरत रहे थे। आरोपी कार्मिक द्वारा वन क्षेत्राधिकारी द्वाराहाट के रूप में अपने राजकीय दायित्वों का सम्यक रूप से निर्वहन नही किया गया। लौट संख्या 03/38/2020–21 में कुल 18 वृक्ष चन्थरिया आरक्षित वन में पातन हेतु चिन्हित किये गय थे, जबकि चन्थरिया आरक्षित वन में 18 चिन्हित वृक्षों के अतिरिक्त 47 और अवैध वृक्षों का पातन हुआ है। इस प्रकार कुल 65 वृक्षों का अवैध पातन हुआ। इतनी अधिक मात्रा में अवैध पातन होने के उपरान्त भी आरोपी कार्मिक द्वारा वन अपराध में दोषी व्यक्तियों के विरूद्व कार्यवाही नही की गयी। अरोपी कार्मिक को चन्थरिया आरक्षित वन जो भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 20 के तहत् अधिसूचित वन है, में अवैध पातन पर कोई कार्यवाही ना करने, अवैध पातन की सूचना उच्च स्तर को ना देने, अवैध पातन के फलस्वरूप शासकीय राजस्व की हानि रू0 181694.00 (एक लाख इक्यासी हजार छः सौ चौरानब्बे) मात्र के लिए उत्तरदायी मानते हुए आरोपित किया जाता है।

<u>आरोप संख्या 1 के क्रम में अपचारी कर्मचारी का प्रतिउत्तर</u> :–

प्रत्युत्तर :– उक्त अरोप के प्रतिउत्तर मे अवगत कराना है कि पर्यावरण, वन एवं वन एवं जलवायु परिर्वतन मंत्रालय, के क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर केन्द्रीय क्षेत्र) 25 सुभाष रोड देहरादून के पत्रांक 8बी/यू0सी0पी0/06/153/2015–एफ0–सी0 1472 दिनांक 23.10.2018 से अल्मोड़ा जनपद के अन्तर्गत कोटिला–ग्वाड़–सुरईखेत मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.85 हैक्टयर वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को वन संरक्षक अधिनियम 1980 की धारा 2 के तहत् प्रत्यावर्तन की सैद्वान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी थी। जिसके अन्तर्गत निम्न शर्ते उल्लेखनीय है:–

(1) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावत्ति भूमि के बदले 7.70 है0 ग्राम – बिल्लेख, सिविल भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व से बाहर है, इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने की कार्यवाही की जायेगी, के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

(2) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 में दिये गये आदेशा अनुसार शुद्व वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित धनराशि जमा की जायेगी।

(3) शुद्व वर्तमान मूल्य की दर में यदि वृद्वि होती है तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।

(4) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह सुनिश्चित करे की जमा की गयी सभी निधियों को वैब पोर्टल पर ऑन लाईन जनरैट किये गये चालान के माध्यम द्वारा उचित ऑन लाईन बैंक में जमा किया जायेगा।

प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा के पत्रांक 4246/12–1 (2) दिनांक 01. 02.2019 के अनुसार कोटिला–ग्वाड़–सुरईखेत मोटर मार्ग के निर्माण हेतु एन0पी0बी0 हेतु रू0 36,15,150/– मात्र की धनराशि एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु रू0 21,45,720/– मात्र की धनराशि जमा करने के लिए निर्देश जारी किया गया था। इस प्रकार कुल रू0 57,57,870/– मात्र की धनराशि अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत को जमा करनी थी। अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत द्वारा अपने पत्रांक 3446/18सी0 दिनांक 27.09.2019 से अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, इन्द्रा नगर, वन कालौनी, उत्तराखण्ड, देहरादून को अवगत कराया गया कि शर्त संख्या– 1 के अनुसार 3.85 है0 क्षेत्रफल के दुगने क्षेत्रफल में

10 वर्षो तक क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु रू0 21,45,720/- मात्र की धनराशि यू0टी0आर0 नं0 एस0बी0आर0एन0 319264829494 दिनांक 21.09.2019 से जमा कर दी गयी है एवं शर्त संख्या 2 के अनुसार एन0पी0वी0 की धनराशि रू0 32,53,250/- यू0टी0आर0 नं0 एस0बी0आई0एन0 319264829494 दिनांक 21.09.2019 द्वारा जमा की गयी है। जिसकी छाया प्रतिया उनके द्वारा प्रेषित की गयी है। इसके अतिरिक्त जिलाधिकारी अल्मोड़ा के आदेश संख्या 1890/ग्यारह-11/2018-19 दिनांक 25.02.2019 से कोटिला-ग्वाड़-सुरईखेत मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.85 है0 वन भूमि के स्थान पर दुगने क्षेत्रफल 7.70 है0 क्षेत्रफल वाली सिविल भूमि बिल्लेख, तहसील - रानीखेत के गैर जमीन्दारी विनाशी खाता खतौनी संख्या 62 की श्रेणी 9(3) बजंर काबिल आबाद भूमि के पैमायसी खेत संख्या 5998 के 7.430 है0 एवं खेत संख्या 5999 की 0.270 है0 भूमि को वन विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रण में नामान्तिरित करने के आदेश पारित किये गये थे।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, के क्षेत्रीय कार्यालय(उत्तर केन्द्रीय क्षेत्र) 25 सुभाष रोड देहरादून के पत्रांक 8बी/यू0सी0पी0/06/153/2015-एफ0-सी0 1472 दिनांक 23.10.2018 के पृष्ठ संख्या - 2, शर्त संख्या 12 में निम्न प्राविधान रखे गये है:-

12. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागु होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता ऐजेंसी की जिम्मेदारी होगी। इसके अतिरिक्त यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि विधिवत स्वीकृति में दिये गयी शर्तो का संतोषजनक अनुपालन नहीं किया जाता है तो स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि प्रयोक्ता ऐजेंसी अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत द्वारा आरक्षित वन चन्थरिया में चिन्हित 18 वृक्षों के अतिरिक्त 47 वृक्षों का अवैध पातन किया गया है। आरोप पत्र में 18 वृक्षों को चिन्हित दिखाया गया है जबकि 65 वृक्षों को अवैध पातित दिखाया गया है। अवैध पातित वृक्षों के सापेक्ष रेंज केस संख्या - 3/द्वाराहाट रेंज/2020-21 दिनांक 11.07.2020 की जॉच हेतु प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा के पत्रांक 55(शि0)/8-2 दिनांक 08.10.2020 के मामलें की जॉच श्रीमति संचिता वर्मा, वन क्षेत्राधिकारी, अल्मोड़ा को सौपी गयी है। धारा 26(1) भारतीय वन अधिनियम 1927 का अपराध उक्त अधिनियम की धारा 68 के तहत् प्रशमनीय है। मामलें में वन क्षेत्राधिकारी अल्मोड़ा के स्तर से जॉच एवं कार्यवाही अपेक्षित है। प्रभागीय वनाधिकारी, कार्यालय से इस सम्बन्ध में पुनः पत्रांक 2259/8-2 दिनांक 22.10.2020 से वन क्षेत्राधिकारी अल्मोड़ा को जॉच हेतु निर्देशित किया गया है। विस्तृत जॉच रिर्पोट एवं कार्यवाही वन क्षेत्राधिकारी अल्मोड़ा के स्तर से की जानी है। उपरोक्त आरोप पत्र में वन क्षेत्राधिकारी अल्मोड़ा द्वारा प्रेषित किसी भी जॉच रिर्पोट को सम्मिलित नही किया गया है। अवैध पातन के लिए प्रयोक्ता ऐजेंसी के जिम्मेदार अधिकारी, अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत जिनकी सेवाए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 में राज्य को प्रदत्त शक्तियों के तहत् निर्गत उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 (संशोधन) नियमावली 2010 एवं उत्तराखण्ड कर्मचारी आचरण नियमावली 2002 से आछादित होती है, के विरूद्व उत्तराखण्ड शासन की ओर से कोई भी आरोप पत्र निर्गत कर अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ नही की गयी है। इसके अतिरिक्त भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 26(1) के तहत् अपराध पर प्रयोक्ता ऐजेंसी के जिम्मेदार अधिकारी अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत के विरूद्व सक्षम न्यायालय में परिवाद दाखिल करने की कार्यवाही भी आतिथि तक किया जाना संज्ञान में नहीं है। इसके अतिरिक्त यह भी उल्लेखनीय है कि उपरोक्त मोटर मार्ग के निर्माण हेतु उत्तराखण्ड वन विकास निगम अल्मोड़ा को आवंटित लौट संख्या 3/38/2020-21 दिनांक 02.03.2019 हस्तान्तरित करने के उपरान्त भी उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा जे0सी0बी0 से वृक्षों को उखाड़ने की सूचना वन विभाग को नहीं दी गयी थी, जबकि उत्तर प्रदेश वन निगम सहिता के अध्याय - 15 में वन उपज की सुरक्षा में वर्णित व्यवस्था 15-4(2) के तहत् स्थानीय वन अधिकारी को सूचित करना एवं प्रतिरोधक कार्यवाही में सहायता का दायित्व उत्तराखण्ड वन विकास निगम का था। उनके द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी को इस सम्बन्ध में कोई भी सूचना नहीं दी गयी है। जिलाधिकारी, अल्मोड़ा द्वारा अपने पत्रांक आदेश 4769/छब्बीस-05/2019-20 दिनांक 25.07.2020 द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा की अध्यक्षता में गठित जॉच समिति में अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत, उप जिलाधिकारी द्वाराहाट, प्रभागीय लौगिक प्रबन्धक अधिकारी, अल्मोड़ा को सम्मिलित किया गया था। जॉच समिति की रिर्पोट प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा के पत्रांक 1084/8-2 दिनांक 22.08.2020 द्वारा जिलाधिकारी अल्मोड़ा को प्रेषित की गयी है। जॉच समिति द्वारा अपनी जॉच रिर्पोट में स्पष्ट किया गया है

कि कार्यदायी संस्था अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत द्वारा ही बिना छपान के 47 वृक्ष गिराये गये है। इस प्रकार उक्त अपराध के लिए प्रयोक्ता ऐजेंसी अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत एवं उत्तराखण्ड वन विकास निगम, अल्मोड़ा पूर्ण रूप से जिम्मेदार है। मामले में अपचारी कर्मचारी की कोई भूमिका नहीं है। विभाग को होने वाली क्षति की प्रतिपूर्ति भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 68 के तहत् प्रयोक्ता ऐजेंसी अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत से किया जाना न्याय हित मे आवश्यक है। मामलें में दर्ज रेंज केस संख्या–3/द्वाराहाट/2020–21 दिनांक 11.07.2020 की जॉच वर्तमान में गतिमान है। विभाग के पास अभियुक्त अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत के विरूद्व कार्यवाही हेतु पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है। वन क्षेत्राधिकारी अल्मोड़ा की जॉच आख्या जब तक लम्बित है तब तक उक्त आरोप अपचारी कर्मचारी पर साबित नही होते है।

आरोप संख्या 1 के सम्बन्ध में जाँच अधिकारी की आख्या/विवेचना :–

कोटिला–ग्वाड़–सुरईखेत मोटर मार्ग निर्माण में आरक्षित वन चन्थरिया में 18 चिन्हित वृक्षों के अतिरिक्त 47 अन्य वृक्षों का अवैध पातन होने के उपरान्त वन अपराध में दोषी व्यक्ति के विरूद्व कोई कार्यवाही ना करने तथा अवैध पातन की कोई सूचना उच्च स्तर को ना देने एवं उक्त क्षेत्र में हुए अवैध पातन के फलस्वरूप 1,81,694/– की क्षति के लिए उत्तरदायी होने के सम्बन्ध में अपचारी कर्मचारी द्वारा दिया गया उत्तर मान्य नहीं है। घटना स्थल से लगभग 1.50 किमी0 दूरी पर अनुभाग मुख्यालय में रहते हुए अवैध कार्यो की जानकारी ना होना तर्क संगत प्रतीत नही होता है। साक्ष्यो के बयानो व उपलब्ध अभिलेखों से पुष्टि होती है कि घटना रोड निर्माण में बरती जा रही अनियमितताए माह फरवरी से मई 2020 के बीच घटित हुई। घटना की शिकायत होने पर प्रभागीय वनाधिकारी एवं जॉच टीम द्वारा जॉच करने के उपरान्त अपचारी कर्मचारी द्वारा घटना के जुर्म केश वन बीट अधिकारी से इजराय करवाये गये। उक्त प्रकरण में अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत के विरूद्व जुर्म केस इजराय किये गये है तथा जिनकी जॉच चल रही है। **अतः अवैध पातन के फलस्वरूप हुई क्षति के लिए अपचारी कर्मचारी पर वर्तमान में उत्तदायित्व का निधारण नही किया जा सकता है, परन्तु वन अपराध में दोषी व्यक्ति के विरूद्व समयान्तर्गत कोई कार्यवाही ना करना तथा अवैध पातन एवं अन्रू अनियमितताओ की सूचना उच्च स्तर को ना देने के आरोप की पुष्टि होती है।**

आरोप संख्या 2 :– कोटिला–ग्वाड़–सुरईखेत मोटर मार्ग जिसके निर्माण में प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा वन पंचायत ग्वाड़, सिविल भूमि ग्वाड़, नाप भूमि ग्वाड़, सिविल भूमि कोटिला, नाप भूमि कोटिला, नाप भूमि बयेला, सिविल भूमि बयेला, सिविल भूमि फल्वाड़ी, नाप भूमि फल्वाड़ी में वृक्षों के अवैध पातन करने की सूचना उच्चाधिकारियों को ना देने एवं उक्त के विरूद्व कोई भी अपराध निर्धारित समयावधि में दर्ज ना करने के आरोप में आरोपित किया जाता है।

आरोप संख्या 2 के क्रम में अपचारी कर्मचारी का प्रतिउत्तर :–

प्रत्युत्तर :– उक्त के प्रतिउत्तर में अवगत कराना है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन पंचायत ग्वाड़, सिविल भूमि ग्वाड़, नाप भूमि ग्वाड़, सिविल भूमि कोटिला, नाप भूमि कोटिला, नाप भूमि बयेला, सिविल भूमि बयेला,सिविल भूमि फल्वाड़ी, नाप भूमि फल्वाड़ी में वृक्षो के अवैध पातन की सूचना उच्चाधिकारीयों को ना देने एवं उसके विरूद्व कार्यवाही ना करने के आरोप में प्रार्थी को आरोपित किया गया है। यहा यह भी उल्लेखनीय है कि प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा के कार्यालय आदेश संख्या – 249/8–2 दिनांक 17.08.2020 द्वारा श्री बी0एस0 किरौला, उप प्रभागीय वनाधिकारी, रानीखेत की अध्यक्षता में एक नौ सदस्य जॉच समिति का गठन किया गया था। जॉच समिति द्वारा उप प्रभागीय वनाधिकारी, रानीखेत के पत्रांक 78/8–1 दिनांक 17.08.2020 द्वारा अपनी जॉच रिर्पोट प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा को सौपी गयी है। जॉच समिति के रिर्पोट के अतिरिक्त कथन कमांक 8 पर उल्लेख किया गया है कि उत्तराखण्ड पंचायती वन नियमावली 2005 के नियम 19 के तहत् प्रबन्धक समिति का यह दायित्व है कि वह अवैध पातन को नियत्रिंत करे। समिति द्वारा स्पष्ट किया गया है कि सम्बन्धित वन पंचायत समितियों द्वारा उत्तरांचल वन पंचायत नियमावली के नियम 19 में विहित व्यवस्था के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी/ वन क्षेत्राधिकारी को कोई सूचना नहीं दी गयी है। इसी रिर्पोट कमांक 7 में जॉच समिति द्वारा उल्लेख किया गया है कि संयुक्त प्रांत (ब्रिटिश शासन) के अधीन निर्गत अधिसूचना संख्या – 869 दिनांक 17.10.1893 द्वारा कुमाऊॅ क्षेत्र के पर्वतीय क्षेत्र की बेनाप एवं बंजर भूमि (आरक्षित एवं नाप भूमि को छोड़कर) आरक्षित वन घोषित किया गया है। वर्ष 1894 में उक्त संरक्षित वनों को खुले सिविल एवं बंद सिविल वनो में वर्गीकृत किया गया है। इसका सम्पूर्ण प्रबन्धन एवं दायित्व राजस्व विभाग का होना समिति की रिर्पोट में उल्लेखित है। इसके अतिरिक्त समिति द्वारा अपनी रिर्पोट के अतिरिक्त कथन के

कमांक 9 पर उल्लेख किया गया है कि उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 के अतिरिक्त नाप भूमि में सकमणीय भूमिधरो की भूमि के वृक्षों का अवैध पातन होने पर भारतीय दंड सहिता की धारा 379/411 का अपराध भी दर्ज होता है। इस सम्बन्ध में श्री महेश चन्द्र पाण्डे पुत्र राम दत्त पाण्डे, ग्राम ग्वाड़, पोस्ट द्वाराहाट, जिला अल्मोड़ा द्वारा दिनांक 23.05.2020 को राजस्व उपनिरीक्षक को प्राथमिक रिर्पोट दर्ज कराने हेतु अनुरोध पत्र प्रेषित किया गया था। जिस पर राजस्व विभाग द्वारा कोई भी कार्यवाही नही की गयी। इस प्रकार आरोप पत्र में वर्णित लिखित साक्ष्य संख्या –6 उप प्रभागीय वनाधिकारी, रानीखेत का पत्रांक – 78/8–1 दिनांक 17.08.2020 आरोप पत्र का समर्थन नहीं करता है। इस आधार पर अपचारी कर्मचारी/प्रार्थी के विरूद्व आरोप स्थापित नही होते है। जिलाधिकारी, अल्मोड़ा द्वारा अपने पत्रांक आदेश 4769/छब्बीस–05/2019–20 दिनांक 25.07.2020 द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा की अध्यक्षता में गठित जॉच समिति में अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत, उप जिलाधिकारी द्वाराहाट, प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक अल्मोड़ा को सम्मिलित किया था। जॉच समिति की रिर्पोट प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा के पत्रांक 1084/8–2 दिनांक 22.08.2020 द्वारा जिलाधिकारी, अल्मोड़ा को प्रेषित की गयी है। जॉच समिति द्वारा अपनी जॉच रिर्पोट में स्पष्ट किया गया है कि कार्यदायी संस्था अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत द्वारा ही बिना छपान के वृक्ष गिराये गये है। इस प्रकार उक्त अपराध के लिए प्रयोक्ता ऐजेंसी अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत एवं उत्तराखण्ड वन विकास निगम, अल्मोड़ा पूर्ण रूप से जिम्मेदार है। मामले में आपचारी कर्मचारी की कोई भूमिका नहीं है। राजस्व विभाग/वन पंचायत को होने वाली क्षति की प्रतिपूर्ति भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 68 के तहत् प्रयोक्ता ऐजेंसी अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत से किया जाना न्याय हित में आवश्यक है। मामले में दर्ज रेंज केस संख्या –4/द्वाराहाट/2020–21 दिनांक 12.08.2020, 5/द्वाराहाट/2020–21 दिनांक 12.08.2020, 6/द्वाराहाट/2020–21 दिनांक 12.08.2020, 7/द्वाराहाट/2020–21 दिनांक 12.08.2020, 8/द्वाराहाट/2020–21 दिनांक 12.08.2020, 9/द्वाराहाट/2020–21 दिनांक 12.08.2020, 10/द्वाराहाट/ 2020–21 दिनांक12.08.2020, 11/द्वाराहाट/2020–21 दिनांक 12.08.2020 एवं 12/द्वाराहाट/2020–21 दिनांक 12.08.2020 की जॉच वर्तमान में गतिमान है। विभाग के पास अभियुक्त अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत के विरूद्व कार्यवाही हेतु पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है। वन क्षेत्राधिकारी अल्मोड़ा की जॉच आख्या जब तक लम्बित है तब तक उक्त आरोप अपचारी कर्मचारी पर साबित नही होते है। जिलाधिकरी, अल्मोड़ा द्वारा गठित जॉच समिति की रिर्पोट के जॉच निष्कर्ष के प्रस्तर – 7, 8 एवं 9 के कथन निम्न प्रकार जॉच रिर्पोट में उल्लेखित है :–

7. उत्तराचंल पंचायती वन नियमावली 2005 के नियम 19 के तहत् वन पंचायत प्रबन्धन समिति का दायत्व भी अवैध पातन को नियंत्रित करने का है। सरपंच/वन पंचायत प्रबन्धन समिति द्वारा उक्त वन पंचायत भूमि में वृक्षों के अवैध रूप से गिराने पर कोई भी कार्यवाही नही की गयी और ना ही कोई सूचना वन विभाग को दी गयी।

8. उक्त निर्माण कार्य में सिविल, पंचायती एवं नाप भूमि में अवैध पातन पर कार्यवाही राजस्व विभाग के स्तर पर भी अपेक्षित है।

9. श्री महेश चन्द्र पाण्डे, पुत्र श्री राम दत्त पाण्डे, ग्राम ग्वाड़, पोस्ट द्वाराहाट, जिला अल्मोड़ा द्वारा दिनांक 23.05.2020 को राजस्व उपनिरीक्षक, ध्याड़ी को एक रिर्पोट नाप भूमि में वृक्षों के अवैध पातन करने पर प्राथमिकी दर्ज करने हेतु प्रेषित की गयी जिसमें राजस्व विभाग के स्तर से कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

इस प्रकार जिलाधिकारी, अल्मोड़ा के स्तर से गठित समिति की प्रशासनिक जॉच एवं प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा के स्तर से गठित समिति की उच्च स्तरीय जॉच से स्पष्ट है कि नाप भूमि, सिविल भूमि पर हुए अवैध पातन पर कार्यवाही का दायित्व राजस्व विभाग का था। राजस्व विभाग द्वारा मामलें में किसी भी राजस्व अधिकारी के विरूद्व उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 (संशोधन) 2010 के तहत् आरोप पत्र जारी नही किया गया है। इसके अतिरिक्त उत्तरांचल पंचायती वन नियमावली 2005 के नियम 19 में विहित कर्तव्यों के अनुपालन में विफल होने पर भी जिलाधिकारी, अल्मोड़ा के स्तर से किसी भी वन पंचायत प्रबन्धन समिति को निलम्बिंत या विघटित/विखण्डित नही किया गया है। इस प्रकार उपरोक्त तथ्यों के आधार पर आरोप अपचारी कर्मचारी के विरूद्व स्थापित नहीं होता है।

<u>आरोप संख्या 2 के सम्बन्ध में जॉच अधिकारी की आख्या/विवेचना</u> :–

कोटिला–ग्वाड़–सुरईखेत मोटर मार्ग जिसके निर्माण में प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा वन पंचायत ग्वाड़, सिविल भूमि ग्वाड़, नाप भूमि ग्वाड़, सिविल भूमि कोटिला, नाप भूमि कोटिला, नाप भूमि बयेला,

सिविल भूमि बयेला, सिविल भूमि फल्द्वाड़ी, नाप भूमि फल्द्वाड़ी में वृक्षों के अवैध पातन करने की सूचना उच्चाधिकारियों को ना देने एवं उक्त के विरूद्व कोई भी अपराध निर्धारित समयावधि में दर्ज ना करने के आरोप के संबंध में अपचारी कर्मचारी का उत्तर तर्क संगत नही है। **घटना के विरूद्व राजस्व अधिकारियों एवं उच्चाधिकारियों को घटना घटित होने के लगभग 6 माह पश्चात् तक सूचित ना करने एवं सम्बन्धित के विरूद्व कोई भी अपराध निर्धारित समयावधि में दर्ज ना करने के आरोप की पुष्टि होती है।**

आरोप संख्या 3 :– कोटिला–ग्वाड़–सुरईखेत मोटर मार्ग में चन्थरिया आरक्षित वन में 400 मी0 × 7 मी0 सड़क का निर्माण स्वीकृत परियोजना के सापेक्ष होना था, लेकिन मामलें में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा गठित जॉच समिति की रिर्पोट के जॉच परिणाम में 630 मी0 × 4 मी0 सड़क का कटान होना प्रकाश में आया है। आरोपी कार्मिक को बिना स्वीकृति के 230 मी0 अतिरिक्त सड़क निर्माण जो आरक्षित वन क्षेत्र में किया गया है को ना रोक पाने, सड़क निर्माण में वन संरक्षण अधिनियम का उल्लघंन करने का अपराध दर्ज ना करने, अपराध रोकने के लिए कोई प्रयास ना करने, अपराध होने की सूचना उच्चाधिकारियों को ससमय ना देने के आरोप में आरोपित किया जाता है।

<u>आरोप संख्या 3 के क्रम में अपचारी कर्मचारी का प्रतिउत्तर :–</u>

प्रत्युत्तर :– उक्त आरोप के प्रतिउत्तर में अवगत करान है कि जिलाधिकारी, अल्मोड़ा द्वारा अपने पत्रांक आदेश 4769/छब्बीस–05/2019–20 दिनांक 25.07.2020 द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा की अध्यक्षता में गठित जॉच समिति में अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत, उप जिलाधिकारी द्वाराहाट, प्रभागीय लौगिक प्रबन्धक अधिकारी, अल्मोड़ा को सम्मिलित किया गया था। जॉच समिति की रिर्पोट प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा के पत्रांक 1084/8–2 दिनांक 22.08.2020 द्वारा जिलाधिकारी अल्मोड़ा को प्रेषित की गयी है। जॉच समिति द्वारा अपनी जॉच रिर्पोट निष्कर्ष संख्या – 3 में निम्न प्रकार कथन प्रस्तुत किया गया है :–

3. लोक निर्माण विभाग द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 की धारा 02 के तहत् कोटिला–ग्वाड़–सुरईखेत मोटर मार्ग के निर्माण हेतु आरक्षित वन चन्थरिया के कक्ष संख्या 15 व 16 में स्वीकृत 400 मी0 × 7 मी0 सड़क के स्थान पर वर्तमान तक 630 मी0 × 4 मी0 सड़क काटी गयी है। उक्त मोटर मार्ग के निर्माण में कुल 5.500 किमी0 वन भूमि का कार्यदायी संस्था को हस्तान्तरित हुई है, जिसमें निर्माण कार्य प्रगति पर है। आरक्षित वन भूमि में स्वीकृत 400 मी0 से अधिक लम्बाई में रोड काटे जाने से वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लघंन हुआ है, जिसके लिए कार्यदायी संस्था पूर्णरूप से उत्तरदायी है, किंतु लोक निर्माण विभाग उक्त से सहमत नहीं है।

इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता ऐजेंसी के विरूद्व रेंज केस संख्या 3/द्वाराहाट/2020–21 दिनांक 11.07.2020 को दर्ज किया गया है। मामले की विवेचना वन क्षेत्राधिकारी अल्मोड़ा के स्तर से गतिमान है। प्रयोक्त ऐजेंसी द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा 2/3 का स्पष्ट उल्लघंन किया गया है। जिलाधिकारी, अल्मोड़ा द्वारा गठित प्रशासनिक जॉच समिति की रिर्पोट में प्रयोक्ता ऐजेंसी द्वारा अपराध किया जाना स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रहा है। इसके अतिरिक्त प्रयोक्ता ऐजेंसी द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, के क्षेत्रीय कार्यालय(उत्तर केन्द्रीय क्षेत्र) 25 सुभाष रोड देहरादून के पत्रांक 8बी/यू0सी0पी0/06/153/2015–एफ0–सी0 1472 दिनांक 23.10.2018 में विहित शर्तो का उल्लघंन किया है। शर्तो के उल्लघंन करने पर उक्त सैद्वान्तिक एवं विधिवत स्वीकृतिया निरस्त करने योग्य है एवं दोषी अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत के विरूद्व सक्षम न्यायालय में परिवाद दाखिल किया जा सकता है। प्रयोक्ता ऐजेंसी से जिम्मेदार अधिकारी अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत जिनकी सेवाए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 में राज्य को प्रदत्त शक्तियों के तहत् निर्गत उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 (संशोधन) नियमावली 2010 एवं उत्तराखण्ड कर्मचारी आचरण नियमावली 2002 से आछादित होती है, के विरूद्व उत्तराखण्ड शासन की ओर से कोई भी आरोप पत्र निर्गत कर अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ नही की गयी है। अपचारी कर्मचारी को आरोप स्वीकार नहीं है, उपरोक्त परिस्थितियों के आधार पर आरोप पत्र का खण्डन किया जाता है।

<u>आरोप संख्या 3 के सम्बन्ध में जाँच अधिकारी की आख्या/विवेचना :–</u>

कोटिला–ग्वाड़–सुरईखेत मोटर मार्ग में चन्थरिया आरक्षित वन में 400 मी0 × 7 मी0 सड़क का निर्माण स्वीकृत परियोजना के सापेक्ष होना था, लेकिन मामलें में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा गठित जॉच समिति की रिर्पोट के जॉच परिणाम में 630 मी0 × 4 मी0 सड़क का कटान होना प्रकाश में आया है। अपचारी कर्मचारी को बिना स्वीकृति के 230 मी0 अतिरिक्त सड़क निर्माण जो आरक्षित वन क्षेत्र में किया गया है को ना रोक पाने, सड़क निर्माण में वन संरक्षण अधिनियम का उल्लघंन करने का अपराध दर्ज ना

करने, अपराध रोकने के लिए कोई प्रयास ना करने, अपराध होने की सूचना उच्चाधिकारियों को ससमय ना देने के सम्बन्ध में अपचारी कर्मचारी का उत्तर मान्य नही है। अतः उक्त आरोप की पुष्टि होती है।

आरोप संख्या 4 :– लौट संख्या 03/38/2020–21 में छपान किये गये वृक्षों का पातन वन विकास निगम के स्थान पर प्रयोक्ता ऐजेसी के द्वारा किया जाना जॉच समिति की रिर्पोट में प्रकाश में आया है। प्रयोक्ता ऐजेसी का यह कार्य मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा रिट याचिका संख्या 202/1995 टी0एन0 गोडाबर्मन बनाम् भारत संघ व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 12.12.1996 के विपरीत है। इस कार्य से वन विकास निगम को वृक्षों के पातन/विपणन से प्राप्त होने वाली रायल्टी/आय प्राप्त नहीं हुई है। आरोपी कार्मिक को इस प्रकार के अपराध की सूचना उच्च स्तर को ससमय ना देने एवं अपने स्तर से मामलें में कोई कार्यवाही ना करने के आरोप में आरोपित किया जाता है।

<u>आरोप संख्या 4 के क्रम में अपचारी कर्मचारी का प्रतिउत्तर</u> :–

प्रत्युत्तर :– उक्त के प्रतिउत्तर में अवगत कराना है कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, के क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर केन्द्रीय क्षेत्र) 25 सुभाष रोड देहरादून के पत्रांक 8बी/यू0सी0पी0/06/153/2015–एफ0–सी0 1472 दिनांक 23.10.2018 पृष्ठ संख्या – 2, शर्त संख्या 12 में निम्न प्राविधान रखे गये है :–

12. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता ऐजेंसी की जिम्मेदारी होगी।

इस प्रकार स्पष्ट है कि मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा रिट याचिका संख्या – 202/1995 टी0एन0 गोडाबर्मन बनाम् यूनियन ऑफ इण्डिया में पारित निर्णय दिनांक 12.12.1996 के उल्लघंन की कार्यवाही प्रयोक्ता अभिकरण अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत के द्वारा की गयी है। प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा के कार्यालय आदेश संख्या – 249/8–2 दिनांक 17.08.2020 द्वारा श्री बी0एस0 किरौला, उप प्रभागीय वनाधिकारी, रानीखेत की अध्यक्षता में एक नौ सदस्यीय जॉच समिति का गठन किया गया था। जॉच समिति द्वारा उप प्रभागीय वनाधिकारी, रानीखेत का पत्रांक 78/8–1 दिनांक 17.08.2020 द्वारा अपनी जॉच रिर्पोट प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा को सौपी गयी। जॉच समिति की रिर्पोट के जॉच परिणाम के बिन्दु संख्या – 6 पर स्पष्ट किया गया है कि लौट संख्या – 3/38/2020–21 में वृक्षों का कटान कार्य उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा ही किया जाना था। प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा द्वारा अपने पत्रांक 1258/1–15 दिनांक 22.10.2020 के माध्यम से अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत को स्पष्ट रूप से अवगत कराया गया है कि उनके स्तर से ही वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानो का उल्लघंन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा द्वारा अपने पत्रांक 260/8–2 दिनांक 13.07.2020 में अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत को पत्र जारी कर स्पष्ट किया गया है कि उनके द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 202/1995 टी0एन0 गोडाबर्मन बनाम् यूनियन ऑफ इण्डिया में पारित निर्णय दिनांक 12.12.1996 के उल्लघंन की कार्यवाही की गयी है। इसके अतिरिक्त यह भी स्पष्ट करना है कि प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोडा वन प्रभाग, अल्मोड़ा एवं जिलाधिकारी, अल्मोड़ा द्वारा गठित जॉच समितियों में भी यह स्पष्ट दृष्टिगोचर हुआ है कि मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.12.1996 का उल्लघंन प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा किया गया है। इसके अतिरिक्त यह भी उल्लेखनीय है कि उपरोक्त मोटर मार्ग के निर्माण हेतु उत्तराखण्ड वन विकास निगम, अल्मोड़ा को आवंटित लौट संख्या – 3/38/2020–21 दिनांक 02.06.2020 को हस्तान्तरित करने के उपरान्त ही उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा जे0सी0बी0 से वृक्षों को उखाड़ने की सूचना वन विभाग को नही दी गयी थी, जबकि उत्तर प्रदेश वन विकास निगम सहिता के अध्याय – 15 में वन उपज की सुरक्षा में वर्णित व्यवस्था 15–4(2) के तहत् स्थानीय वनाधिकारी को सूचित करना एवं प्रतिरोधक कार्यवाही में सहायता का दायित्व उत्तराखण्ड वन विकास निगम का था। उनके द्वारा प्रभागीय वाधिकारी को इस सम्बन्ध में कोई भी सूचना नहीं दी गयी। जिलाधिकारी, अल्मोड़ा द्वारा अपने पत्रांक आदेश 4769/छब्बीस–05/2019–20 दिनांक 25.07.2020 द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा की अध्यक्षता में गठित जॉच समिति में अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत, उप जिलाधिकारी द्वाराहाट, प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक अल्मोड़ा को सम्मिलित किया था। जॉच समिति की रिर्पोट प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा के पत्रांक 1084/8–2 दिनांक 22.08.2020 द्वारा जिलाधिकारी, अल्मोड़ा को प्रेषित की गयी है। जॉच समिति के द्वारा अपनी जॉच रिर्पोट भी स्पष्ट किया गया है कि कार्यदायी संस्था अधिशासी

अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत द्वारा ही बिना छपान के वृक्ष गिराये गये थे। इस प्रकार उक्त अपराध के लिए प्रयोक्ता ऐजेंसी अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत एवं उत्तराखण्ड वन विकास निगम अल्मोड़ा पूर्ण रूप से जिम्मेदार है। उपरोक्त बिन्दुओं के सापेक्ष वन अपराध दर्ज किये गये है, जिनकी विवेचना श्रीमती संचिता वर्मा, वन क्षेत्राधिकारी अल्मोड़ा द्वारा की जा रही है। मामले में अपचारी कर्मचारी की ओर से कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। आरोप संख्या – 4 अपचारी कर्मचारी के विरूद्व स्थापित नहीं होता है।

आरोप संख्या 4 के सम्बन्ध में जाँच अधिकारी की आख्या/विवेचना :–

लौट संख्या 03/38/2020–21 में छपान किये गये वृक्षों का पातन वन विकास निगम के स्थान पर प्रयोक्ता ऐजेसी के द्वारा किया जाना जॉच समिति की रिर्पोट में प्रकाश में आया है। प्रयोक्ता ऐजेसी का यह कार्य मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा रिट याचिका संख्या 202/1995 टी0एन0 गोडाबर्मन बनाम् भारत संघ व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 12.12.1996 के विपरीत है। इस कार्य से वन विकास निगम को वृक्षों के पातन/विपणन से प्राप्त होने वाली रायल्टी/आय प्राप्त नहीं हुई है। अपचारी कर्मचारी को इस प्रकार के अपराध की सूचना उच्च स्तर को ससमय ना देने एवं अपने स्तर से मामलें में कोई कार्यवाही ना करने के आरोप की पुष्टि होती है।

आरोप संख्या 5 :– कोटिला–ग्वाड़–सुरईखेत मोटर मार्ग परियोजना के तहत् प्रयोक्ता ऐजेंसी को परियोजना में निर्धारित स्थल पर ही सड़क के मलुवे का निस्तारण करना था, लेकिन प्रयोक्ता ऐजेंसी द्वारा चन्थरिया आरक्षित वन कक्ष संख्या 15 व 16 में ही मलुवे का निस्तारण किया गया है। यह कार्य भारत सरकार द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा 2 के तहत् वन भूमि के गैरवानिकी कार्यो के प्रयोग हेतु वन भूमि के हस्तांनतरण की शर्तो एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिर्वतन मंत्रालय, के क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर केन्द्रीय क्षेत्र) 25 सुभाष रोड देहरादून के पत्रांक 8बी/यू0सी0पी0/06/153/2015–एफ0–सी0 1472 दिनांक 23.10.2018 की शर्तो के विपरीत है। आरोपी कार्मिक को आरक्षित वन चन्थरिया कक्ष सं0 15 व 16 में प्रयोक्ता ऐजेंसी द्वारा मलुवा डालने पर कोई कार्यवाही ना करने, मलुवा डालने की सूचना उच्च स्तर को ना देने एवं अपने राजकीय दायित्वों का निष्पादन पूर्ण कर्तव्य निष्ठा से ना करने के आरोप में आरोपित किया जाता है।

आरोप संख्या 5 के क्रम में अपचारी कर्मचारी का प्रतिउत्तर :–

प्रत्युत्तर :–उक्त आरोप के प्रतिउत्तर में अवगत कराना है कि वर्ष 2020 में वैश्विक माहमारी कोविड–19 के कारण प्रधानमंत्री भारत सरकार द्वारा मार्च 2020 से पूरे देश में लॉकडाउन घोषित किया गया था। लॉकडाउन की अवधि में किसी को भी घर से बाहर बेवजह निकलने पर उसके विरूद्व पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज किया जा रहा था। मामलें की प्रशासनिक जॉच जिलाधिकारी, अल्मोड़ा द्वारा करायी गयी थी, किन्तु लॉकडाउन की अवधि में प्रयोक्ता ऐजेंसी एवं सम्बन्धित ठेकेदारों द्वारा किस प्रकार बिना प्रशासन के अनुमति के कार्य प्रारम्भ किया गया, इस पर कोई भी जॉच नहीं हो सकी है। इसके अतिरिक्त लॉकडाउन की अवधि में निर्माण कार्य करने वाले ठेकेदारो एवं प्रयोक्ता अभिकरण के अधिकारियों के विरूद्व आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 के अन्तर्गत कोई भी कार्यवाही नहीं की गयी है। इस मामलें में यह भी स्पष्ट किया जाना है कि जब मामला वन विभाग मे संज्ञान में आया तो निर्माण कार्य रूकवा दिया गया था। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिर्वतन मंत्रालय, के क्षेत्रीय कार्यालय(उत्तर केन्द्रीय क्षेत्र) 25 सुभाष रोड देहरादून के पत्रांक 8बी/यू0सी0पी0/06/153/2015–एफ0–सी0 1472 दिनांक 23.10.2018 से जारी सैद्वान्तिक स्वीकृति जो कोटिला–ग्वाड़–सुरईखेत मोटर मार्ग के निर्माण हेतु जारी थी, कि शर्तो का स्पष्ट उल्लघंन किया गया है। इस हेतु प्रभागीय वनाधिकारी अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा द्वारा गठित जॉच समिति एवं जिलाधिकारी, अल्मोड़ा द्वारा गठित प्रशासनिक जॉच समिति की रिर्पोटो में भी यह स्पष्ट किया गया है कि मलुवा निर्धारत डपिंग जोन मे नहीं निस्तारित किया गया। प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा के पत्रांक 2258/1–15 दिनांक 22.10.2020 से प्रयोक्ता अभिकरण को पत्र जारी कर स्पष्ट किया गया है कि उक्त मलुवा निस्तारण डपिंग जोन में नहीं हुआ है। अत्यन्त खेद का विषय है कि दोषी अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत के विरूद्व उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 (संशोधन) नियमावली 2010 एवं उत्तराखण्ड कर्मचारी आचरण नियमावली 2002 के तहत् किसी भी कार्यवाही का प्रस्ताव शासन को संदर्भित नहीं हुआ है। मामलें में वन अपराध दर्ज है। जिसकी विवेचना वन क्षेत्राधिकारी अल्मोड़ा के स्तर से की जा रही है। अभी तक विवेचना परिणाम को आरोप पत्र में संलग्न नहीं किया गया है। भारत सरकार द्वारा निर्गत वन भूमि प्रत्यावर्तन की शर्तो के उल्लघंन में उक्त मोटर मार्ग के निर्माण हेतु जारी सैद्वान्तिक एंव विधिवत स्वीकृतियों को भी निरस्त करने की कार्यवाही नही हुई है। मामला संज्ञान में आने

के उपरान्त वन क्षेत्र स्तर से विधिवत कार्यवाही की गयी है एवं राजकीय कर्मचारी के रूप में अपने दायित्वों को कर्तव्य परायणता से निर्वहन किया गया है। इस कारण उक्त आरोप अपचारी कर्मचारी के विरूद्व स्थापित नहीं होते है।

आरोप संख्या 5 के सम्बन्ध में जाँच अधिकारी की आख्या / विवेचना :–

कोटिला–ग्वाड़–सुरईखेत मोटर मार्ग परियोजना के तहत् प्रयोक्ता ऐजेंसी को परियोजना में निर्धारित स्थल पर ही सड़क के मलुवे का निस्तारण करना था, लेकिन प्रयोक्ता ऐजेंसी द्वारा चन्थरिया आरक्षित वन कक्ष संख्या 15 व 16 में ही मलुवे का निस्तारण किया गया है। यह कार्य भारत सरकार द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा 2 के तहत् वन भूमि के गैरवानिकी कार्यो के प्रयोग हेतु वन भूमि के हस्तांनतरण की शर्तो एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिर्वतन मंत्रालय, के क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर केन्द्रीय क्षेत्र) 25 सुभाष रोड देहरादून के पत्रांक 8बी / यू0सी0पी0 / 06 / 153 / 2015–एफ0–सी0 1472 दिनांक 23.10.2018 की शर्तो के विपरीत है। अपचारी कर्मचारी को आरक्षित वन चन्थरिया कक्ष सं0 15 व 16 में प्रयोक्ता ऐजेंसी द्वारा मलुवा डालने पर कोई कार्यवाही ना करने, मलुवा डालने की सूचना उच्च स्तर को ना देने एवं अपने राजकीय दायित्वों का निष्पादन पूर्ण कर्तव्य निष्ठा से ना करने के आरोप के सम्बन्ध में अपचारी कर्मचारी का उत्तर तर्क संगत नही है। अतः उक्त आरोप की पुष्टि होती है।

आरोप संख्या 6 :– कोटिला–ग्वाड़–सुरईखेत मोटर मार्ग के निर्माण का कार्य माह फरवरी 2020 से प्रारम्भ होना जॉच समिति की रिर्पोट में उल्लेखित है। माह फरवरी से जून 2020 तक आरोपी कार्मिक के द्वारा आरक्षित वन क्षेत्र, द्वाराहाट(चन्थरिया)रेंज में प्रभावी रूप से गश्त नही की गयी एवं ना ही उपरोक्त प्रकरण में वन अपराध को रोकने हेतु कोई भी सूचना उच्च स्तर को प्रेषित की गयी। आरोपी कार्मिक का यह कृत्य भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 66 जिसमे वन अधिकारी को वन अपराध को रोकने का दायित्व दिया गया है का घोर उल्लघंन है। आरोपी कार्मिक को द्वारा रेंज में प्रभावी गश्त ना करने, राजकीय कार्यो में शिथिलता बरतने, स्टॉफ की दैन्दिनी की प्रभावी समीक्षा ना करने, सर्तकता एवं आसूचना तन्त्र विकसित न कर पाने के आरोप मे आरोपित किया जाता है।

आरोप संख्या 6 के क्रम में अपचारी कर्मचारी का प्रतिउत्तर :–

प्रत्युत्तर :– उक्त आरोप के प्रतिउत्तर में अवगत कराना है कि लौट संख्या 3 / 38 / 2020–21 का आवंटन प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा के पत्रांक 4202 / 9–1(2) दिनांक 20.05.2020 से उत्तराखण्ड वन विकास निगम अल्मोड़ा को हुआ था। वन विकास निगम अल्मोड़ा द्वारा दिनांक 02.06.2020 को उक्त लौट का कार्यभार ग्रहण कर लिया गया था। लौट का कार्यभार ग्रहण करते समय समस्त छापे गये वृक्ष उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा कब्जे में प्राप्त किये गये थे। उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा कोई ऐसी सूचना दिनांक 02.06.2020 के उपरान्त प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा को नहीं दी गयी है। इस प्रकार यह कहना की कार्य माह फरवरी से प्रारम्भ हो गया था सही नहीं है। यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि विभाग द्वारा दिनांक 02.06.2020 को लौट संख्या 3 / 38 / 2020–21 को हस्तान्तरण करने से पूर्व किसी वृक्ष का क्षतिग्रस्त होना या जे0सी0बी0 से गिराया जाना किसी भी अभिलेख में दर्ज नहीं है। प्रभागीय वनाधिकारी , अल्मोड़ा के पत्रांक 249 / 8–2 दिनांक 13.07.2020 से गठित जॉच समिति एवं जिलाधिकारी, अल्मोड़ा के पत्रांक 4769 / छब्बीस–05 / 2019–20 दिनांक 25.07.2020 से गठित उच्च स्तरीय प्रशासनिक जॉच समिति में भी कही पर इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है कि वृक्षों का पातन कार्य माह फरवरी 2020 से प्रारम्भ हुआ था। जिलाधिकारी, अल्मोड़ा द्वारा गठित जॉच समिति के जॉच निष्कर्ष के बिन्दु 1 व 2 निम्न प्रकार है :–

1. वन विकास निगम, अल्मोड़ा को लौट संख्या 3 / 38 / 2020–21 दिनांक 02.06.2020 को हस्तान्तिरत करने के उपनरान्त भी वन विकास निगम अल्मोड़ा द्वारा जे0सी0बी0 मशीन से वृक्षों के उखाड़े जाने की सूचना नहीं दी गयी और ना ही कोई प्राथमिकी दर्ज करायी है। जबकि वन विकास निगम सहिता के अनुसार क्षति की सूचना एवं प्राथमिकी का दायित्व उत्तराखण्ड वन विकास का था।
2. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत द्वारा लौट में वृक्षों को उखाड़ने का कार्य जे0सी0बी0 मशीन से किया गया है जो कि अवैधानिक है जबकि वृक्षों का पातन वन विकास निगम द्वारा किया जाना था।

इस प्रकार स्पष्ट है कि वृक्षों को उखाड़ने / पातन का कार्य लौट हस्तान्तरण के उपरान्त किया गया है। माह फरवरी से लौट हस्तान्तरण तक वृक्षों के पातन किये जाने का कोई भी साक्षय आरोप पत्र के साथ संलग्न नही है। अतः आरोप पत्र में वर्णित साक्षय आरोपो की पुष्टि नही करते है।

आरोप संख्या 6 के सम्बन्ध में जाँच अधिकारी की आख्या/विवेचना :–

कोटिला–ग्वाड़–सुरईखेत मोटर मार्ग के निर्माण का कार्य माह फरवरी 2020 से प्रारम्भ होना जॉच समिति की रिर्पोट में उल्लेखित है। माह फरवरी से जून 2020 तक अपचारी कर्मचारी के द्वारा आरक्षित वन चन्थरिया अनुभाग में प्रभावी रूप से गश्त नही की गयी एवं ना ही उपरोक्त प्रकरण में वन अपराध को रोकने हेतु कोई भी सूचना उच्च स्तर को प्रेषित की गयी। अपचारी कर्मचारी का यह कृत्य भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 66 जिसमे वन अधिकारी को वन अपराध को रोकने का दायित्व दिया गया है का घोर उल्लघंन है। अपचारी कर्मचारी को रेंज के अन्तर्गत अधिनस्थ कर्मचारियों पर नियंत्रण ना रखने, प्रभावी गश्त ना करने, राजकीय कार्यो में शिथिलता बरतने के आरोप की पुष्टि होती है।

आरोप संख्या 7 :– चन्थरिया कक्ष संख्या 15 व 16 की दूरी रेंज कार्यालय/ मुख्यालय से लगभग 1.5 किमी एवं विभागीय पौधालय बालेश्वर से लगभग 100 मी0 है। आरोपी कार्मिक द्वारा अपने रेंज मुख्यालय से इतने निकटवर्ती क्षेत्र का 4 माह तक निरीक्षण नहीं किया गया है। आरोपी कार्मिक का यह कृत्य उत्तरांचल राज्य कर्मचारियों की आचरण नियमावली 2002 के नियम 3 (1) के विपरीत है। आरोपी कार्मिक को उत्तरांचल राज्य कर्मचारियो की आचरण नियमावली 2002 के नियम 3 (1) के विपरीत आचरण करने के लिए आरोपित किया जाता है।

आरोप संख्या 7 के क्रम में अपचारी कर्मचारी का प्रतिउत्तर :–

प्रत्युत्तर :– उक्त आरोप के प्रतिउत्तर में अवगत कराना है कि वर्ष 2020 में वैश्विक महामारी कोविड – 19 के कारण मा0 प्रधानमंत्री भारत सरकार के आह्वान पर समस्त देश भर में माह मार्च से लॉकडाउन हो गया था। लॉकडाउन की अवधि में नागरिकों को समूह में रहने व कार्यस्थल पर कार्य करने की समुचित सुविधाए नही थी। इस अवधि में सामान्य रूप से नागरिक अपने घरों में ही रह रहे थे एवं विभिन्न अधिकारियों एंव जनप्रतिनिधियों के माध्यम से भी घर पर रहने की सलाह दी जा रही थी। प्रार्थी द्वारा वन क्षेत्राधिकारी द्वाराहाट के निर्देशन में लौट संख्या 3/38/2020–21 का छपान कार्य किया गया तथा दिनांक 02.06.2020 को लौट उत्तराखण्ड वन विकास निगम को हस्तान्तिरत की गयी। लौट हस्तान्तरण से पूर्व लौट में सम्मिलित वृक्षों में किसी प्रकार की भिन्नता एवं क्षति की सूचना उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा विभाग को नहीं दी गयी थी। उत्तर प्रदेश वन निगम सहिंता के अध्याय – 15 मे वन उपज की सुरक्षा व्यवस्था वर्णित है। सहिंता के नियम 15(4)(2) के तहत् वन उपज की चोरी होने पर स्थानीय वनाधिकारियों को सूचित करना एवं प्रतिरोधात्मक कार्यवाही का दायित्व उत्तराखण्ड वन विकास निगम का है। जो सूचना उनके द्वारा निर्धारित समय में वन क्षेत्राधिकारी या प्रभागीय वनाधिकारी को नही दी गयी। लौंगिग क्षेत्रों में समस्त आवंटित वृक्षों की गणना करना व उसकी पुष्टि करना, प्रकाष्ठ की सुरक्षा की जिम्मेदारी का दायत्व भी वन निगम सहिंता अनुच्छेद – 15(5) के तहत् उत्तराखण्ड वन विकास निगम का है। उत्तराखण्ड वन विकास निगम सहिंता के अनुच्छेद 15(8) के तहत् लौट में क्षति होने पर कार्यवाही हेतु प्राथमिकी दर्ज कराना भी उत्तराखण्ड वन विकास निगम का दायित्व है। इसके अतिरिक्त उत्तराखण्ड वन विकास निगम सहिंता के अनुसार प्रभागीय वन विकास प्रबन्धक, अल्मोड़ा द्वारा ना तो कोई निरीक्षण किया गया ना ही कोई प्राथमिकी दर्ज कराने हेतु प्रयास किया गया। उत्तराखण्ड वन विकास निगम के अनुभाग अधिकारी द्वारा सर्वप्रथम दिनांक 22.07.2020 को पत्र लिखकर वन क्षेत्राधिकारी द्वाराहाट को सूचित किया गया है कि लोक निर्माण विभाग द्वारा मशीन लगाकर वृक्षों को गिराना प्रारम्भ कर दिया गया है। इससे स्पष्ट है कि लौंट में जो भी क्षति हुई है वह लौट हस्तान्तरण के उपरान्त घटित हुई है। विभाग के संज्ञान में जब यह प्रकरण आया है तो नियमानुसार अपराध दर्ज करके कार्य को रूकवाया गया। वन क्षेत्राधिकारी द्वाराहाट द्वारा भी राजस्व उपनिरीक्षक ध्याड़ी एवं राजस्व उपनिरीक्षक फल्द्वाड़ी को पत्र लिखकर प्राथमिकी दर्ज करने का अनुरोध किया गया। किन्तु मामले में किसी भी प्रकार की प्राथमिकी राजस्व विभाग द्वारा दर्ज नहीं की गयी। इस सम्बन्ध में उप प्रभागीय वनाधिकारी, रानीखेत द्वारा अपने पत्रांक 78/8–1 दिनांक 17.08.2020 द्वारा प्रेषित रिर्पोट में विस्तार पूर्वक अतिरिक्त कथन में स्पष्ट किया गया है। जिलाधिकारी, अल्मोड़ा द्वारा गठित प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा की अध्यक्षता वाली जॉच समिति द्वारा भी उप प्रभागीय वनाधिकारी, रानीखेत के पत्रांक 78/8–1 दिनांक 17.08.2020 में उल्लेखित बिन्दुओं को ही अपनी जॉच रिर्पोट में सही होना स्वीकार किया गया है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि उत्तराखण्ड शासन द्वारा राजस्व विभाग, प्रयोक्ता अभिकरण अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत एवं उत्तराखण्ड वन विकास निगम के अधिकारियों/ कर्मचारियों के विरूद्व उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 (संशोधन) नियमावली 2010 के तहत् कोई भी कार्यवाही नहीं की गयी। मामलें में अभी तक दर्ज अपराधो की विवेचना पूर्ण नही हुई और ना ही प्रयोक्ता अभिकरण के विरूद्व कोई परिवाद सक्षम न्यायालय में दायर किया गया है। एक लोक सेवक के रूप में प्रार्थी/

अपचारी कर्मचारी द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन किया गया है। आरोप पत्र में उत्तरांचल कर्मचारी आचरण नियमावली – 2002 के नियम 3(1) के विरूद्व कोई विशिष्ट कथन नहीं किया गया है और ना ही काई ऐसी अभिलेख प्रस्तुत किया गया है, जिसमें किसी विशिष्ट आदेश/ शासनादेश का अपचारी कर्मचारी द्वारा उल्लघंन किया गया हो। आरोप पत्र में उल्लेखित साक्षय आरोपो का समर्थन नहीं करते है। इस कारण आरोप प्रार्थी के विरूद्व स्थापित नहीं होते है।

<u>आरोप संख्या 7 के सम्बन्ध में जाँच अधिकारी की आख्या/विवेचना</u> :–

चन्थरिया कक्ष संख्या 15 व 16 की दूरी रेंज मुख्यालय से लगभग 1.5 किमी दूरी पर स्थित है। अपचारी कर्मचारी द्वारा रेंज मुख्यालय से इतने निकटवर्ती क्षेत्र का 4 माह तक निरीक्षण नहीं किया गया है। अपचारी कर्मचारी का यह कृत्य उत्तरांचल राज्य कर्मचारियों की आचरण नियमावली 2002 के नियम 3 (1) के विपरीत है। अपचारी कर्मचारी को उत्तरांचल राज्य कर्मचारियो की आचरण नियमावली 2002 के नियम 3 (1) के विपरीत आचरण करने के आरोप की पुष्टि होती है।

आरोप संख्या 8 :– अपचारी कर्मचारी, वन क्षेत्राधिकारी के रूप में एक जिम्मेदार वन अधिकारी होते हुए भी अधीनस्थ स्टॉफ पर कोई नियंत्रण न रखने, वन अपराध घटित होने पर उचित कार्यवाही हेतु दिशा निर्देशित न करने, गम्भीर प्रकरण होने के उपरांत भी प्रभागीय वनाधिकारी/उप प्रभागीय वनाधिकारी के संज्ञान में विषयगत प्रकरण की जानकारी ना लाने के आरोप में आरोपित किया जाता है।

<u>आरोप संख्या 8 के क्रम में अपचारी कर्मचारी का प्रतिउत्तर</u> :–

प्रत्युत्तर :–उक्त आरोप के प्रतिउत्तर में अवगत कराना है कि प्रार्थी/अपचारी कर्मचारी, वन क्षेत्राधिकारी के पद पर कार्यरत रहा। द्वाराहाट वन क्षेत्र, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा का सबसे अधिक बीटों वाला वन क्षेत्र था। बीस बीटों के सापेक्ष कोई भी वन आरक्षी फिल्ड में तैनात नहीं था। इस कारण कार्यालय लिपिक का कार्य कर रहे श्री दिनेश चन्द्र भट्ट को बीट का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। वन क्षेत्र के अन्तर्गत वन जीवों का आतंक बना रहा एवं लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन किये गये। कार्ययोजना से सम्बंधित महत्वपूर्ण सूचनाएं भी स्वयं रेन्ज फिपिक के साथ बैठकर तैयार की गयी। फिल्ड कार्मिकों की अत्याधिक कमी के कारण प्रत्येक प्रकरण पर अधोहस्ताक्षरी/प्रार्थी को स्वयं कार्य पर जाना पड़ता था। ऐसी स्थिति में जहां भौगोलिक क्षेत्रफल के सापेक्ष अत्याधिक न्यून संख्या में कार्मिक तैनात है, वहां उननपर नियन्त्रण न रखने का आरोप स्वीकार करन योग्य नहीं हैं प्रकरण संज्ञान में आने के बाद प्रार्थी की ओर से अधिशासी अभियन्ता को नोटिस जारी किया गया है और कार्य को बंद करने के लिए निर्देशित किया गया है। प्रभाग स्तर से गठित एवं प्रशासन स्तर से गठित जांच समितियों को भी पूर्ण सहयोग प्रदान किया गया हैं अतः स्वीकार नहीं है।

<u>आरोप संख्या 8 के सम्बन्ध में जाँच अधिकारी की आख्या/विवेचना</u> :–

अपचारी कर्मचारी, वन क्षेत्राधिकारी के रूप में एक जिम्मेदार वन अधिकारी होते हुए भी अधीनस्थ स्टॉफ पर कोई नियंत्रण न रखने, वन अपराध घटित होने पर उचित कार्यवाही हेतु दिशा निर्देशित न करने, गम्भीर प्रकरण होने के उपरांत भी प्रभागीय वनाधिकारी/उप प्रभागीय वनाधिकारी के संज्ञान में विषयगत प्रकरण की जानकारी ना लाने के आरोप के सम्बन्ध में दिया गया तर्क मान्य नही है। अतः उक्त आरोप की पुष्टि होती है।

आरोप संख्या 9 :–कोटिला–गवाड़–सुरईखेत मोटरमार्ग के निर्माण की पूर्ण जानकारी होने के उपरान्त भी आपके स्तर से दोषी व्यक्तियों/अभियुक्तों के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी। मामले में इतने अधिक मात्रा में वृक्षों का पातन होने के उपरान्त भी कार्य को रोकने, अपराध में प्रयुक्त जे0सी0बी0 औजारों आदि को जब्त करने की कार्यवाही भी नहीं की गयी। आपका यह कृत्य राजकीय दायित्वो के प्रति घोर लापरवाही का परिचायक है। आपको वन क्षेत्राधिकारी के रूप में भारतीय वन अधिनियम, 1927 के तहत प्राप्त शक्तियों का उपयोग न करने, अधीनस्थ स्टॉफ को उचित नेतृत्व व मार्गदर्शन न देने के आरोप में आरोपित किया जाता है।

<u>आरोप संख्या 9 के क्रम में अपचारी कर्मचारी का प्रतिउत्तर</u> :–

प्रत्युत्तर :–उक्त आरोप के प्रतिउत्तर में अवगत कराना है कि प्रार्थी/अपचारी कर्मचारी द्वारा प्रकरण संज्ञान में आने के उपरान्त विधिवत कार्यवाही की गयी है, प्रार्थी के स्तर से ही अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत को नोटिस जारी किया गया था, प्रार्थी के स्तर से ही लोक निर्माण विभाग का कार्य रोकने का नोटिस जारी किया गया। मामले में वन अपराध दर्ज करवाना, प्रभागीय वनाधिकारी एवं जिलाधिकारी अल्मोड़ा द्वारा गठित जॉच समितियों को पूर्ण सहयोग प्रदान किया गया। आरोप के समर्थन में कोई भी विशिष्ट साक्ष्य उपलब्ध न हाने के कारण आरोप स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

आरोप संख्या 9 के सम्बन्ध में जाँच अधिकारी की आख्या/विवेचना :-

कोटिला-गवाड़-सुरईखेत मोटरमार्ग के निर्माण की पूर्ण जानकारी होने के उपरान्त भी आपके स्तर से दोषी व्यक्तियों/अभियुक्तों के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी। मामले में इतने अधिक मात्रा में वृक्षों का पातन होने के उपरान्त भी कार्य को रोकने, अपराध में प्रयुक्त जे0सी0बी0 औजारों आदि को जब्त करने की कार्यवाही भी नहीं की गयी। आपका यह कृत्य राजकीय दायित्वो के प्रति घोर लापरवाही का परिचायक है। आपको वन क्षेत्राधिकारी के रूप में भारतीय वन अधिनियम, 1927 के तहत प्राप्त शक्तियों का उपयोग न करने, अधीनस्थ स्टॉफ को उचित नेतृत्व व मार्गदर्शन न देने के आरोप में दिया गया उत्तर मान्य नही है। अतः उक्त आरोप की पुष्टि होती है।

आरोप संख्या 10 :-वन विकस निगम को आंवटित लौट संख्या 3/38/2020-21 का प्रभावी निरीक्षण न करने, छपान में अत्याधिक संख्या में वृक्ष सम्मिलित होने के उपरान्त भी स्वयं छपान कार्य में उपस्थित न होने, वन विकास निगम के स्थानीय कार्मिकों एवं अधिकारियों से उचित सामजस्य स्थापित कर छपान लौट की समीक्षा न करने के आरोप में आरोपित किया जाता है।

लिखित साक्ष्य :- उपरोक्त आरोप पत्र के समर्थन में निम्न अभिलेख, लिखित साक्ष्य के रूप में संलग्न है। प्रकरण से सम्बंधित मूल अभिलेख प्रागीय वनाधिकारी, कार्यालय अल्मोड़ा में उपलब्ध है।

1. श्री महेन्द्र मैनाली पुत्र धर्मानंद मैनाली एडवोकेट, मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल का शिकायती पत्र दिनांक 23.05.2020
2. प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा का कार्यालय आदेश 249/8-2 दिनांक 13.07.2020
3. पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मत्रांलय के क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर केन्द्रीय क्षेत्र) 25 सुभाष रोड, देहरादून के पत्रांक 8बी/यू0सी0पी0/06/153/2015-एफ0सी0 1472 दिनांक 23.10.2018
4. प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा का पत्रांक 4209/9-1(2) दिनांक 20.05.2020
5. वन अपराध संख्या 03/04/05/06/07/08/09/10/11/12 द्वाराहाट रेंज/2020-21
6. उप प्रभागीय वनाधिकारी, रानीखेत के पत्रांक 78/8-1 दिनांक 17.08.2020
7. प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा के पत्रांक 262/8-2 दिनांक 13.07.2020
8. आरोपी द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा को प्रेषित स्पष्टीकरण।
9. प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा के पत्रांक 1918/1-15 दिनांक 06.10.2020

मौखिक साक्ष्य :-उपरोक्त आरोप पत्र के समर्थन में विभाग द्वारा निम्न अधिकारी मौखिक साक्ष्य देने हेतु उपस्थित

रहेंगे।

1. श्री भूपाल सिंह किरौला, उप प्रभागीय वनाधिकारी, रानीखेत।
2. श्री मोहन राम आर्य, वन क्षेत्राधिकारी, जौरासी।
3. श्री महेश कुार तत्कालीन वन क्षेत्राधिकारी, रानीखेत।
4. श्री मनोज कुमार लोहनी, उप वन क्षेत्राधिकारी/प्रभारी वन क्षेत्राधिकारी, गणानाथ, सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, अल्मोड़ा।
5. श्री चन्द्रशेखर भट्ट, उप वन क्षेत्राधिकारी, सोमेश्वर।
6. श्री हीरा सिह बिष्ट, वन दरोगा, द्वाराहाट रेंज।
7. श्री आनन्द बल्लभ बुधानी, वन दरोगा, जौरासी रेंज।
8. श्री होशियार नाथ गोस्वामी, रानीखेत रेंज।
9. श्री संजय सिंह रावत, द्वाराहाट रेंज।

आरोप संख्या 10 के क्रम में अपचारी कर्मचारी का प्रतिउत्तर :-

प्रत्युत्तर :-उक्त आरोप के प्रतिउत्तर में अवगत कराना है कि प्रार्थी/अपचारी कर्मचारी द्वारा द्वराहाट वन क्षेत्र में भौगोलिक क्षेत्रफल एवं प्रशसनिक इकाईयों (बीट अनुभाग डीपों) हेतु पर्याप्त कार्मिक तैनात नहीं थे। अधोहस्ताक्षी द्वारा बार-बार मुख्यालय में प्रभाग स्तरीय बैठक में कार्मिकों की कमी की समस्या को उठाया था। लौट का छप्पान वन क्षेत्र स्तर पर वन दरोगा के द्वारा ही किया जाता है, वर्तमान में भी उत्तराखण्ड के सभी वन प्रभागों में यह कार्य वन दरोगा स्तर से ही किया जा रहा है। वन विकास निगम को लौट का हस्तान्तरण तत्काल करा दिया गया था। वन विकास निगम द्वारा लौट का हस्तान्तरण/कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व एवं घटना प्रकाशन में आने से पूर्व कोई भी शिकायत या सूचना वन क्षेत्र कार्यालय को नहीं दी गयी थी। उत्तर प्रदेश वन विकास संहिता के प्राविधानों के अनुसार लौट हस्तान्तरण के उपरांत लौट में होने वाली क्षति के लिए उत्तराखण्ड वन विकास निगम ही

जिम्मेदार होता है। प्रकरण में अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रयास किया गया कि दोषी ठेकेदार के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी जायं लेकिन राजस्व विभाग की ओर से कोई भी प्राथमिकी दर्ज नहीं की गयी। अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिये गये नोटिस के उपरांत ही अधिशासी अभियन्ता प्रशासनिक जांच होने के उपरांत भी प्रशासन स्तर से अधिशासी अभियन्ता एवं दोषी पंचायत एवं सिविल भूमि से सम्बंधित अपराध भी वन विभाग द्वारा दर्ज किये गये। जिनकी विवेचना वर्तमान में गतिमान है। कोई भी ऐसा साक्ष्य आरोप के पक्ष में वर्तमान तक उपलब्ध नहीं कराया गया, जिसमें प्रार्थी द्वारा पद का दुरूप्रयोग कर उक्त निर्माण कार्य का समर्थन किया हो। वास्तव में प्रशासन, प्रयोक्ता अधिकरण एवं जन–प्रतिनिधियों द्वारा वन विभाग को किसी भी प्रकार का यहयोग नहीं दिया गया। भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 79 के तहत राज्य सरकार के समस्त कार्मिक जिसमे राजस्व विभाग एवं लोक निर्माण विभाग के कार्मिक भी सम्मिलित है, वन विभाग को सहयोग देने के लिए बाध्य है। लेकिन उक्त सम्बंधति विभाग के अधिकारी/कर्मचारी द्वारा उक्त अपराध के निवारण हेतु कोई सूचना प्रभाग/वन क्षेत्र को नहीं दी गयी। आरोप के कथन अस्वीकार है। अतः आरोप निरस्त करने योग्य है।

<u>आरोप संख्या 10 के सम्बन्ध में जाँच अधिकारी की आख्या/विवेचना</u> :–

वन विकास निगम को आंवटित लौट संख्या 3/38/2020–21 का प्रभावी निरीक्षण न करने, छपान में अत्याधिक संख्या में वृक्ष सम्मिलित होने के उपरान्त भी स्वयं छपान कार्य में उपस्थित न होने, वन विकास निगम के स्थानीय कार्मिकों एवं अधिकारियों से उचित सामजस्य स्थापित कर छपान लौट की समीक्षा न करने के आरोप दिया गया तर्क मान्य नही है। अतः उक्त आरोप की पुष्टि होती है।

जाँच अधिकारी श्री रमेश चन्द्र काण्डपाल, प्रभागीय वनाधिकारी सिविल एवं सोयम वन प्रभाग अल्मोड़ा द्वारा जाँच के सम्बन्ध में :–

<u>अतिरिक्त कथन</u>

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत् अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा से प्राप्त अभिलेखो के साथ अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत का पत्रांक 1367/18–सी0 दिनांक 23.07.2020 को प्राप्त हुआ है। प्राप्त पत्र के अनुसार अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत द्वारा जिलाधिकारी, अल्मोड़ा को कोटिला–ग्वाड़–सुरईखेत मोटर मार्ग के सम्बन्ध में आ रही समस्याओं के सम्बन्ध में अवगत कराया गया है। उक्त पत्र में अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत जिलाधिकारी, अल्मोड़ा को अवगत करा रहे है कि प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा द्वारा उक्त मोटर मार्ग में प्रभावित होने वाले वृक्षों का छपान कर लौंट उत्तराखण्ड वन विकास निगम को हस्तान्तिरत कर दिया गया है। अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत यह भी उल्लेख कर रहे है कि वन विकास निगम द्वारा मौखिक निर्देश के अनुसार मार्ग में आ रहे वृक्षों को उखाड़ कर किनारे करते हुए मार्ग का निर्माण कार्य किया जा रहा है जिसमें कुछ ग्रामवासियों द्वारा संरेखण को परिवर्तित करने के सम्बन्ध में विवाद किया जा रहा है। अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत यह भी उल्लेख कर रहे है कि वन क्षेत्राधिकारी द्वाराहाट द्वारा अपने पत्रांक 45/27–1 दिनांक 18.07.2020 को कार्य को बंद करने हेतु पत्र जारी किया गया है एवं रू 10,039 लाख का जुर्माना विभाग पर किया गया है। अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत यह भी उल्लेख कर रहे है कि पहाड़ कटान के कार्य में मलुवा साईड में गिरना स्वभाविक है। वन विकास निगम द्वारा दी गयी मौखिक सहमति के उपरान्त ही निर्माण कार्य की कार्यवाही की गयी है, क्योकि उक्त निर्माण से लाभान्वित होने वाले ग्रामवासियों द्वारा वर्ष 2018–19 में आमरण अनशन एवं धरना प्रदर्शन किया गया था। इसके अतिरिक्त अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत द्वारा जिलाधिकारी, अल्मोड़ा को अवगत कराया गया है कि मा0 विधायक द्वाराहाट द्वारा भी उक्त मोटर मार्ग का निर्माण अतिशीघ्र कराये जाने के लिए निर्देश दिये गये है। दिनांक 22.07.2020 को आपके कार्यालय (जिलाधिकारी कार्यालय) में हुई बैठक में निर्माण कार्य को यथावत जारी रखने का निर्देश दिया गया है। पत्र की प्रतिलिपि सहायक अभियन्ता पंचम, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत को इस आशय से प्रेषित की गयी है कि निर्माण कार्य को सुचारू रूप से किया जाना सुनिश्चित करें।

उपरोक्त पत्र से स्पष्ट है कि निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत एवं उत्तराखण्ड वन विकास निगम के अधिकारियों की आपसी साठ–गाठ से कोटिला–ग्वाड़–सुरईखेत मोटर मार्ग में प्रभावित वृक्षों का पातन लौट हस्तान्तरण के उपरान्त किया गया है। लौट हस्तान्तरण के उपरान्त पातित वृक्षों के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा कोई भी प्राथमिकी एवं विधिक कार्यवाही नही की गयी है। सम्पूर्ण प्रकरण जिलाधिकारी, अल्मोड़ा के संज्ञान में लोक निर्माण विभाग, निर्माण खण्ड, रानीखेत

द्वारा लाया गया है। इसी कारण सम्भवतः राजस्व विभाग के पटवारियों/राजस्व उपनिरीक्षको द्वारा मामलें मे कार्यवाही नही की गयी है। विभाग के सीमित संसाधनों एवं द्वाराहाट वन क्षेत्र में कर्मचारियों की कमी के कारण भी मामलें में स्थलीय जॉच एवं कार्यवाही में पर्याप्त समय लगना स्वभाविक था। उपरोक्त पत्र से स्पष्ट है कि किसी भी वन कार्मिक द्वारा अपने पद का दुरूप्रयोग नहीं किया गया है तथा यथासम्भव प्रशासन के सहयोग पूर्ण रवैये के उपरान्त भी प्रयोक्ता ऐजेंसी के प्रभारी अधिकारी/अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत के विरूद्व कार्यवाही नहीं की गयी है। इस प्रकार की विधिक कार्यवाही के फलस्वरूप प्रार्थी/अपचारी कर्मचारी भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 74 के तहत् संरक्षण प्राप्त करने योग्य है।

यहॉ पर यह भी उल्लेखनीय है कि जिलाधिकारी, अल्मोड़ा द्वारा अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत के पत्रांक 1367/18–सी0 दिनांक 23.07.2020 का संज्ञान लेने के उपरान्त ही अपने आदेश पत्रांक 4759/छब्बीस–05/2019–20 दिनांक 25.07.2020 से ही प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा की अध्यक्षता में समिति का गठन किया था। उक्त आदेश में भी स्पष्ट किया गया है कि वन विभाग के द्वारा कार्य रोका गया है और प्रयोक्ता अभिकरण पर जुर्माना लगाया गया है। जॉच समिति की रिर्पोट के उपरान्त भी जिलाधिकारी, अल्मोड़ा के स्तर ना तो अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत के विरूद्व कार्यवाही का प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया गया है और राजस्व विभाग के अधिकारियों जिनके स्तर से नाप भूमि, सिविल भूमि, वन पंचायत के सम्बन्ध में कोई भी कार्यवाही नही की गयी थी के विरूद्व कोई कार्यवाही करवायी गयी है।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत् प्राप्त अभिलेखो के अनुसार सहायक अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत एवं अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत द्वारा मक डम्पिंग प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसमें उनके द्वारा मलुवे का निस्तारण वन आच्छादित क्षेत्रो एवं जल स्त्रोतो में नही किया जायेगा। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा कोटिला–ग्वाड़–सुरईखेत मोटर मार्ग पहाड़ कटान से उत्पादित मलुवे के निस्तारण हेतु डिटेल ऑफ मेजेरमेन्ट प्रस्तुत किया गया है। प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा के हस्ताक्षर से जारी सूचना के आधार पर रू0 15,16,853.75 का आवंटन किया गया है। इससे स्पष्ट है कि लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के द्वारा मोटर मार्ग की सैद्वान्तिक स्वीकृति की शर्तो का उल्लघंन करने के साथ–साथ मलुवा निस्तारण हेतु आवंटन धनराशि का भी दुरूप्रयोग किया जा रहा है। इस प्रकार का कृत्य लोक सेवको के आचरण के विपरीत प्रतीत होता है। यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत् श्री भुवन चन्द्र पाण्डे पुत्र महेश चन्द्र पाण्डे, ग्राम व पोस्ट ग्वाड़, द्वाराहाट, जिला अल्मोड़ा के प्रार्थना पत्र के प्रतिउत्तर में लोक सूचना अधिकारी/सहायक अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत अवगत करा रहे है कि वन भूमि से उत्सर्जित मलुवे का निस्तारण स्वीकृत सड़क की चौड़ाई में किया जायेगा, स्वीकृत चौड़ाई के अतिरिक्त फैले मलुवे को मोटर मार्ग के समतलीकरण आदि में प्रयोग में लाया जायेगा। इस प्रकार वन भूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही हेतु समय–समय असत्य व गलत प्रमाण पत्र प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत किये गये है। ऐसे प्रकरण की जॉच एस0आई0टी0/सी0बी0आई0 से कराना भी उचित प्रतीत हो रहा है।

यहॉ यह भी उल्लेख करना समयोचित है कि प्रार्थी वन दरोगा के पद पर कार्यरत रहा है। वन दरोगा स्तर से सूचनाए केवल वन क्षेत्र कार्यालय को प्रेषित की जाती है। उच्च स्तर को किसी भी प्रकरण की सूचना देना वन दरोगा के कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत नही है।

यदि जॉच में साक्षयों का परीक्षण किया जाता है तो श्री संजय सिंह रावत, तत्कालीन वन बीट अधिकारी चन्थरिया प्रथम बीट का प्रतिपरीक्षण आवश्यक है। जिनके द्वारा एफ0आई0आर0 दर्ज कराने की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी थी। जिसे राजस्व विभाग द्वारा स्वीकार नही किया गया। इसके अतिरिक्त सम्बन्धित राजस्व विभाग के अधिकारियों जिनके द्वारा एफ0आई0आर0 दर्ज करने से इनकार किया गया उनके बयान भी दर्ज किये जा सकते है। विभाग द्वारा जो साक्षय दर्शायें गये है उनके बयान होने पर प्रतिपरीक्षण का अवसर दिया आवश्यक है। इसके अतिरिक्त यह भी उल्लेखनीय है कि प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा अपने पत्रांक 332 ए /29–3(3) दिनांक 25.09.2020 से श्री निशांत वर्मा, मुख्य वन संरक्षक, वन पंचायत एवं सामुदायिक वानिकी उत्तराखण्ड, एवं श्री प्रवीण कुमार, वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा की 2 सदस्यीय जॉच समिति का गठन किया गया है। उनके स्तर से भी की गयी जॉच की प्रमाणित प्रति भी प्रार्थी/ अपचारी कर्मचारी को उपलब्ध करायी जानी आवश्यक है। उक्त रिर्पोट प्राप्त होने के बाद अनुपूरक प्रतिउत्तर दाखिल किये जाने के लिए समय दिया जाना भी प्राकृतिक न्याय की दृष्टि से आवश्यक है।

अतः अनुरोध है कि प्रार्थी विरचित आरोप जो उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 (संशोधन) नियमावली 2010 के प्राविधानो के विपरीत एवं नियमावली में विहित प्रकिया का अनुसरण किये बिना ही जारी किया गया है, को निरस्त करने की कृपा करें।

जाँच अधिकारी श्री रमेश चन्द्र काण्डपाल, प्रभागीय वनाधिकारी सिविल एवं सोयम वन प्रभाग अल्मोड़ा द्वारा जाँच के सम्बन्ध में :-

विवेचना

आरोप पत्र में वर्णित आरोपों एवं उसके बचाव में अपचारी कर्मचारी श्री नवीन कुमार टम्टा, (तत्कालीन वन क्षेत्राधिकारी, द्वाराहाट वन क्षेत्र) द्वारा दिये गये उत्तर तथाजांच के दौरान दिये गये उनके एवं विभिन्न साक्ष्यों के बयानों के आधार पर निम्न तथ्य सामने आये :-

1- विवेचना के दौरान अपचारी कर्मचारी द्वारा दिये गये बयान दिनांक 02.08.2021 **(संलग्नक - 1)** के अनुसार-''मेरे द्वारा द्वाराहाट वन क्षेत्र दिनांक 06.03.2019 को लिया गया। मेरे द्वार चन्द्रशेखर, वन दरोगा, अनुभाग अधिकारी चन्थरिया को कोटिला- ग्वाड़-सुरईखेत मोटर मार्ग में छपान करने हेतु आदेशित किया गया। इनके द्वारा चन्थरिया कक्ष संख्या 15 में छपान कार्य करना था, जो प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग से छपान सूर्ची भेजी गयी थी। तत्पश्चात् 2 जून 2019 को लौट हस्तान्तर की सूचना अनुभाग अधिकारी चन्थरिया द्वारा राजि कार्यालय में प्रस्तुत की गयी। कोटिला-ग्वाड़-सुरईखेत मोटर मार्ग में लोक निर्माण विभाग, रानीखेत द्वारा अवैध पातन की सूचना ना ही बीट अधिकारी चन्थरिया प्रथम बीट व अनुभाग अधिकारी चन्थरिया द्वारा मुझे इस प्रकरण में कोई लिखित या मौखित रूप से कोई सूचना नहीं दी गयी। इस प्रकरण के सम्बन्ध में उच्चधिकारियों के निरिक्षण के दौरान मैने अपने अधिनस्थ कर्मचारियों के साथ नियमित गश्त व लोक निर्माण खण्ड, रानीखेत वालो पर विभागीय कार्यवाही की गयी। ''

2- विवेचना के दौरान श्री संजय सिंह, वन दरोगा (तत्कालीन वन वीट अधिकारी) जिनके द्वारा कोटिला-ग्वाड़-सुरईखेत मोटर मार्ग में अवैध रूप से पातित वृक्षों के जुर्म केश इजरा किये गये थे, के भी बयान लिये गये। उनके द्वारा दिनांक 22.07.2021 को दिये गये बयान **(संलग्नक -2)** के अनुसार -''मेरे द्वारा चन्थरिया प्रथम का चार्ज विधिवत् रूप से श्री हेमन्त नयाल, वन रक्षक से माह जुलाई दिनांक 24.07.2020 को लिया गया। क्षेत्र के अन्तर्गत घटना मेरे चार्ज लेने से पूर्व हो चुकी थी। बाद में उपरोक्त घटना की जांच टीम के अधिकारी उप प्रभागीय वनाधिकारी के साथ उक्त मोटर मार्ग के निरीक्षण के दौरान अवैध रूप से पातित वृक्षों/उखाड़े गये वृक्षों के एच0-2 केश मेरे द्वारा इजराय किये गये जो विभिन्न वन भूमि में स्थित थे। नाप भूमि/सिविल भूमि/वन पंचायत भूमि में उखाड़े/गिराये गये वृक्षों के एच0-2 केश वन क्षेत्राधिकारी द्वाराहाट के मुझे दिये गये निर्देशों के अनुसार मेरे द्वारा जुर्म केश इजराय किये गये। उखाड़े/गिराये गये वृक्षों का प्रजातिवार एवं व्यासवार विवरण एच0-2 केश में दर्ज किया गया है। उक्त मार्ग में सिविल/नाप/वन पंचायत भूमि पर कार्यदायी संस्था द्वारा अवैध रूप से उखाड़े गये वृक्षों एवं मोटर मार्ग के कटान के दौरान उत्पादित मलवे का निस्तारण नियमानुसार न कर जगह-जगह मलवा डाल देने के सम्बन्ध में प्राथमिक सूचना दर्ज करने के लिये राजस्व उपनिरीक्षक ध्याड़ी को भी दिनांक 05.08.2020 को पत्र लिखा गया परन्तु उनके द्वारा प्राथमिक सूचना दर्ज करने से मना कर दिया गया।

कार्यदायी संस्था लोक निर्माण खण्ड रानीखेत द्वारा यह कार्य वन विकास निगम द्वारा कार्य किये जाने से पूर्व ही उखाड़ दिये गये थे। मेरे द्वारा वन अपराध में जुर्म इजराय करने स 3 से 6 माह पूर्व यह घटना हो चुकी थी। घटना के जांच हेतु उप प्रभागीय वनाधिकारी की अध्यक्षता में गठित टीम के निरीक्षण के समय नाप भूमि/सिविल/वन पंचायत एवं आरक्षित भूमि में 10 किमी0 मार्ग का कटान किया जा चुका था तथा आरक्षित वन भूमि में 400 मी0 लम्बाई के सापेक्ष 630 मी0 कटान कार्य किया जा चुका था।''

3- अपचारी कर्मचारी द्वारा अपने उत्तर में श्री संजय सिंह रावत, वन दरोगा (तत्कालीन वन वीट अधिकारी) द्वाराहाट रेंज के प्रतिपरीक्षण हेतु लिखा गया था परन्तु विवेचना के दौरान दिनांक 02.08.2021 को उनके द्वारा श्री संजय सिंह वन वीट अधिकारी का प्रतिपरीक्षण ना करने का बयान दिया गया। **(संलग्नक - 3)**

4– आरोप पत्र में वर्णित अन्य मौखिक साक्ष्यों 1– श्री मोहन राम आर्य, वन क्षेत्राधिकारी अल्मोड़ा 2– श्री मनोज कुमार लोहनी, वन क्षेत्राधिकारी गणानाथ 3–श्री हीरा सिंह बिष्ट, वन दरोगा, द्वाराहाट रेंज अल्मोड़ा 4– श्री होशियारनाथ गोस्वामी, वन दरोगा 5– श्री आनन्द बल्लभ बुधानी, वन दरोगा, जौरासी रेंज के बयान भी दिनांक 22.07.2021 को लिये गये। इन सभी साक्ष्यों द्वारा अपने बयानों में अवगत कराया है कि प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा के पत्रांक सं0 249/8–2 दिनांक 13.07.2020 के द्वारा द्वाराहाट वन क्षेत्र अन्तर्गत निर्माणाधीन कोटिला–ग्वाड़–सुरईखेत मोटर मार्ग के निर्माण में हुई अनियमितताओं की जांच हेतु तत्कालीन उप प्रभागीय वनाधिकारी रानीखेत की अध्यक्षता में समिति गठित की गयी थी। उस समिति के सदस्य के रूप में दिनांक 25.07.2020 से 28.07.2020 तक निर्माणाधीन कोटिला–ग्वाड़–सुरईखेत मोटर मार्ग में जांच टीम द्वारा अवैध/अनियमित रूप से किये गये कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया गया। जिसमें आरक्षित/सिविल/वन पंचायत व नाप भूमि में विभिन्न प्रजातियों के 399 वृक्ष उखाड़े पाये गये एवं आरक्षित वन चन्थरिया कक्ष सं0 15 व 16 में स्वीकृत 400 X7 मी0 के स्थान पर 630 X 4मी0 सड़क कटान पाया गया। लोक निर्माण विभाग द्वारा स्वीकृत परियोजना के शर्तो के विरूद्व मलवा निस्तारण निर्धारित डम्पिंग जोन में न कर मानकों के विरूद्व डाला पाया गया। उपरोक्त अवैध कार्य लगभग 3 से 6 माह पूर्व किया गया प्रतीत होता है। जिसकी विस्तृत जांच रिपोर्ट तत्कालीन उप प्रभागीय वनाधिकारी, रानीखेत के माध्यम से प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा को प्रस्तुत की गयी। **(संलग्नक –4 से 8)**

5– प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा की पत्रांक संख्या 249/8–2 दिनांक 13–07–2020 से उप प्रभागीय वनाधिकारी, रानीखेत की अध्यक्षता में गठित जांच समिति द्वारा अपनी जांच रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि चन्थरिया आरक्षित वन कक्ष संख्या 15–16 के अन्तर्गत निर्माणाधीन मोटर मार्ग की रेंज कार्यालय/अनुभाग मुख्यालय/वीट मुख्यालय से दूरी लगभग 1.5 किमी0 है एवं विभागीय पौधालय बागेश्वर से दूरी 100 मी0 के लगभग है, लेकिन उक्त निर्माण एवं पातन को रोकने के लिये वन क्षेत्राधिकारी एवं अधीनस्थ स्टाफ द्वारा किसी प्रकार सूचना उच्च स्तर को उचित समय पर नहीं दी गयी। उक्त कृत्य राजकीय कार्यो के प्रति लापरवाही को इंगित करता है। उक्त रिपोर्ट में यह भी वर्णित है कि जांच में यह भी संज्ञान में आया है कि उक्त मोटर मार्ग का निर्माण कार्य माह फरवरी 2020 से प्रारम्भ हुआ। जिसकी सूचना रेंज अधिकारी द्वारा उच्च स्तर को नहीं दी गयी।

6– प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा के पत्र संख्या 262/8–2 दिनांक 13.07.2020 में भी कोटिला–ग्वाड़–सुरईखेत मोटर मार्ग निर्माण में वन बीट अधिकारी, चन्थरिया बीट द्वाराहाट वन क्षेत्र को संबोधित पत्र में रोड कटान में बरती जा रही अनेक अनियमितताओं का जिक करते हुए अवगत कराया है कि मौके पर उपस्थित ग्रामीणों द्वारा बताया गया है कि उक्त रोड कटान पिछले चार महीनो से चल रहा है।

उपरोक्त के कम में अपचारी कर्मचारी पर लगाये गये आरोपो की विवेचना उनके द्वारा दिये गये प्रतिउत्तर एवं अन्य अभिलेखिय साक्ष्यों के आधार पर की गयी। जो निम्न प्रकार है :–

जाँच अधिकारी श्री रमेश चन्द्र काण्डपाल, प्रभागीय वनाधिकारी सिविल एवं सोयम वन प्रभाग अल्मोड़ा द्वारा जाँच के सम्बन्ध में :–

निष्कर्ष

आरोप पत्र में उपलब्ध अभिलेखीय साक्ष्यों एवं साक्षियो के बयानो के अवलोकन व परिशीलन के उपरान्त यह स्पष्ट है कि द्वाराहाट वन क्षेत्र के प्रभारी होने के नाते श्री नवीन कुमार टम्टा, वन क्षेत्राधिकारी का यह दायित्व था कि निर्माणाधीन कोटिला–ग्वाड़–सुरईखेत मोटर मार्ग जो कि रेंज मुख्यालय से मात्र 1.50 किमी0 पर दूरी पर स्थित था, का समय–समय पर निरीक्षण कर प्रयोक्ता ऐजेंसी द्वारा की जा रही अनियमितताओ को रोकने का प्रयास करते, आपने अधीनस्थ स्टाफ पर नियत्रंण रखकर रेज में हो रही घटनाओं से सम्बन्ध मे जानकारी रखते तथा उक्त मार्ग में घटित हो रही अवैध कार्यो की सूचना समय पर अपने उच्चाधिकारियों को सूचित करते, परन्तु उनके द्वारा उच्चाधिकारियों को वन क्षेत्र में घटित हो रही अनियमितताओ के सम्बन्ध में ना तो कोई जानकारी दी और ना ही उसे रोकने का प्रयास किया। इस प्रकार अपचारी कर्मचारी पर उत्तरांचल राज्य कर्मचारियो की आचरण नियमावली 2002 के नियम 3(1) के तहत् आत्यंतिक रूप से सत्यनिष्ठा एवं कर्तव्यपरायणता से अपने कार्यो निर्वहन ना करने का आरोप सिद्ध होता है।

दण्डादेश निर्णय एवं निस्तारण आदेश

यह प्रकरण कोटिला–ग्वाड़ से सुरईखेत मोटर मार्ग के निर्माण में हुई अनियमितताओं से सम्बन्धित है, जिसमें लोक निर्माण विभाग द्वारा भारत सरकार द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति में निहित संरेखण से इतर संरेखण को परिवर्तित कर एवं मोटर मार्ग के निर्माण में पातन हेतु स्वीकृत वृक्षों के अतिरिक्त अवैध रूप से काटे गये वृक्षों से सम्बन्धित है। प्रस्तावक विभाग (लो0नि0वि0) द्वारा परिवर्तित किये गये संरेखण में कुल 399 वृक्षों का अवैध रूप से पातन किया गया। इस प्रकरण की जाँच हेतु प्रमुख वन संरक्षक, (HoFF) उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा अपने पत्रांक 332A/29–3(3) दिनांक 25.09.2020 द्वारा 02 सदस्यीय टीम जिसमें श्री निशान्त वर्मा, मुख्य वन संरक्षक, वन पंचायत एवं सामुदायिक वानिकी, उत्तराखण्ड, देहरादून एवं अधोहस्ताक्षरी को नामित किया गया था। प्रमुख वन संरक्षक, (HoFF) उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में दिनांक 17.10.2020 को 02 सदस्यीय टीम द्वारा प्रश्नगत क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण किया गया था। जिसकी संयुक्त जाँच रिपोर्ट दिनांक 28.10.2020 को उच्च स्तर को प्रेषित की गयी थी। अवैध रूप से पातित वृक्षों को समिति द्वारा लौट बनाकर वन विकास निगम को हस्तान्तरण करने की संस्तुति की गयी थी, जिसके अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी अल्मोड़ा वन प्रभाग द्वारा इन समस्त वृक्षों का छपान कर लौट बनाकर वन विकास निगम को हस्तान्तरित किया गया। इस प्रकार वृक्षों के अवैध पातन किये गये वृक्षों के निस्तारण के फलस्वरूप वन विभाग को किसी प्रकार की वित्तीय हानि नहीं हुई है। इसमें लोक निर्माण विभाग/कार्यदायी संस्था के अधिकारी/कर्मचारी दोषी है। जिसके सम्बन्ध में उत्तराखण्ड शासन लोक निर्माण अनुभाग–1 के आदेश पत्रांक 1565/XXX(1)/2021-4(42)रि0या0/2021 दिनांक 01.09.2021 द्वारा श्री मोहन चन्द्र जोशी, अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग रानीखेत, अल्मोड़ा, श्री हिमांशु भट्ट, सहायक अभियन्ता, निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग रानीखेत, अल्मोड़ा, श्री कान्ता प्रसाद गंगवार, अपर सहायक अभियन्ता, निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग रानीखेत, अल्मोड़ा के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में अभियोजन चलाने की अनुमति प्रदान की गयी है। जिसमें अभियोग दायर करने की कार्यवाही प्रभागीय वनाधिकारी अल्मोड़ा के स्तर से की जा रही है।

इस सम्बन्ध में जाँच अधिकारी की रिपोर्ट तथा उपरोक्त तथ्यों से यह निष्कर्ष निकलता है कि अपचारी कर्मचारी श्री नवीन कुमार टम्टा, प्रभारी वन क्षेत्राधिकारी उत्तरांचल राज्य कर्मचारियो की आचरण नियमावली 2002 के नियम 3(1) के तहत् सत्यनिष्ठा एवं कर्तव्यपरायणता से अपने कार्यो का निर्वहन न करने के लिए यह लापरवाही बरतने के दोषी है। यह समस्त घटना इनके कार्यक्षेत्र में हुई है। अतः इन घटनाओं को रोकने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी इनकी थी।

जाँच अधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, अल्मोड़ा के पत्रांक 1114/1–15 दिनांक 09.09.2021 द्वारा प्रेषित जाँच आख्या एवं अभिलेखीय साक्ष्यों के आधार पर श्री नवीन कुमार टम्टा, प्रभारी वन क्षेत्राधिकारी पर लगाये गये सभी आरोप सिद्ध होने के फलस्वरूप कोटिला–ग्वाड़–सुरईखेत निर्माणाधीन मोटर मार्ग जो द्वाराहाट रेंज मुख्यालय से मात्र 1.50 कि0मी0 दूरी पर स्थित है। प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा मोटर मार्ग निर्माण में की गई अनियमितताओं को रोकने एवं अपने अधीनस्थ स्टाफ पर प्रभावी नियंत्रण न रखने एवं रेंज में हो रही इस प्रकार की अनियमितताओं की सूचना की जानकारी उच्च स्तर को न दिये जाने एवं अनियमितताओं को रोके जाने का प्रयास न करने के कारण अपचारी/कर्मचारी श्री नवीन कुमार टम्टा, प्रभारी वन क्षेत्राधिकारी पर उत्तराँचल राज्य कर्मचारी की आचरण नियमावली–2002 के नियम 3(1) के तहत आत्यंतिक रूप से सत्यनिष्ठा एवं कर्तव्यपरायणता एवं राजकीय कार्यों हेतु दिये गये दायित्वों का निर्वहन न करने के कारण अपचारी/कर्मचारी को निम्न प्रकार से दण्डित किया जाता है :–

1 :– श्री नवीन कुमार टम्टा, प्रभारी वन क्षेत्राधिकारी अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा की आदेश जारी होने की तिथि से अग्रिम 02 (दो) वार्षिक वेतन वृद्धि **संचयी प्रभाव (Cumulative effect)** से रोके जाने का आदेश पारित किया जाता है। साथ ही अपचारी/कर्मचारी श्री नवीन कुमार टम्टा, प्रभारी वन क्षेत्राधिकारी अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा को निन्दित भी किया जाता है। जिसका अपचारी/कर्मचारी को भविष्य में भी कोई लाभ नहीं मिलेगा।

2 :– उक्त आदेश की प्रविष्टि को अपचारी/कर्मचारी की सेवापुस्तिका में प्रभागीय वनाधिकारी अल्मोड़ा वन प्रभाग द्वारा अंकित किया जायेगा, साथ ही उक्त आदेश की प्रविष्टि प्रभागीय वनाधिकारी अल्मोड़ा वन प्रभाग द्वारा श्री नवीन कुमार टम्टा, प्रभारी वन क्षेत्राधिकारी अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा की वार्षिक चरित्र पंजिका में की जायेगी।

(प्रवीण कुमार)
वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा

पत्रांक - 1943 / 1-15-7 दिनांकित।
प्रतिलिपि :– श्री नवीन कुमार टम्टा, प्रभारी वन क्षेत्राधिकारी द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा को सूचनार्थ प्रेषित।

(प्रवीण कुमार)
वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा

पत्रांक - 1943 / 1-15-7 दिनांकित।
प्रतिलिपि :– प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा को सूचनार्थ एवं इस निर्देश के साथ प्रेषित कि श्री नवीन कुमार टम्टा, प्रभारी वन क्षेत्राधिकारी की सेवापुस्तिका में उक्तानुसार आदेश की प्रविष्टि कर इसका अनुपालन करना सुनिश्चित करें तथा प्रविष्टि उपरान्त अवलोकन हेतु सेवापुस्तिका इस कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। साथ ही आदेश की प्रति सम्बन्धित कर्मचारी को हस्तगत कर उसकी प्राप्ति रसीद भी इस कार्यालय में प्रस्तुत करें। साथ ही कर्मचारी के वेतन आहरण कोड कोषाधिकारी अल्मोड़ा को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

(प्रवीण कुमार)
वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा

पत्रांक - 1943 / 1-15-7 दिनांकित।
प्रतिलिपि :– प्रभागीय वनाधिकारी सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, अल्मोड़ा के पत्रांक 1114/1–15 दिनांक 09.09.2021 को सूचनार्थ प्रेषित।

(प्रवीण कुमार)
वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा

पत्रांक - 1943 / 1-15-7 दिनांकित।
प्रतिलिपि :– मुख्य कोषाधिकारी, अल्मोड़ा को प्रेषित कर अनुरोध है कि उक्त कर्मचारी को आदेश जारी होने की तिथि से अनुवर्ती वर्षों में 02 वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव से रोक कर वेतन का भुगतान करने की कृपा करें।

(प्रवीण कुमार)
वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा

पत्रांक - 1943 / 1-15-7 दिनांकित।
प्रतिलिपि :– मुख्य वन संरक्षक, मानव संसाधन विकास एवं कार्मिक, प्रबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून को उनके पत्रांक 678/1–15(7) दिनांक 05.10.2021 द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(प्रवीण कुमार)
वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा

पत्रांक - 1943 / 1-15-7 दिनांकित।
प्रतिलिपि :– मुख्य वन संरक्षक, कुमाऊँ, उत्तराखण्ड, नैनीताल को सूचनार्थ प्रेषित।

(प्रवीण कुमार)
वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा

कार्यालय वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

Email : cfkumaon_north@rediffmail.com ☎ & Fax (05962) 231099 Fax230397

वनादेश सं0 - 33 /1-15-1 अल्मोड़ा, दिनांक, 23-11- 2021 ।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एन०जी०टी०) में कोटिला—ग्वाड़ से सुरईखेत मोटर मार्ग के सम्बन्ध में योजित मूल आवेदन संख्या 197/2020 जगदीश चन्द्र पाण्डेय बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य के सम्बन्ध में दोषी श्री चन्द्रशेखर त्रिपाठी, वन दरोगा, द्वाराहाट के विरूद्ध विषयगत प्रकरण में लगाये गये आरोप तथा जाँच अधिकारी की आख्या रिपोर्ट के क्रम में निर्णय

कोटिला—ग्वाड़ से सुरईखेत तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 3.85 है0 वन भूमि लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन करने की सैद्धान्तिक स्वीकृति भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की पत्र संख्या 08/बी/यू0सी0पी0/06/153/2015/एफ0सी0/ 1472 दिनांक 23.10.2018 द्वारा प्राप्त हुई थी। राज्य सरकार से इस क्रम में वर्तमान तक विधिवत स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है। प्रस्तावक अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, रानीखेत द्वारा विधिवत स्वीकृति प्राप्त किये बिना कार्य प्रारम्भ कर दिया गया। मोटर मार्ग के निर्माण कार्य में हुई अनियमितता के सम्बन्ध में श्री जगदीश चन्द्र पाण्डेय, ग्राम एवं पो0 ग्वाड़, द्वाराहाट, जिला— अल्मोड़ा द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में मूल आवेदन सं0— 197/2020 योजित की गयी। जिसमें मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा निम्न प्रकार से निर्णय पारित किया गया :—

"In view of above, we direct that a joint factual and action taken report be furnished by the Principal Chief Conservator of Forest (HoFF), Uttarakhand and the State Pollution Control Board (SPCB). The PCCF (HoFF), Uttarakhand may nominate a two member team of officers not below the rank of Conservator of Forest. The PCCF (HoFF), Uttarakhand will be the nodal agency for coordination and compliance who may furnish a report within two months by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF".

The applicant may furnish a set of papers to the PCCF (HoFF), Uttarakhand and the SPCB and file an affidavit of service within one week.

उक्त आदेशों के क्रम में प्रमुख वन संरक्षक, (HoFF) उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा अपने पत्रांक 332A/29—3(3) दिनांक 25.09.2020 द्वारा मोटर मार्ग निर्माण में हुई अनियमितताओं की जाँच हेतु 02 सदस्यीय टीम का गठन किया गया, जिसमें श्री निशान्त वर्मा, मुख्य वन संरक्षक, वन पंचायत एवं सामुदायिक वानिकी, उत्तराखण्ड, देहरादून तथा श्री प्रवीन कुमार, वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा को जाँच समिति में सदस्य के रूप में नामित किया गया था। जॉच समिति द्वारा दिनांक 17.10.2020 को स्थलीय निरीक्षण करने के उपरान्त जॉच आख्या दिनांक 28.10.2020 को संगत अभिलेखों के साथ प्रमुख वन संरक्षक, (HoFF) उत्तराखण्ड, देहरादून को प्रेषित कर दी गयी थी, जिसमें जॉच समिति द्वारा अवैध रूप से गिराये गये वृक्षों का पातन होने पर प्रभावी नियंत्रण न करने एवं संरेखण परिवर्तन करने के लिए लोक निर्माण विभाग के सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारियों के साथ — साथ तत्कालीन प्रभारी वन क्षेत्राधिकारी द्वाराहाट एवं तत्कालीन अनुभाग अधिकारी (वन दरोगा) तथा तत्कालीन बीट अधिकारी (वन रक्षक) को शिथिलता बरतने के लिये जिम्मेदार माना गया। उपरोक्त के अतिरिक्त प्रमुख वन संरक्षक, (HoFF) उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्राकं 1384/पी0ओ0/29—3(3) दिनांक 21.06.2021 द्वारा पुनः संयुक्त जॉच हेतु 02 सदस्यीय समिति का गठन कर श्री प्रवीण कुमार, वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा एवं श्री हरीश चन्द्र जोशी, सहायक वैज्ञानिक अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय हल्द्वानी को सदस्य नामित किया गया था। जाँच समिति द्वारा दिनांक 29.06.2021 को स्थलीय निरीक्षण किया गया। जाँच समिति द्वारा अपने निरीक्षण आख्या में कार्यदायी संस्था द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो का अनुपालन कराये बिना तथा प्रस्तावित संरेखण से बाहर वन भूमि में कार्य किये जाने एवं अवैध रूप से वृक्षों का पातन होने में प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित नहीं किये जाने से सम्बन्धित तत्कालीन प्रभारी वन क्षेत्राधिकारी, अनुभाग अधिकारी (वन दरोगा) एवं तत्कालीन बीट अधिकारी (वन रक्षक) भी शिथिलता बरतने के लिए जिम्मेदार माना।

जाँच समिति के निर्णय के आलोक में वन विभाग से सम्बन्धित श्री चन्द्रशेखर त्रिपाठी, वन दरोगा के विरूद्व द्वाराहाट रेंज के कोटिला–ग्वाड़– सुरईखेत मोटर मार्ग में बड़े पैमाने पर आरक्षित/सिविल/नाप/पंचायत क्षेत्रो में वृक्षों के अवैध रूप से पातन व आरक्षित वन क्षेत्र में बिना स्वीकृति के अवैध सड़क निर्माण तथा आरक्षित वन क्षेत्र में अनियंत्रित मलुवा डालने का प्रकरण संज्ञान में आने पर इस कार्यालय के पत्रांक 2456/1–15 दिनांक 22.12.2020 द्वारा श्री रमेश चन्द्र काण्डपाल, प्रभागीय वनाधिकारी सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, अल्मोड़ा को जाँच अधिकारी नियुक्त कर इस कार्यालय के पत्रांक 2455/1–15 दिनांक 22.12.2020 से जारी आरोप पत्र अपचारी अधिकारी/कर्मचारी को तामिल किये जाने हेतु उन्हें प्रेषित किये गये। अपचारी अधिकारी/कर्मचारी श्री चन्द्रशेखर त्रिपाठी, वन दरोगा के विरूद्व जारी आरोप जो निम्न प्रकार हैं :–

आरोप संख्या 1 :– अपचारी कर्मचारी श्री चन्द्रशेखर त्रिपाठी, वन दरोगा दिनांक 05.02.2020 से 07.10.2020 तक वन क्षेत्राधिकारी कार्यालय द्वाराहाट वन क्षेत्र, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा के नियंत्रणाधीन चन्थरियाअनुभाग मेंअनुभाग अधिकारी/वन दरोगा के रूप में कार्यरत रहे थे।अपचारी कर्मचारी द्वारा अनुभाग प्रभारी चन्थरिया अनुभाग के रूप में अपने राजकीय दायित्वों का सम्यक रूप से निर्वहन नहीं किया गया। लौट संख्या 03/38/2020–21 में कुल 18 वृक्ष चन्थरिया आरक्षित वन में पातन हेतु चिन्हित किये गय थे, जबकि चन्थरिया आरक्षित वन में 18 चिन्हित वृक्षों के अतिरिक्त 47 और अवैध वृक्षों का पातन हुआ है। इस प्रकार कुल 65 वृक्षों का अवैध पातन हुआ। इतनी अधिक मात्रा में अवैध पातन होने के उपरान्त भी अपचारी कर्मचारी द्वारा वन अपराध में दोषी व्यक्तियों के विरूद्व कार्यवाही नही की गयी।अपचारी कर्मचारी को चन्थरिया आरक्षित वन जो भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 20 के तहत् अधिसूचित वन है, में अवैध पातन पर कोई कार्यवाही ना करने, अवैध पातन की सूचना उच्च स्तर को ना देने, अवैध पातन के फलस्वरूप शासकीय राजस्व की हानि रू0 181694.00 (एक लाख इक्यासी हजार छः सौ चौरानब्बे) मात्र के लिए उत्तरदायी मानते हुए आरोपित किया जाता है।

आरोप संख्या 1 के क्रम में अपचारी कर्मचारी का प्रतिउत्तर :–

प्रत्युत्तर :– उक्त आरोप के प्रतिउत्तर मे अवगत कराना है कि पर्यावरण, वन एवं वन एवं जलवायु परिर्वतन मंत्रालय, के क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर केन्द्रीय क्षेत्र) 25 सुभाष रोड देहरादून के पत्रांक 8बी/यू0सी0पी0/06/153/2015–एफ0–सी0 1472 दिनांक 23.10.2018 से अल्मोड़ा जनपद के अन्तर्गत कोटिला–ग्वाड़–सुरईखेत मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.85 हैक्टयर वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को वन संरक्षक अधिनियम 1980 की धारा 2 के तहत् प्रत्यावर्तन की सैद्वान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी थी। जिसके अन्तर्गत निम्न शर्ते उल्लेखनीय हैः–

(1) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावत्ति भूमि के बदले 7.70 है0 ग्राम – बिल्लेख, सिविल भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व से बाहर है, इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने की कार्यवाही की जायेगी, के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

(2) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पंत्र संख्या 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 में दिये गये आदेशा अनुसार शुद्व वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित धनराशि जमा की जायेगी।

(3) शुद्व वर्तमान मूल्य की दर में यदि वृद्वि होती है तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।

(4) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह सुनिश्चित करे की जमा की गयी सभी निधियों को वैब पोर्टल पर ऑन लाईन जनरैट किये गये चालान के माध्यम द्वारा उचित ऑन लाईन बैंक में जमा किया जायेगा।

प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा के पत्रांक 4246/12–1 (2) दिनांक 01.02.2019 के अनुसार कोटिला–ग्वाड़–सुरईखेत मोटर मार्ग के निर्माण हेतु एन0पी0बी0 हेतु रू0 36,15,150/– मात्र की धनराशि एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु रू0 21,45,720/– मात्र की धनराशि जमा करने के लिए निर्देश जारी किया गया था। इस प्रकार कुल रू0 57,57,870/– मात्र की धनराशि अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत को जमा करनी थी। अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत द्वारा अपने पत्रांक 3446/18सी0 दिनांक 27.09.2019 से अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, इन्द्रा नगर, वन कालौनी, उत्तराखण्ड, देहरादून को अवगत कराया गया कि शर्त संख्या– 1 के अनुसार 3.85 है0 क्षेत्रफल के दुगने क्षेत्रफल में 10 वर्षो तक क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु रू0 21,45,720/– मात्र की धनराशि यू0टी0आर0 नं0 एस0बी0आर0एन0 319264829494 दिनांक 21.09.2019 से जमा कर दी

गयी है एवं शर्त संख्या 2 के अनुसार एन0पी0वी0 की धनराशि रू0 32,53,250/- यू0टी0आर0 नं0 एस0बी0आई0एन0 319264829494 दिनांक 21.09.2019 द्वारा जमा की गयी है। जिसकी छाया प्रतिया उनके द्वारा प्रेषित की गयी है। इसके अतिरिक्त जिलाधिकारी अल्मोड़ा के आदेश संख्या 1890/ग्यारह-11/2018-19 दिनांक 25.02.2019 से कोटिला-ग्वाड़-सुरईखेत मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.85 है0 वन भूमि के स्थान पर दुगने क्षेत्रफल 7.70 है0 क्षेत्रफल वाली सिविल भूमि बिल्लेख, तहसील - रानीखेत के गैर जमीन्दारी विनाशी खाता खतौनी संख्या 62 की श्रेणी 9(3) बजंर काबिल आबाद भूमि के पैमायसी खेत संख्या 5998 के 7.430 है0 एवं खेत संख्या 5999 की 0.270 है0 भूमि को वन विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रण में नामान्तरित करने के आदेश पारित किये गये थे।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, के क्षेत्रीय कार्यालय(उत्तर केन्द्रीय क्षेत्र) 25 सुभाष रोड देहरादून के पत्रांक 8बी/यू0सी0पी0/06/153/2015-एफ0-सी0 1472 दिनांक 23.10.2018 के पृष्ठ संख्या - 2, शर्त संख्या 12 में निम्न प्राविधान रखे गये है:-

12. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागु होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता ऐजेंसी की जिम्मेदारी होगी। इसके अतिरिक्त यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि विधिवत स्वीकृति में दिये गयी शर्तो का संतोषजनक अनुपालन नहीं किया जाता है तो स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि प्रयोक्ता ऐजेंसी अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत द्वारा आरक्षित वन चन्थरिया में चिन्हित 18 वृक्षों के अतिरिक्त 47 वृक्षों का अवैध पातन किया गया है। आरोप पत्र में 18 वृक्षों को चिन्हित दिखाया गया है जबकि 65 वृक्षों को अवैध पातित दिखाया गया है। अवैध पातित वृक्षों के सापेक्ष रेंज केस संख्या - 3/द्वाराहाट रेंज/2020-21 दिनांक 11.07.2020 की जॉच हेतु प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा के पत्रांक 55(शि0)/8-2 दिनांक 08.10.2020 के मामलें की जॉच श्रीमति संचिता वर्मा, वन क्षेत्राधिकारी, अल्मोड़ा को सौपी गयी है। धारा 26(1) भारतीय वन अधिनियम 1927 का अपराध उक्त अधिनियम की धारा 68 के तहत् प्रशमनीय है। मामलें में वन क्षेत्राधिकारी अल्मोड़ा के स्तर से जॉच एवं कार्यवाही अपेक्षित है। प्रभागीय वनाधिकारी, कार्यालय से इस सम्बन्ध में पुनः पत्रांक 2259/8-2 दिनांक 22.10.2020 से वन क्षेत्राधिकारी अल्मोड़ा को जॉच हेतु निर्देशित किया गया है। विस्तृत जॉच रिर्पोट एवं कार्यवाही वन क्षेत्राधिकारी अल्मोड़ा के स्तर से की जानी है। उपरोक्त आरोप पत्र में वन क्षेत्राधिकारी अल्मोड़ा द्वारा प्रेषित किसी भी जॉच रिर्पोट को सम्मिलित नही किया गया है। अवैध पातन के लिए प्रयोक्ता ऐजेंसी के जिम्मेदार अधिकारी, अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत जिनकी सेवाए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 में राज्य को प्रदत्त शक्तियों के तहत् निर्गत उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 (संशोधन) नियमावली 2010 एवं उत्तराखण्ड कर्मचारी आचरण नियमावली 2002 से आच्छादित होती है, के विरूद्व उत्तराखण्ड शासन की ओर से कोई भी आरोप पत्र निर्गत कर अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ नही की गयी है। इसके अतिरिक्त भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 26(1) के तहत् अपराध पर प्रयोक्ता ऐजेंसी के जिम्मेदार अधिकारी अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत के विरूद्व सक्षम न्यायालय में परिवाद दाखिल करने की कार्यवाही भी आतिथि तक किया जाना संज्ञान में नहीं है। इसके अतिरिक्त यह भी उल्लेखनीय है कि उपरोक्त मोटर मार्ग के निर्माण हेतु उत्तराखण्ड वन विकास निगम अल्मोड़ा को आवंटित लौट संख्या 3/38/2020-21 दिनांक 02.03.2019 हस्तान्तरित करने के उपरान्त भी उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा जे0सी0बी0 से वृक्षों को उखाड़ने की सूचना वन विभाग को नहीं दी गयी थी, जबकि उत्तर प्रदेश वन निगम सहिता के अध्याय - 15 में वन उपज की सुरक्षा में वर्णित व्यवस्था 15-4(2) के तहत् स्थानीय वन अधिकारी को सूचित करना एवं प्रतिरोधक कार्यवाही में सहायता का दायित्व उत्तराखण्ड वन विकास निगम का था। उनके द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी को इस सम्बन्ध में कोई भी सूचना नहीं दी गयी है। जिलाधिकारी, अल्मोड़ा द्वारा अपने पत्रांक आदेश 4769/छब्बीस-05/2019-20 दिनांक 25.07.2020 द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा की अध्यक्षता में गठित जॉच समिति में अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत, उप जिलाधिकारी द्वाराहाट, प्रभागीय लौगिक प्रबन्धक अधिकारी, अल्मोड़ा को सम्मिलित किया गया था। जॉच समिति की रिर्पोट प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा के पत्रांक 1084/8-2 दिनांक 22.08.2020 द्वारा जिलाधिकारी अल्मोड़ा को प्रेषित की गयी है। जॉच समिति द्वारा अपनी जॉच रिर्पोट में स्पष्ट किया गया है कि कार्यदायी संस्था अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत द्वारा ही बिना छपान के 47 वृक्ष गिराये गये है। इस प्रकार उक्त अपराध के लिए प्रयोक्ता ऐजेंसी अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण

विभाग, रानीखेत एवं उत्तराखण्ड वन विकास निगम, अल्मोड़ा पूर्ण रूप से जिम्मेदार है। मामले में अपचारी कर्मचारी की कोई भूमिका नहीं है। विभाग को होने वाली क्षति की प्रतिपूर्ति भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 68 के तहत् प्रयोक्ता ऐजेंसी अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत से किया जाना न्याय हित मे आवश्यक है। मामलें में दर्ज रेंज केस संख्या–3/द्वाराहाट/2020–21 दिनांक 11.07.2020 की जॉच वर्तमान में गतिमान है। विभाग के पास अभियुक्त अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत के विरूद्व कार्यवाही हेतु पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है। वन क्षेत्राधिकारी अल्मोड़ा की जॉच आख्या जब तक लम्बित है तब तक उक्त आरोप अपचारी कर्मचारी पर साबित नही होते है।

आरोप संख्या 1 के सम्बन्ध में जाँच अधिकारी की आख्या/विवेचना :–

कोटिला–ग्वाड़–सुरईखेत मोटर मार्ग निर्माण में आरक्षित वन चन्थरिया में 18 चिन्हित वृक्षों के अतिरिक्त 47 अन्यवृक्षों का अवैध पातन होने के उपरान्त वन अपराध में दोषी व्यक्ति के विरूद्व कोई कार्यवाही ना करने तथा अवैध पातन की कोई सूचना उच्च स्तर को ना देने एवं उक्त क्षेत्र में हुए अवैध पातन के फलस्वरूप 1,81,694/– की क्षति के लिए उत्तरदायी होने केसम्बन्ध में अपचारी कर्मचारी द्वारा दिया गया उत्तर मान्य नहीं है। घटना स्थल से लगभग 1.50 किमी0 दूरी पर अनुभाग मुख्यालय में रहते हुए अवैध कार्यो की जानकारी ना होना तर्क संगत प्रतीत नही होता है। साक्ष्यो के बयानो व उपलब्ध अभिलेखों से पुष्टि होती है कि घटना रोड निर्माण में बरती जा रही अनियमितताए माह फरवरी से मई 2020 के बीच घटित हुई। घटना की शिकायत होने पर प्रभागीय वनाधिकारी एवं जॉच टीम द्वारा जॉच करने के उपरान्त अपचारी कर्मचारी द्वारा घटना के जुर्म केश वन बीट अधिकारी से इजराय करवाये गये। उक्त प्रकरण में अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत के विरूद्व जुर्म केस इजराय किये गये है तथा जिनकी जॉच चल रही है। अतः अवैध पातन के फलस्वरूप हुई क्षति के लिए अपचारी कर्मचारी पर वर्तमान में उत्तदायित्व का निधारण नही किया जा सकता है, परन्तु वन अपराध में दोषी व्यक्ति के विरूद्व समयान्तर्गत कोई कार्यवाही ना करना तथा अवैध पातन एवं अन्रू अनियमितताओ की सूचना उच्च स्तर को ना देने के आरोप की पुष्टि होती है।

आरोप संख्या 2 :– कोटिला–ग्वाड़–सुरईखेत मोटर मार्ग जिसके निर्माण में प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा वन पंचायत ग्वाड़, सिविल भूमि ग्वाड़, नाप भूमि ग्वाड़, सिविल भूमि कोटिला, नाप भूमि कोटिला, नाप भूमि बयेला, सिविल भूमि बयेला, सिविल भूमि फल्द्वाड़ी, नाप भूमि फल्द्वाड़ी में वृक्षों के अवैध पातन करने की सूचना उच्चाधिकारियों को ना देने एवं उक्त के विरूद्व कोई भी अपराध निर्धारित समयावधि में दर्ज ना करने के आरोप में आरोपित किया जाता है।

आरोप संख्या 2 के क्रम में अपचारी कर्मचारी का प्रतिउत्तर :–

प्रत्युत्तर :– उक्त के प्रतिउत्तर में अवगत कराना है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन पंचायत ग्वाड़, सिविल भूमि ग्वाड़, नाप भूमि ग्वाड़, सिविल भूमि कोटिला, नाप भूमि कोटिला, नाप भूमि बयेला, सिविल भूमि बयेला,सिविल भूमि फल्द्वाड़ी, नाप भूमि फल्द्वाड़ी में वृक्षो के अवैध पातन की सूचना उच्चाधिकारीयों को ना देने एवं उसके विरूद्व कार्यवाही ना करने के आरोप में प्रार्थी को आरोपित किया गया है। यहा यह भी उल्लेखनीय है कि प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा के कार्यालय आदेश संख्या – 249/8–2 दिनांक 17.08.2020 द्वारा श्री बी0एस0 किरौला, उप प्रभागीय वनाधिकारी, रानीखेत की अध्यक्षता में एक नौ सदस्य जॉच समिति का गठन किया गया था। जॉच समिति द्वारा उप प्रभागीय वनाधिकारी, रानीखेत के पत्रांक 78/8–1 दिनांक 17.08.2020 द्वारा अपनी जॉच रिर्पोट प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा को सौपी गयी है। जॉच समिति के रिर्पोट के अतिरिक्त कथन कमांक 8 पर उल्लेख किया गया है कि उत्तराखण्ड पंचायती वन नियमावली 2005 के नियम 19 के तहत् प्रबन्धक समिति का यह दायित्व है कि वह अवैध पातन को नियत्रिंत करे। समिति द्वारा स्पष्ट किया गया है कि सम्बन्धित वन पंचायत समितियों द्वारा उत्तरांचल वन पंचायत नियमावली के नियम 19 में विहित व्यवस्था के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी/ वन क्षेत्राधिकारी को कोई सूचना नहीं दी गयी है। इसी रिर्पोट कमांक 7 में जॉच समिति द्वारा उल्लेख किया गया है कि संयुक्त प्रांत (ब्रिटिश शासन) के अधीन निर्गत अधिसूचना संख्या – 869 दिनांक 17.10.1893 द्वारा कुमाऊॅ क्षेत्र के पर्वतीय क्षेत्र की बेनाप एवं बंजर भूमि (आरक्षित एवं नाप भूमि को छोड़कर) आरक्षित वन घोषित किया गया है। वर्ष 1894 में उक्त संरक्षित वनों को खुले सिविल एवं बंद सिविल वनो में वर्गीकृत किया गया है। इसका सम्पूर्ण प्रबन्धन एवं दायित्व राजस्व विभाग का होना समिति की रिर्पोट में उल्लेखित है। इसके अतिरिक्त समिति द्वारा अपनी रिर्पोट के अतिरिक्त कथन के कमांक 9 पर उल्लेख किया गया है कि उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 के अतिरिक्त नाप भूमि में सक्रमणीय भूमिधरो की भूमि के वृक्षों का अवैध पातन होने पर भारतीय दंड सहिता की धारा 379/411 का अपराध भी

दर्ज होता है। इस सम्बन्ध में श्री महेश चन्द्र पाण्डे पुत्र राम दत्त पाण्डे, ग्राम ग्वाड़, पोस्ट द्वाराहाट, जिला अल्मोड़ा द्वारा दिनांक 23.05.2020 को राजस्व उपनिरीक्षक को प्राथमिक रिर्पोट दर्ज कराने हेतु अनुरोध पत्र प्रेषित किया गया था। जिस पर राजस्व विभाग द्वारा कोई भी कार्यवाही नही की गयी। इस प्रकार आरोप पत्र में वर्णित लिखित साक्ष्य संख्या –6 उप प्रभागीय वनाधिकारी, रानीखेत का पत्रांक – 78/8–1 दिनांक 17.08.2020 आरोप पत्र का समर्थन नहीं करता है। इस आधार पर अपचारी कर्मचारी/प्रार्थी के विरूद्व आरोप स्थापित नही होते है। जिलाधिकारी, अल्मोड़ा द्वारा अपने पत्रांक आदेश 4769/छब्बीस–05/2019–20 दिनांक 25.07.2020 द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा की अध्यक्षता में गठित जॉच समिति में अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत, उप जिलाधिकारी द्वाराहाट, प्रभागिय लौगिंग प्रबन्धक अल्मोड़ा को सम्मिलित किया था। जॉच समिति की रिर्पोट प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा के पत्रांक 1084/8–2 दिनांक 22.08.2020 द्वारा जिलाधिकारी, अल्मोड़ा को प्रेषित की गयी है। जॉच समिति द्वारा अपनी जॉच रिर्पोट में स्पष्ट किया गया है कि कार्यदायी संस्था अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत द्वारा ही बिना छपान के वृक्ष गिराये गये है। इस प्रकार उक्त अपराध के लिए प्रयोक्ता ऐजेंसी अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत एवं उत्तराखण्ड वन विकास निगम, अल्मोड़ा पूर्ण रूप से जिम्मेदार है। मामले में आपचारी कर्मचारी की कोई भूमिका नहीं है। राजस्व विभाग/वन पंचायत को होने वाली क्षति की प्रतिपूर्ति भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 68 के तहत् प्रयोक्ता ऐजेंसी अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत से किया जाना न्याय हित में आवश्यक है। मामले में दर्ज रेंज केस संख्या –4/द्वाराहाट/2020–21 दिनांक 12.08.2020,5/द्वाराहाट/2020–21 दिनांक 12.08.2020, 6/द्वाराहाट/2020–21 दिनांक 12.08.2020, 7/द्वाराहाट/2020–21 दिनांक 12.08.2020, 8/द्वाराहाट/2020–21 दिनांक 12.08.2020, 9/द्वाराहाट/2020–21 दिनांक 12.08.2020, 10/द्वाराहाट/2020–21 दिनांक 12.08.2020, 11/द्वाराहाट/2020–21 दिनांक 12.08.2020 एवं 12/द्वाराहाट/2020–21 दिनांक 12.08.2020 की जॉच वर्तमान में गतिमान है। विभाग के पास अभियुक्त अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत के विरूद्व कार्यवाही हेतु पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है। वन क्षेत्राधिकारी अल्मोड़ा की जॉच आख्या जब तक लम्बित है तब तक उक्त आरोप अपचारी कर्मचारी पर साबित नही होते है। जिलाधिकरी, अल्मोड़ा द्वारा गठित जॉच समिति की रिर्पोट के जॉच निष्कर्ष के प्रस्तर – 7,8 एवं 9 के कथन निम्न प्रकार जॉच रिर्पोट में उल्लेखित है :–

7. उत्तराचंल पंचायती वन नियमावली 2005 के नियम 19 के तहत् वन पंचायत प्रबन्धन समिति का दायत्व भी अवैध पातन को नियंत्रित करने का है। सरपंच/वन पंचायत प्रबन्धन समिति द्वारा उक्त वन पंचायत भूमि में वृक्षों के अवैध रूप से गिराने पर कोई भी कार्यवाही नही की गयी और ना ही कोई सूचना वन विभाग को दी गयी।

8. उक्त निर्माण कार्य में सिविल, पंचायती एवं नाप भूमि में अवैध पातन पर कार्यवाही राजस्व विभाग के स्तर पर भी अपेक्षित है।

9. श्री महेश चन्द्र पाण्डे, पुत्र श्री राम दत्त पाण्डे, ग्राम ग्वाड़, पोस्ट द्वाराहाट, जिला अल्मोड़ा द्वारा दिनांक 23.05.2020 को राजस्व उपनिरीक्षक, ध्याड़ी को एक रिर्पोट नाप भूमि में वृक्षों के अवैध पातन करने पर प्राथमिकी दर्ज करने हेतु प्रेषित की गयी जिसमें राजस्व विभाग के स्तर से कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। इस प्रकार जिलाधिकारी, अल्मोड़ा के स्तर से गठित समिति की प्रशासनिक जॉच एवं प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा के स्तर से गठित समिति की उच्च स्तरीय जॉच से स्पष्ट है कि नाप भूमि, सिविल भूमि पर हुए अवैध पातन पर कार्यवाही का दायित्व राजस्व विभाग का था। राजस्व विभाग द्वारा मामलें में किसी भी राजस्व अधिकारी के विरूद्व उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 (संशोधन) 2010 के तहत् आरोप पत्र जारी नही किया गया है। इसके अतिरिक्त उत्तरांचल पंचायती वन नियमावली 2005 के नियम 19 में विहित कर्तव्यों के अनुपालन में विफल होने पर भी जिलाधिकारी, अल्मोड़ा के स्तर से किसी भी वन पंचायत प्रबन्धन समिति को निलम्बिंत या विघटित/विखण्डित नही किया गया है। इस प्रकार उपरोक्त तथ्यों के आधार पर आरोप अपचारी कर्मचारी के विरूद्व स्थापित नहीं होता है।

<u>आरोप संख्या 2 के सम्बन्ध में जाँच अधिकारी की आख्या/विवेचना :–</u>

कोटिला–ग्वाड़–सुरईखेत मोटर मार्ग जिसके निर्माण में प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा वन पंचायत ग्वाड़, सिविल भूमि ग्वाड़, नाप भूमि ग्वाड़, सिविल भूमि कोटिला, नाप भूमि कोटिला, नाप भूमि बयेला, सिविल भूमि बयेला, सिविल भूमि फल्द्वाड़ी, नाप भूमि फल्द्वाड़ी में वृक्षों के अवैध पातन करने की सूचना उच्चाधिकारियों को ना देने एवं उक्त के विरूद्व कोई भी अपराध निर्धारित समयावधि में दर्ज ना करने के आरोप के संबंध में अपचारी कमचारी का उत्तर तर्क संगत नही है। घटना के विरूद्व राजस्व अधिकारियों

एवं उच्चाधिकारियों को घटना घटित होने के लगभग 6 माह पश्चात् तक सूचित ना करने एवं सम्बन्धित के विरूद्व कोई भी अपराध निर्धारित समयावधि में दर्ज ना करने के आरोप की पुष्टि होती है।

आरोप संख्या 3 :– कोटिला–ग्वाड़–सुरईखेत मोटर मार्ग में चन्थरिया आरक्षित वन में 400 मी0 × 7 मी0 सड़क का निर्माण स्वीकृत परियोजना के सापेक्ष होना था, लेकिन मामलें में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा गठित जॉच समिति की रिर्पोट के जॉच परिणाम में 630 मी0 × 4 मी0 सड़क का कटान होना प्रकाश में आया है।अपचारी कर्मचारी को बिना स्वीकृति के 230 मी0 अतिरिक्त सड़क निर्माण जो आरक्षित वन क्षेत्र में किया गया है को ना रोक पाने, सड़क निर्माण में वन संरक्षण अधिनियम का उल्लघंन करने का अपराध दर्ज ना करने, अपराध रोकने के लिए कोई प्रयास ना करने, अपराध होने की सूचना उच्चाधिकारियों को ससमय ना देने के आरोप में आरोपित किया जाता है।

आरोप संख्या 3 के क्रम में अपचारी कर्मचारी का प्रतिउत्तर :–

प्रत्युत्तर :– उक्त आरोप के प्रतिउत्तर में अवगत करान है कि जिलाधिकारी, अल्मोड़ा द्वारा अपने पत्रांक आदेश 4769/छब्बीस–05/2019–20 दिनांक 25.07.2020 द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा की अध्यक्षता में गठित जॉच समिति में अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत, उप जिलाधिकारी द्वाराहाट, प्रभागीय लौगिक प्रबन्धक अधिकारी, अल्मोड़ा को सम्मिलित किया गया था। जॉच समिति की रिर्पोट प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा के पत्रांक 1084/8–2 दिनांक 22.08.2020 द्वारा जिलाधिकारी अल्मोड़ा को प्रेषित की गयी है। जॉच समिति द्वारा अपनी जॉच रिर्पोट निष्कर्ष संख्या – 3 में निम्न प्रकार कथन प्रस्तुत किया गया है :–

3. लोक निर्माण विभाग द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 की धारा 02 के तहत् कोटिला–ग्वाड़–सुरईखेत मोटर मार्ग के निर्माण हेतु आरक्षित वन चन्थरिया के कक्ष संख्या 15 व 16 में स्वीकृत 400 मी0 × 7 मी0 सड़क के स्थान पर वर्तमान तक 630 मी0 × 4 मी0 सड़क काटी गयी है। उक्त मोटर मार्ग के निर्माण में कुल 5.500 किमी0 वन भूमि का कार्यदायी संस्था को हस्तान्तरित हुई है, जिसमें निर्माण कार्य प्रगति पर है। आरक्षित वन भूमि में स्वीकृत 400 मी0 से अधिक लम्बाई में रोड काटे जाने से वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लघंन हुआ है, जिसके लिए कार्यदायी संस्था पूर्णरूप से उत्तरदायी है, किंतु लोक निर्माण विभाग उक्त से सहमत नहीं है।

इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता ऐजेंसी के विरूद्व रेंज केस संख्या 3/द्वाराहाट/2020–21 दिनांक 11.07.2020 को दर्ज किया गया है। मामले की विवेचना वन क्षेत्राधिकारी अल्मोड़ा के स्तर से गतिमान है। प्रयोक्त ऐजेंसी द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा 2/3 का स्पष्ट उल्लघंन किया गया है। जिलाधिकारी, अल्मोड़ा द्वारा गठित प्रशासनिक जॉच समिति की रिर्पोट में प्रयोक्ता ऐजेंसी द्वारा अपराध किया जाना स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रहा है। इसके अतिरिक्त प्रयोक्ता ऐजेंसी द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, के क्षेत्रीय कार्यालय(उत्तर केन्द्रीय क्षेत्र) 25 सुभाष रोड देहरादून के पत्रांक 8बी/यू0सी0पी0/06/153/2015–एफ0–सी0 1472 दिनांक 23.10.2018 में विहित शर्तो का उल्लघंन किया है। शर्तो के उल्लघंन करने पर उक्त सैद्वान्तिक एवं विधिवत स्वीकृतिया निरस्त करने योग्य है एवं दोषी अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत के विरूद्व सक्षम न्यायालय में परिवाद दाखिल किया जा सकता है। प्रयोक्ता ऐजेंसी से जिम्मेदार अधिकारी अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत जिनकी सेवाए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 में राज्य को प्रदत्त शक्तियों के तहत् निर्गत उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 (संशोधन) नियमावली 2010 एवं उत्तराखण्ड कर्मचारी आचरण नियमावली 2002 से आछादित होती है, के विरूद्व उत्तराखण्ड शासन की ओर से कोई भी आरोप पत्र निर्गत कर अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ नही की गयी है। अपचारी कर्मचारी द्वारा मामले में अपराध दर्ज करने की कार्यवाही की जानी थी, क्योकि वह वन दरोगा/अनुभाग अधिकारी के पद पर कार्यरत था। वन क्षेत्र स्तर से ऐसा कोई आदेश अपचारी कर्मचारी को निर्गत नहीं किया गया था। जिसमें अपचारी कर्मचारी के स्तर से मामले में अपराध दर्ज किया जाना हो।

आरोप संख्या 3 के सम्बन्ध में जॉंच अधिकारी की आख्या/विवेचना :–

कोटिला–ग्वाड़–सुरईखेत मोटर मार्ग में चन्थरिया आरक्षित वन में 400 मी0 × 7 मी0 सड़क का निर्माण स्वीकृत परियोजना के सापेक्ष होना था, लेकिन मामलें में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा गठित जॉच समिति की रिर्पोट के जॉच परिणाम में 630 मी0 × 4 मी0 सड़क का कटान होना प्रकाश में आया है। अपचारी कर्मचारी को बिना स्वीकृति के 230 मी0 अतिरिक्त सड़क निर्माण जो आरक्षित वन क्षेत्र में किया गया है को ना रोक पाने, सड़क निर्माण में वन संरक्षण अधिनियम का उल्लघंन करने का अपराध दर्ज ना

करने, अपराध रोकने के लिए कोई प्रयास ना करने, अपराध होने की सूचना उच्चाधिकारियों को ससमय ना देने के सम्बन्ध में अपचारी कर्मचारी का उत्तर मान्य नही है। अतः उक्त आरोपकीपुष्टि होती है।

आरोप संख्या 4 :– लौट संख्या 03/38/2020–21 में छपान किये गये वृक्षों का पातन वन विकास निगम के स्थान पर प्रयोक्ता ऐजेसी के द्वारा किया जाना जॉच समिति की रिर्पोट में प्रकाश में आया है। प्रयोक्ता ऐजेसी का यह कार्य मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा रिट याचिका संख्या 202/1995 टी0एन0 गोडाबर्मन बनाम् भारत संघ व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 12.12.1996 के विपरीत है। इस कार्य से वन विकास निगम को वृक्षों के पातन/विपणन से प्राप्त होने वाली रायल्टी/आय प्राप्त नहीं हुई है। अपचारी कर्मचारी को इस प्रकार के अपराध की सूचना उच्च स्तर को ससमय ना देने एवं अपने स्तर से मामलें में कोई कार्यवाही ना करने के आरोप में आरोपित किया जाता है।

आरोप संख्या 4 के क्रम में अपचारी कर्मचारी का प्रतिउत्तर :–

प्रत्युत्तर :– उक्त के प्रतिउत्तर में अवगत कराना है कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, के क्षेत्रीय कार्यालय(उत्तर केन्द्रीय क्षेत्र) 25 सुभाष रोड देहरादून के पत्रांक 8बी/यू0सी0पी0/06/153/ 2015 –एफ0–सी0 1472 दिनांक 23.10.2018 पृष्ठ संख्या–2, शर्त संख्या 12 में निम्न प्राविधान रखे गये है :–

12. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/ प्रयोक्ता ऐजेंसी की जिम्मेदारी होगी।

इस प्रकार स्पष्ट है कि मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा रिट याचिका संख्या – 202/1995 टी0एन0 गोडाबर्मन बनाम् यूनियन ऑफ इण्डिया में पारित निर्णय दिनांक 12.12.1996 के उल्लघंन की कार्यवाही प्रयोक्ता अभिकरण अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत के द्वारा की गयी है। प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा के कार्यालय आदेश संख्या – 249/8–2 दिनांक 17.08.2020 द्वारा श्री बी0एस0 किरौला, उप प्रभागीय वनाधिकारी, रानीखेत की अध्यक्षता में एक नौ सदस्यीय जॉच समिति का गठन किया गया था। जॉच समिति द्वारा उप प्रभागीय वनाधिकारी, रानीखेत का पत्रांक 78/8–1 दिनांक 17.08.2020 द्वारा अपनी जॉच रिर्पोट प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा को सौपी गयी। जॉच समिति की रिर्पोट के जॉच परिणाम के बिन्दु संख्या – 6 पर स्पष्ट किया गया है कि लौट संख्या – 3/38/2020–21 में वृक्षों का कटान कार्य उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा ही किया जाना था। प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा द्वारा अपने पत्रांक 1258/1–15 दिनांक 22.10.2020 के माध्यम से अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत को स्पष्ट रूप से अवगत कराया गया है कि उनके स्तर से ही वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानो का उल्लघंन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा द्वारा अपने पत्रांक 260/8–2 दिनांक 13.07.2020 में अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत को पत्र जारी कर स्पष्ट किया गया है कि उनके द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 202/1995 टी0एन0 गोडाबर्मन बनाम् यूनियन ऑफ इण्डिया में पारित निर्णय दिनांक 12.12.1996 के उल्लघंन की कार्यवाही की गयी है। इसके अतिरिक्त यह भी स्पष्ट करना है कि प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोडा वन प्रभाग, अल्मोड़ा एवं जिलाधिकारी, अल्मोड़ा द्वारा गठित जॉच समितियों में भी यह स्पष्ट दृष्टिगोचर हुआ है कि मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.12.1996 का उल्लघंन प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा किया गया है। इसके अतिरिक्त यह भी उल्लेखनीय है कि उपरोक्त मोटर मार्ग के निर्माण हेतु उत्तराखण्ड वन विकास निगम, अल्मोड़ा को आवंटित लौट संख्या –3/38/2020–21 दिनांक 02.06.2020 को हस्तान्तरित करने के उपरान्त ही उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा जे0सी0बी0 से वृक्षों को उखाड़ने की सूचना वन विभाग को नही दी गयी थी, जबकि उत्तर प्रदेश वन विकास निगम सहिता के अध्याय – 15 में वन उपज की सुरक्षा में वर्णित व्यवस्था 15–4(2) के तहत् स्थानीय वनाधिकारी को सूचित करना एवं प्रतिरोधक कार्यवाही में सहायता का दायित्व उत्तराखण्ड वन विकास निगम का था। उनके द्वारा प्रभागीय वाधिकारी को इस सम्बन्ध में कोई भी सूचना नहीं दी गयी। जिलाधिकारी, अल्मोड़ा द्वारा अपने पत्रांक आदेश 4769/छब्बीस–05/2019–20 दिनांक 25.07.2020 द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा की अध्यक्षता में गठित जॉच समिति में अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत, उप जिलाधिकारी द्वाराहाट, प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक अल्मोड़ा को सम्मिलित किया था। जॉच समिति की रिर्पोट प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा के पत्रांक 1084/8–2 दिनांक 22.08.2020 द्वारा जिलाधिकारी, अल्मोड़ा को प्रेषित की गयी है। जॉच समिति के द्वारा अपनी जॉच रिर्पोट भी स्पष्ट किया गया है कि कार्यदायी संस्था अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग,

रानीखेत द्वारा ही बिना छपान के वृक्ष गिराये गये थे। इस प्रकार उक्त अपराध के लिए प्रयोक्ता ऐजेंसी अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत एवं उत्तराखण्ड वन विकास निगम अल्मोड़ा पूर्ण रूप से जिम्मेदार है। उपरोक्त बिन्दुओं के सापेक्ष वन अपराध दर्ज किये गये है, जिनकी विवेचना श्रीमती संचिता वर्मा, वन क्षेत्राधिकारी अल्मोड़ा द्वारा की जा रही है। मामले में अपचारी कर्मचारी की ओर से कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। आरोप संख्या – 4 अपचारी कर्मचारी के विरूद्ध स्थापित नहीं होता है।

आरोप संख्या 4 के सम्बन्ध में जाँच अधिकारी की आख्या/विवेचना :–

लौट संख्या 03/38/2020–21 में छपान किये गये वृक्षों का पातन वन विकास निगम के स्थान पर प्रयोक्ता ऐजेसी के द्वारा किया जाना जॉच समिति की रिर्पोट में प्रकाश में आया है। प्रयोक्ता ऐजेसी का यह कार्य मा० उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा रिट याचिका संख्या 202/1995 टी०एन० गोडाबर्मन बनाम् भारत संघ व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 12.12.1996 के विपरीत है। इस कार्य से वन विकास निगम को वृक्षों के पातन/विपणन से प्राप्त होने वाली रायल्टी/आय प्राप्त नहीं हुई है। अपचारी कर्मचारी को इस प्रकार के अपराध की सूचना उच्च स्तर को ससमय ना देने एवं अपने स्तर से मामलें में कोई कार्यवाही ना करने के आरोप की पुष्टि होती है।

आरोप संख्या 5 :– कोटिला–ग्वाड़–सुरईखेत मोटर मार्ग परियोजना के तहत् प्रयोक्ता ऐजेंसी को परियोजना में निर्धारित स्थल पर ही सड़क के मलुवे का निस्तारण करना था, लेकिन प्रयोक्ता ऐजेंसी द्वारा चन्थरिया आरक्षित वन कक्ष संख्या 15 व 16 में ही मलुवे का निस्तारण किया गया है। यह कार्य भारत सरकार द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा 2 के तहत् वन भूमि के गैरवानिकी कार्यो के प्रयोग हेतु वन भूमि के हस्तांनतरण की शर्तो एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिर्वतन मंत्रालय, के क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर केन्द्रीय क्षेत्र) 25 सुभाष रोड देहरादून के पत्रांक 8बी/यू०सी०पी०/06/153/2015–एफ०–सी० 1472 दिनांक 23.10.2018 की शर्तो के विपरीत है। अपचारी कर्मचारी को आरक्षित वन चन्थरिया कक्ष सं० 15 व 16 में प्रयोक्ता ऐजेंसी द्वारा मलुवा डालने पर कोई कार्यवाही ना करने, मलुवा डालने की सूचना उच्च स्तर को ना देने एवं अपने राजकीय दायित्वों का निष्पादन पूर्ण कर्तव्य निष्ठा से ना करने के आरोप में आरोपित किया जाता है।

आरोप संख्या 5 के क्रम में अपचारी कर्मचारी का प्रतिउत्तर :–

प्रत्युत्तर :–उक्त आरोप के प्रतिउत्तर में अवगत कराना है कि वर्ष 2020 में वैश्विक माहमारी कोविड–19 के कारण प्रधानमंत्री भारत सरकार द्वारा मार्च 2020 से पूरे देश में लॉकडाउन घोषित किया गया था। लॉकडाउन की अवधि में किसी को भी घर से बाहर बेवजह निकलने पर उसके विरूद्ध पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज किया जा रहा था। मामलें की प्रशासनिक जॉच जिलाधिकारी, अल्मोड़ा द्वारा करायी गयी थी, किन्तु लॉकडाउन की अवधि में प्रयोक्ता ऐजेंसी एवं सम्बन्धित ठेकेदारों द्वारा किस प्रकार बिना प्रशासन के अनुमति के कार्य प्रारम्भ किया गया, इस पर कोई भी जॉच नहीं हो सकी है। इसके अतिरिक्त लॉकडाउन की अवधि में निर्माण कार्य करने वाले ठेकेदारो एवं प्रयोक्ता अभिकरण के अधिकारियों के विरूद्व आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 के अन्तर्गत कोई भी कार्यवाही नहीं की गयी है। इस मामलें में यह भी स्पष्ट किया जाना है कि जब मामला वन विभाग मे संज्ञान में आया तो निर्माण कार्य रूकवा दिया गया था। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, के क्षेत्रीय कार्यालय(उत्तर केन्द्रीय क्षेत्र) 25 सुभाष रोड देहरादून के पत्रांक 8बी/यू०सी०पी०/06/153/2015–एफ०–सी० 1472 दिनांक 23.10.2018 से जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति जो कोटिला–ग्वाड़–सुरईखेत मोटर मार्ग के निर्माण हेतु जारी थी, कि शर्तो का स्पष्ट उल्लघंन किया गया है। इस हेतु प्रभागीय वनाधिकारी अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा द्वारा गठित जॉच समिति एवं जिलाधिकारी, अल्मोड़ा द्वारा गठित प्रशासनिक जॉच समिति की रिर्पोटो में भी यह स्पष्ट किया गया है कि मलुवा निर्धारत डपिंग जोन मे नहीं निस्तारित किया गया। प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा के पत्रांक 2258/1–15 दिनांक 22.10.2020 से प्रयोक्ता अभिकरण को पत्र जारी कर स्पष्ट किया गया है कि उक्त मलुवा निस्तारण डपिंग जोन में नहीं हुआ है। अत्यन्त खेद का विषय है कि दोषी अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत के विरूद्व उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 (संशोधन) नियमावली 2010 एवं उत्तराखण्ड कर्मचारी आचरण नियमावली 2002 के तहत् किसी भी कार्यवाही का प्रस्ताव शासन को संदर्भित नहीं हुआ है। मामलें में वन अपराध दर्ज है। जिसकी विवेचना वन क्षेत्राधिकारी अल्मोड़ा के स्तर से की जा रही है। अभी तक विवेचना परिणाम को आरोप पत्र में संलग्न नहीं किया गया है। भारत सरकार द्वारा निर्गत वन भूमि प्रत्यावर्तन की शर्तो के उल्लघंन में उक्त मोटर मार्ग के निर्माण हेतु जारी सैद्वान्तिक एंव विधिवत स्वीकृतियों को भी

निरस्त करने की कार्यवाही नही हुई है। मामला संज्ञान में आने के उपरान्त वन क्षेत्र स्तर से विधिवत कार्यवाही की गयी है एवं राजकीय कर्मचारी के रूप में अपने दायित्वों को कर्तव्य परायणता से निर्वहन किया गया है। इस कारण उक्त आरोप अपचारी कर्मचारी के विरूद्व स्थापित नहीं होते है।

आरोप संख्या 5 के सम्बन्ध में जाँच अधिकारी की आख्या/विवेचना :–

कोटिला–ग्वाड़–सुरईखेत मोटर मार्ग परियोजना के तहत् प्रयोक्ता ऐजेंसी को परियोजना में निर्धारित स्थल पर ही सड़क के मलुवे का निस्तारण करना था, लेकिन प्रयोक्ता ऐजेंसी द्वारा चन्थरिया आरक्षित वन कक्ष संख्या 15 व 16 में ही मलुवे का निस्तारण किया गया है। यह कार्य भारत सरकार द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा 2 के तहत् वन भूमि के गैरवानिकी कार्यो के प्रयोग हेतु वन भूमि के हस्तांनतरण की शर्तो एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, के क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर केन्द्रीय क्षेत्र) 25 सुभाष रोड देहरादून के पत्रांक 8बी/यू0सी0पी0/06/153/2015–एफ0–सी0 1472 दिनांक 23.10.2018 की शर्तो के विपरीत है। अपचारी कर्मचारी को आरक्षित वन चन्थरिया कक्ष सं0 15 व 16 में प्रयोक्ता ऐजेंसी द्वारा मलुवा डालने पर कोई कार्यवाही ना करने, मलुवा डालने की सूचना उच्च स्तर को ना देने एवं अपने राजकीय दायित्वों का निष्पादन पूर्ण कर्तव्य निष्ठा से ना करने के आरोप के सम्बन्ध में अपचारी कर्मचारी का उत्तर तर्क संगत नही है। अतः उक्त आरोप की पुष्टि होती है।

आरोप संख्या 6 :– कोटिला–ग्वाड़–सुरईखेत मोटर मार्ग के निर्माण का कार्य माह फरवरी 2020 से प्रारम्भ होना जॉच समिति की रिर्पोट में उल्लेखित है। माह फरवरी से जून 2020 तक अपचारी कर्मचारी के द्वारा आरक्षित वन चन्थरिया अनुभाग में प्रभावी रूप से गश्त नही की गयी एवं ना ही उपरोक्त प्रकरण में वन अपराध को रोकने हेतु कोई भी सूचना उच्च स्तर को प्रेषित की गयी। अपचारी कर्मचारी का यह कृत्य भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 66 जिसमे वन अधिकारी को वन अपराध को रोकने का दायित्व दिया गया है का घोर उल्लघंन है।अपचारी कर्मचारी को अनुभाग में प्रभावी गश्त ना करने, राजकीय कार्यो में शिथिलता बरतने के आरोप मे आरोपित किया जाता है।

आरोप संख्या 6 के क्रम में अपचारी कर्मचारी का प्रतिउत्तर :–

प्रत्युत्तर :– उक्त आरोप के प्रतिउत्तर में अवगत कराना है कि लौट संख्या 3/38/2020–21 का आवंटन प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा के पत्रांक 4202/9–1(2) दिनांक 20.05.2020 से उत्तराखण्ड वन विकास निगम अल्मोड़ा को हुआ था। वन विकास निगम अल्मोड़ा द्वारा दिनांक 02.06.2020 को उक्त लौट का कार्यभार ग्रहण कर लिया गया था। लौट का कार्यभार ग्रहण करते समय समस्त छापे गये वृक्ष उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा कब्जे में प्राप्त किये गये थे। उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा कोई ऐसी सूचना दिनांक 02.06.2020 के उपरान्त प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा को नहीं दी गयी है। इस प्रकार यह कहना की कार्य माह फरवरी से प्रारम्भ हो गया था सही नहीं है। यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि विभाग द्वारा दिनांक 02.06.2020 को लौट संख्या 3/38/2020–21 को हस्तान्तरण करने से पूर्व किसी वृक्ष का क्षतिग्रस्त होना या जे0सी0बी0 से गिराया जाना किसी भी अभिलेख में दर्ज नहीं है। प्रभागीय वनाधिकारी , अल्मोड़ा के पत्रांक 249/8–2 दिनांक 13.07.2020 से गठित जॉच समिति एवं जिलाधिकारी, अल्मोड़ा के पत्रांक 4769/छब्बीस–05/2019–20 दिनांक 25.07.2020 से गठित उच्च स्तरीय प्रशासनिक जॉच समिति में भी कही पर इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है कि वृक्षों का पातन कार्य माह फरवरी 2020 से प्रारम्भ हुआ था। जिलाधिकारी, अल्मोड़ा द्वारा गठित जॉच समिति के जॉच निष्कर्ष के बिन्दु 1 व 2 निम्न प्रकार है :–

1. वन विकास निगम, अल्मोड़ा को लौट संख्या 3/38/2020–21 दिनांक 02.06.2020 को हस्तान्तिरत करने के उपनरान्त भी वन विकास निगम अल्मोड़ा द्वारा जे0सी0बी0 मशीन से वृक्षों के उखाड़े जाने की सूचना नहीं दी गयी और ना ही कोई प्राथमिकी दर्ज करायी है। जबकि वन विकास निगम सहिता के अनुसार क्षति की सूचना एवं प्राथमिकी का दायित्व उत्तराखण्ड वन विकास का था।
2. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत द्वारा लौट में वृक्षों को उखाड़ने का कार्य जे0सी0बी0 मशीन से किया गया है जो कि अवैधानिक है जबकि वृक्षों का पातन वन विकास निगम द्वारा किया जाना था।

इस प्रकार स्पष्ट है कि वृक्षों को उखाड़ने / पातन का कार्य लौट हस्तान्तरण के उपरान्त किया गया है। माह फरवरी से लौट हस्तान्तरण तक वृक्षों के पातन किये जाने का कोई भी साक्षय आरोप पत्र के साथ संलग्न नही है। अतः आरोप पत्र में वर्णित साक्षय आरोपो की पुष्टि नही करते है।

आरोप संख्या 6 के सम्बन्ध में जाँच अधिकारी की आख्या/विवेचना :–

कोटिला–ग्वाड़–सुरईखेत मोटर मार्ग के निर्माण का कार्य माह फरवरी 2020 से प्रारम्भ होना जॉच समिति की रिर्पोट में उल्लेखित है। माह फरवरी से जून 2020 तक अपचारी कर्मचारी के द्वारा आरक्षित वन चन्थरिया अनुभाग में प्रभावी रूप से गश्त नही की गयी एवं ना ही उपरोक्त प्रकरण में वन अपराध को रोकने हेतु कोई भी सूचना उच्च स्तर को प्रेषित की गयी। अपचारी कर्मचारी का यह कृत्य भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 66 जिसमे वन अधिकारी को वन अपराध को रोकने का दायित्व दिया गया है का घोर उल्लघंन है। अपचारी कर्मचारी को अनुभाग में प्रभावी गश्त ना करने, राजकीय कार्यो में शिथिलता बरतने के आरोप की पुष्टि होती है।

आरोप संख्या 7 :– चन्थरिया कक्ष संख्या 15 व 16 की दूरी रेंज कार्यालय/अनुभाग मुख्यालय से लगभग 1.5 किमी एवं विभागीय पौधालय बालेश्वर से लगभग 100 मी0 है। अपचारी कर्मचारी द्वारा अपने अनुभाग मुख्यालय से इतने निकटवर्ती क्षेत्र का 4 माह तक निरीक्षण नहीं किया गया है। अपचारी कर्मचारी का यह कृत्य उत्तरांचल राज्य कर्मचारियों की आचरण नियमावली 2002 के नियम 3 (1) के विपरीत है। अपचारी कर्मचारी को उत्तरांचल राज्य कर्मचारियो की आचरण नियमावली 2002 के नियम 3 (1) के विपरीत आचरण करने के लिए आरोपित किया जाता है।

आरोप संख्या 7 के क्रम में अपचारी कर्मचारी का प्रतिउत्तर :–

प्रत्युत्तर :– उक्त आरोप के प्रतिउत्तर में अवगत कराना है कि वर्ष 2020 में वैश्विक महामारी कोविड – 19 के कारण मा0 प्रधानमंत्री भारत सरकार के आह्वान पर समस्त देश भर में माह मार्च से लॉकडाउन हो गया था। लॉकडाउन की अवधि में नागरिकों को समूह में रहने व कार्यस्थल पर कार्य करने की समुचित सुविधाए नही थी। इस अवधि में सामान्य रूप से नागरिक अपने घरों में ही रह रहे थे एवं विभिन्न अधिकारियों एंव जनप्रतिनिधियों के माध्यम से भी घर पर रहने की सलाह दी जा रही थी। प्रार्थी द्वारा वन क्षेत्राधिकारी द्वाराहाट के निर्देशन में लौट संख्या 3/38/2020–21 का छपान कार्य किया गया तथा दिनांक 02.06.2020 को लौट उत्तराखण्ड वन विकास निगम को हस्तान्तिरत की गयी। लौट हस्तान्तरण से पूर्व लौट में सम्मिलित वृक्षों में किसी प्रकार की भिन्नता एवं क्षति की सूचना उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा विभाग को नहीं दी गयी थी। उत्तर प्रदेश वन निगम सहिंता के अध्याय – 15 मे वन उपज की सुरक्षा व्यवस्था वर्णित है। सहिंता के नियम 15(4)(2) के तहत् वन उपज की चोरी होने पर स्थानीय वनाधिकारियों को सूचित करना एवं प्रतिरोधात्मक कार्यवाही का दायित्व उत्तराखण्ड वन विकास निगम का है। जो सूचना उनके द्वारा निर्धारित समय में वन क्षेत्राधिकारी या प्रभागीय वनाधिकारी को नही दी गयी। लौंगिग क्षेत्रों में समस्त आवंटित वृक्षों की गणना करना व उसकी पुष्टि करना, प्रकाष्ठ की सुरक्षा की जिम्मेदारी का दायत्व भी वन निगम सहिंता अनुच्छेद – 15(5) के तहत् उत्तराखण्ड वन विकास निगम का है। उत्तराखण्ड वन विकास निगम सहिंता के अनुच्छेद 15(8) के तहत् लौट में क्षति होने पर कार्यवाही हेतु प्राथमिकी दर्ज कराना भी उत्तराखण्ड वन विकास निगम का दायित्व है। इसके अतिरिक्त उत्तराखण्ड वन विकास निगम सहिंता के अनुसार प्रभागीय वन विकास प्रबन्धक, अल्मोड़ा द्वारा ना तो कोई निरीक्षण किया गया ना ही कोई प्राथमिकी दर्ज कराने हेतु प्रयास किया गया। उत्तराखण्ड वन विकास निगम के अनुभाग अधिकारी द्वारा सर्वप्रथम दिनांक 22.07.2020 को पत्र लिखकर वन क्षेत्राधिकारी द्वाराहाट को सूचित किया गया है कि लोक निर्माण विभाग द्वारा मशीन लगाकर वृक्षों को गिराना प्रारम्भ कर दिया गया है। इससे स्पष्ट है कि लौट में जो भी क्षति हुई है वह लौट हस्तान्तरण के उपरान्त घटित हुई है। विभाग के संज्ञान में जब यह प्रकरण आया है तो नियमानुसार अपराध दर्ज करके कार्य को रूकवाया गया। वन क्षेत्राधिकारी द्वाराहाट द्वारा भी राजस्व उपनिरीक्षक ध्याड़ी एवं राजस्व उपनिरीक्षक फल्द्वाड़ी को पत्र लिखकर प्राथमिकी दर्ज करने का अनुरोध किया गया। किन्तु मामले में किसी भी प्रकार की प्राथमिकी राजस्व विभाग द्वारा दर्ज नहीं की गयी। इस सम्बन्ध में उप प्रभागीय वनाधिकारी, रानीखेत द्वारा अपने पत्रांक 78/8–1 दिनांक 17.08.2020 द्वारा प्रेषित रिर्पोट में विस्तार पूर्वक अतिरिक्त कथन में स्पष्ट किया गया है। जिलाधिकारी, अल्मोड़ा द्वारा गठित प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा की अध्यक्षता वाली जॉच समिति द्वारा भी उप प्रभागीय वनाधिकारी, रानीखेत के पत्रांक 78/8–1 दिनांक 17.08.2020 में उल्लेखित बिन्दुओं को ही अपनी जॉच रिर्पोट में सही होना स्वीकार किया गया है। यहॉ यह उल्लेखनीय है कि उत्तराखण्ड शासन द्वारा राजस्व विभाग, प्रयोक्ता अभिकरण अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत एवं उत्तराखण्ड वन विकास निगम के अधिकारियों/ कर्मचारियों के विरूद्व उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 (संशोधन) नियमावली 2010 के तहत् कोई भी कार्यवाही नहीं की गयी। मामलें में अभी तक दर्ज अपराधो की विवेचना पूर्ण नही हुई और ना ही प्रयोक्ता अभिकरण के विरूद्व

कोई परिवाद सक्षम न्यायालय में दायर किया गया है। एक लोक सेवक के रूप में प्रार्थी/ अपचारी कर्मचारी द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन किया गया है। आरोप पत्र में उत्तरांचल कर्मचारी आचरण नियमावली – 2002 के नियम 3(1) के विरूद्व कोई विशिष्ट कथन नहीं किया गया है और ना ही कोई ऐसी अभिलेख प्रस्तुत किया गया है, जिसमें किसी विशिष्ट आदेश/ शासनादेश का अपचारी कर्मचारी द्वारा उल्लघंन किया गया हो। आरोप पत्र में उल्लेखित साक्षय आरोपो का समर्थन नहीं करते है। इस कारण आरोप प्रार्थी के विरूद्व स्थापित नहीं होते है।

आरोप संख्या 7 के सम्बन्ध में जाँच अधिकारी की आख्या/विवेचना :–

चन्थरिया कक्ष संख्या 15 व 16 की दूरी रैंज कार्यालय/अनुभाग मुख्यालय से लगभग 1.5 किमी एवं विभागीय पौधालय बालेश्वर से लगभग 100 मी0 है। अपचारी कर्मचारी द्वारा अपने अनुभाग मुख्यालय से इतने निकटवर्ती क्षेत्र का 4 माह तक निरीक्षण नहीं किया गया है। अपचारी कर्मचारी का यह कृत्य उत्तरांचल राज्य कर्मचारियों की आचरण नियमावली 2002 के नियम 3 (1) के विपरीत है। अपचारी कर्मचारी को उत्तरांचल राज्य कर्मचारियो की आचरण नियमावली 2002 के नियम 3 (1) के विपरीत आचरण करने के आरोप की पुष्टि होती है।

जाँच अधिकारी श्री रमेश चन्द्र काण्डपाल, प्रभागीय वनाधिकारी सिविल एवं सोयम वन प्रभाग अल्मोड़ा द्वारा जाँच के सम्बन्ध में :–

<u>अतिरिक्त कथन</u>

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत् अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा से प्राप्त अभिलेखो के साथ अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत का पत्रांक 1367/18–सी0 दिनांक 23.07.2020 को प्राप्त हुआ है। प्राप्त पत्र के अनुसार अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत द्वारा जिलाधिकारी, अल्मोड़ा को कोटिला–ग्वाड़–सुरईखेत मोटर मार्ग के सम्बन्ध में आ रही समस्याओं के सम्बन्ध में अवगत कराया गया है। उक्त पत्र में अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत जिलाधिकारी, अल्मोड़ा को अवगत करा रहे है कि प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा द्वारा उक्त मोटर मार्ग में प्रभावित होने वाले वृक्षों का छपान कर लौट उत्तराखण्ड वन विकास निगम को हस्तान्तिरत कर दिया गया है। अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत यह भी उल्लेख कर रहे है कि वन विकास निगम द्वारा मौखिक निर्देश के अनुसार मार्ग में आ रहे वृक्षों को उखाड़ कर किनारे करते हुए मार्ग का निर्माण कार्य किया जा रहा है जिसमें कुछ ग्रामवासियों द्वारा संरेखण को परिवर्तित करने के सम्बन्ध में विवाद किया जा रहा है। अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत यह भी उल्लेख कर रहे है कि वन क्षेत्राधिकारी द्वाराहाट द्वारा अपने पत्रांक 45/27–1 दिनांक 18.07.2020 को कार्य को बंद करने हेतु पत्र जारी किया गया है एवं रू 10,039 लाख का जुर्माना विभाग पर किया गया है। अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत यह भी उल्लेख कर रहे है कि पहाड़ कटान के कार्य में मलुवा साईड में गिरना स्वभाविक है। वन विकास निगम द्वारा दी गयी मौखिक सहमति के उपरान्त ही निर्माण कार्य की कार्यवाही की गयी है, क्योकि उक्त निर्माण से लाभान्वित होने वाले ग्रामवासियों द्वारा वर्ष 2018–19 में आमरण अनशन एवं धरना प्रदर्शन किया गया था। इसके अतिरिक्त अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत द्वारा जिलाधिकारी, अल्मोड़ा को अवगत कराया गया है कि मा0 विधायक द्वाराहाट द्वारा भी उक्त मोटर मार्ग का निर्माण अतिशीघ्र कराये जाने के लिए निर्देश दिये गये है। दिनांक 22.07.2020 को आपके कार्यालय (जिलाधिकारी कार्यालय) में हुई बैठक में निर्माण कार्य को यथावत जारी रखने का निर्देश दिया गया है। पत्र की प्रतिलिपि सहायक अभियन्ता पंचम, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत को इस आशय से प्रेषित की गयी है कि निर्माण कार्य को सुचारू रूप से किया जाना सुनिश्चित करें।

उपरोक्त पत्र से स्पष्ट है कि निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत एवं उत्तराखण्ड वन विकास निगम के अधिकारियों की आपसी साठ–गाठ से कोटिला–ग्वाड़–सुरईखेत मोटर मार्ग में प्रभावित वृक्षों का पातन लौट हस्तान्तरण के उपरान्त किया गया है। लौट हस्तान्तरण के उपरान्त पातित वृक्षों के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा कोई भी प्राथमिकी एवं विधिक कार्यवाही नही की गयी है। सम्पूर्ण प्रकरण जिलाधिकारी, अल्मोड़ा के संज्ञान में लोक निर्माण विभाग, निर्माण खण्ड, रानीखेत द्वारा लाया गया है। इसी कारण सम्भवतः राजस्व विभाग के पटवारियों/राजस्व उपनिरीक्षको द्वारा मामलें मे कार्यवाही नही की गयी है। विभाग के सीमित संसाधनों एवं द्वाराहाट वन क्षेत्र में कर्मचारियों की कमी के कारण भी मामलें में स्थलीय जॉच एवं कार्यवाही में पर्याप्त समय लगना स्वभाविक था। उपरोक्त पत्र से स्पष्ट है कि किसी भी वन कार्मिक द्वारा अपने पद का दुरूप्रयोग नहीं किया गया है तथा यथासम्भव प्रशासन के सहयोग

पूर्ण रवैये के उपरान्त भी प्रयोक्ता ऐजेंसी के प्रभारी अधिकारी/अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत के विरूद्व कार्यवाही नहीं की गयी है। इस प्रकार की विधिक कार्यवाही के फलस्वरूप प्रार्थी/अपचारी कर्मचारी भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 74 के तहत् संरक्षण प्राप्त करने योग्य है।

यहॉ पर यह भी उल्लेखनीय है कि जिलाधिकारी, अल्मोड़ा द्वारा अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत के पत्रांक 1367/18–सी0 दिनांक 23.07.2020 का संज्ञान लेने के उपरान्त ही अपने आदेश पत्रांक 4759/छब्बीस–05/2019–20 दिनांक 25.07.2020 से ही प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा की अध्यक्षता में समिति का गठन किया था। उक्त आदेश में भी स्पष्ट किया गया है कि वन विभाग के द्वारा कार्य रोका गया है और प्रयोक्ता अभिकरण पर जुर्माना लगाया गया है। जॉच समिति की रिपोंट के उपरान्त भी जिलाधिकारी, अल्मोड़ा के स्तर ना तो अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत के विरूद्व कार्यवाही का प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया गया है और राजस्व विभाग के अधिकारियों जिनके स्तर से नाप भूमि, सिविल भूमि, वन पंचायत के सम्बन्ध में कोई भी कार्यवाही नही की गयी थी के विरूद्व कोई कार्यवाही करवायी गयी है।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत् प्राप्त अभिलेखो के अनुसार सहायक अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत एवं अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत द्वारा मक डम्पिंग प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसमें उनके द्वारा मलुवे का निस्तारण वन आच्छादित क्षेत्रो एवं जल स्त्रोतो में नही किया जायेगा। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा कोटिला–ग्वाड़–सुरईखेत मोटर मार्ग पहाड़ कटान से उत्पादित मलुवे के निस्तारण हेतु डिटेल ऑफ मेजेरमेन्ट प्रस्तुत किया गया है। प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा के हस्ताक्षर से जारी सूचना के आधार पर रू0 15,16,853.75 का आवंटन किया गया है। इससे स्पष्ट है कि लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के द्वारा मोटर मार्ग की सैद्वान्तिक स्वीकृति की शर्तो का उल्लघंन करने के साथ–साथ मलुवा निस्तारण हेतु आवंटन धनराशि का भी दुरूप्रयोग किया जा रहा है। इस प्रकार का कृत्य लोक सेवको के आचरण के विपरीत प्रतीत होता है। यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत् श्री भुवन चन्द्र पाण्डे पुत्र महेश चन्द्र पाण्डे, ग्राम व पोस्ट ग्वाड़, द्वाराहाट, जिला अल्मोड़ा के प्रार्थना पत्र के प्रतिउत्तर में लोक सूचना अधिकारी/सहायक अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत अवगत करा रहे है कि वन भूमि से उत्सर्जित मलुवे का निस्तारण स्वीकृत सड़क की चौड़ाई में किया जायेगा, स्वीकृत चौड़ाई के अतिरिक्त फैले मलुवे को मोटर मार्ग के समतलीकरण आदि में प्रयोग में लाया जायेगा। इस प्रकार वन भूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही हेतु समय–समय असत्य व गलत प्रमाण पत्र प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत किये गये है। ऐसे प्रकरण की जॉच एस0आई0टी0/सी0बी0आई0 से कराना भी उचित प्रतीत हो रहा है।

यहॉ यह भी उल्लेख करना समयोचित है कि प्रार्थी वन दरोगा के पद पर कार्यरत रहा है। वन दरोगा स्तर से सूचनाए केवल वन क्षेत्र कार्यालय को प्रेषित की जाती है। उच्च स्तर को किसी भी प्रकरण की सूचना देना वन दरोगा के कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत नही है।

यदि जॉच में साक्ष्यों का परीक्षण किया जाता है तो श्री संजय सिंह रावत, तत्कालीन वन बीट अधिकारी चन्थरिया प्रथम बीट का प्रतिपरीक्षण आवश्यक है। जिनके द्वारा एफ0आई0आर0 दर्ज कराने की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी थी। जिसे राजस्व विभाग द्वारा स्वीकार नही किया गया। इसके अतिरिक्त सम्बन्धित राजस्व विभाग के अधिकारियों जिनके द्वारा एफ0आई0आर0 दर्ज करने से इनकार किया गया उनके बयान भी दर्ज किये जा सकते है। विभाग द्वारा जो साक्षय दर्शायें गये है उनके बयान होने पर प्रतिपरीक्षण का अवसर दिया आवश्यक है। इसके अतिरिक्त यह भी उल्लेखनीय है कि प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा अपने पत्रांक 332 ए /29–3(3) दिनांक 25.09.2020 से श्री निशांत वर्मा, मुख्य वन संरक्षक, वन पंचायत एवं सामुदायिक वानिकी उत्तराखण्ड, एवं श्री प्रवीण कुमार, वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊॅ वृत्त, अल्मोड़ा की 2 सदस्यीय जॉच समिति का गठन किया गया है। उनके स्तर से भी की गयी जॉच की प्रमाणित प्रति भी प्रार्थी/ अपचारी कर्मचारी को उपलब्ध करायी जानी आवश्यक है। उक्त रिर्पोट प्राप्त होने के बाद अनुपूरक प्रतिउत्तर दाखिल किये जाने के लिए समय दिया जाना भी प्राकृतिक न्याय की दृष्टि से आवश्यक है।

अतः अनुरोध है कि प्रार्थी विरचित आरोप जो उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 (संशोधन) नियमावली 2010 के प्राविधानो के विपरीत एवं नियमावली में विहित प्रकिया का अनुसरण किये बिना ही जारी किया गया है, को निरस्त करने की कृपा करें।

जाँच अधिकारी श्री रमेश चन्द्र काण्डपाल, प्रभागीय वनाधिकारी सिविल एवं सोयम वन प्रभाग अल्मोड़ा द्वारा जाँच के सम्बन्ध में :–

विवेचना

आरोप पत्र में वर्णित आरोपों एवं उसके बचाव में अपचारी कर्मचारी श्री चन्द्रशेखर त्रिपाठी, वन दरोगा (तत्कालीन अनुभाग अधिकारी, चन्थरिया अनुभाग) द्वारा दिये गये उत्तर तथाजांच के दौरान दिये गये उनके एवं विभिन्न साक्ष्यों के बयानों के आधार परनिम्न तथ्य सामने आये :–

1– विवेचना के दौरान अपचारी कर्मचारीद्वारादिये गये बयानदिनांक 22.07.2021**(संलग्नक – 1)**के अनुसार–"मैं द्वाराहाट वन क्षेत्र के अन्तर्गत दिनांक 05.02.2020 से 08.10.2020 तक चन्थरिया अनुभाग के चार्ज में रहा तत्पश्चात् दिनांक 11.10.2020 से 19.05.2021 तक उप प्रभागीय वनाधिकारी कार्यालय रानीखेत में सम्बद्व रहा। तत्पश्चातदिनांक 02.06.2021 से पुनः चन्थरिया अनुभाग के चार्ज में कार्यरत हूँ। कोटिला ग्वाड़ सुरई खेत मोटर मार्ग में अनियमितता के सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है कि दिनांक 13.02.2020 से 15.02.2020 तकलोक निर्माण विभाग, वन निगम द्वारा संयुक्त रूप से पेड़ों का छपान किया गया। दिनांक 13.03.2020 से 14.04.2020 तक कोरोना काल में द्वाराहाट थाने के आदेशानुसार द्वाराहाट में ड्यूटी पर रहा। दिनांक 02.06.2020 को मेरे द्वारा वन निगम लौट को उक्त लौट हस्तगत की गयी। दिनांक 20.06.2020 को मेरे द्वारा कोटिला–ग्वाड़–सुरईखेत मोटर मार्ग में गश्त की गयी। मेरे द्वारा जे0सी0बी0 मशीन को रोका गया एवं दूरभाष पर अधिशासी अभियन्ता रानीखेत वालों को कार्य रोकने के लिये कहा गया। अधिशासी अभियन्ता द्वारा रोड स्वीकृत होने की बात कहकर कार्य रोक पाना संभव नहीं है। मेरे द्वारा वन क्षेत्राधिकारी द्वाराहाट को भी फोन पर सूचना दी गयी। दिनांक 10.07.2020 को वीट प्रभारी चन्थरिया प्रथम के साथ रिजर्व वन कक्ष संख्या 15, 16 की गश्त पर थे जे0सी0बी0 द्वारा पेड़ उखाड़कर गिराये पाये गये। उक्त वृक्षों की गणना कर वीट प्रभारी द्वारा मलवे की नपत एवं जुर्म इजरा किया गया। नाप भूमि, सिविल व वन पंचायत आदि की प्रजातिवार वृक्षों का भारतीय वन अधिनियम के तहत जुर्म इजरा किया गया। मेरे द्वारा गश्त के दौरान बार–बार कार्य रोकने पर ग्रामवासियों द्वारा झगड़ा एवं लोक निर्माण विभाग को कार्य रोकने के लिये कहा गया परन्तु उनके द्वारा कार्य रोकने से इन्कार किया गया। "

2– विवेचना के दौरान श्री संजय सिंह, वन दरोगा(तत्कालीन वन वीट अधिकारी) जिनके द्वारा कोटिला–ग्वाड़–सुरईखेत मोटर मार्ग में अवैध रूप से पातित वृक्षों के जुर्म केश इजरा किये गये थे, के भी बयान लिये गये। उनके द्वारा दिनांक 22.07.2021 को दिये गये बयान**(संलग्नक –2)** के अनुसार –"मेरे द्वारा चन्थरिया प्रथम का चार्ज विधिवत् रूप से श्री हेमन्त नयाल, वन रक्षक से माह जुलाई दिनांक 24.07.2020 को लिया गया। क्षेत्र के अन्तर्गत घटना मेरे चार्ज लेने से पूर्व हो चुकी थी। बाद में उपरोक्त घटना की जांच टीम के अधिकारी उप प्रभागीय वनाधिकारी के साथ उक्त मोटर मार्ग के निरीक्षण के दौरान अवैध रूप से पातित वृक्षों/उखाड़े गये वृक्षों के एच0–2 केश मेरे द्वारा इजराय किये गये जो विभिन्न वन भूमि में स्थित थे। नाप भूमि/सिविल भूमि/वन पंचायत भूमि में उखाड़े/गिराये गये वृक्षों के एच0–2 केश वन क्षेत्राधिकारी द्वाराहाट के मुझे दिये गये निर्देशों के अनुसार मेरे द्वारा जुर्म केश इजराय किये गये। उखाड़े/गिराये गये वृक्षों का प्रजातिवार एवं व्यासवार विवरण एच0–2 केश में दर्ज किया गया है। उक्त मार्ग में सिविल/नाप/वन पंचायत भूमि पर कार्यदायी संस्था द्वारा अवैध रूप से उखाड़े गये वृक्षों एवं मोटर मार्ग के कटान के दौरान उत्पादित मलवे का निस्तारण नियमानुसार न कर जगह–जगह मलवा डाल देने के सम्बन्ध में प्राथमिक सूचना दर्ज करने के लिये राजस्व उपनिरीक्षक ध्याड़ी को भी दिनांक 05.08.2020 को पत्र लिखा गया परन्तु उनके द्वारा प्राथमिक सूचना दर्ज करने से मना कर दिया गया।
कार्यदायी संस्था लोक निर्माण खण्ड रानीखेत द्वारा यह कार्य वन विकास निगम द्वारा कार्य किये जाने से पूर्व ही उखाड़ दिये गये थे। मेरे द्वारा वन अपराध में जुर्म इजराय करने के 3 से6 माह पूर्व यह घटना हो चुकी थी। घटना के जांच हेतु उप प्रभागीय वनाधिकारी की अध्यक्षता में गठित टीम के निरीक्षण के समय नाप भूमि/सिविल/वन पंचायत एवं आरक्षित भूमि में 10 किमी0 मार्ग का कटान किया जा चुका था तथा आरक्षित वन भूमि में 400 मी0 लम्बाई के सापेक्ष 630 मी0 कटान कार्य किया जा चुका था। "

3– अपचारी कर्मचारी द्वारा आरोप के प्रतिउत्तर में श्री संजय सिंह रावत, वन दरोगा (तत्कालीन वन वीट अधिकारी) द्वाराहाट रेंज के प्रतिपरीक्षण हेतु लिखा गया था परन्तु विवेचना के दौरान दिनांक 22.07.2021 को उनके द्वारा श्री संजय सिंह वन वीट अधिकारी का प्रतिपरीक्षण ना करने का बयान दिया गया। **(संलग्नक –3)**

4— आरोप पत्र में वर्णित अन्य मौखिक साक्ष्यों1—श्री मोहन राम आर्य, वन क्षेत्राधिकारी अल्मोड़ा 2—श्री मनोज कुमार लोहनी, वन क्षेत्राधिकारी गणानाथ 3—श्री हीरा सिंह बिष्ट, वन दरोगा, द्वाराहाट रेंज अल्मोड़ा 4— श्री होशियारनाथ गोस्वामी, वन दरोगा 5—श्री आनन्द बल्लभ बुधानी, वन दरोगा, जौरासी रेंजके बयान भी दिनांक 22.07.2021 को लिये गये। इन सभी साक्ष्यों द्वारा अपने बयानों में अवगत कराया है कि प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा के पत्रांक सं0 249/8—2 दिनांक 13.07.2020 के द्वारा द्वाराहाट वन क्षेत्र अन्तर्गत निर्माणाधीन कोटिला—ग्वाड़—सुरईखेत मोटर मार्ग के निर्माण में हुई अनियमितताओं की जांच हेतु तत्कालीन उप प्रभागीय वनाधिकारी रानीखेत की अध्यक्षता में समिति गठित की गयी थी। उस समिति के सदस्य के रूप में दिनांक 25.07.2020 से 28.07.2020 तक निर्माणाधीन कोटिला—ग्वाड़—सुरईखेत मोटर मार्ग में जांच टीम द्वारा अवैध/अनियमित रूप से किये गये कार्यो का स्थलीय निरीक्षण किया गया। जिसमें आरक्षित/सिविल/वन पंचायत व नाप भूमि में विभिन्न प्रजातियों के 399 वृक्ष उखाड़े पाये गये एवं आरक्षित वन चन्थरिया कक्ष सं0 15 व 16 में स्वीकृत 400X7 मी0 के स्थान पर 63[illegible]X 4मी0सड़क कटान पाया गया। लोक निर्माण विभाग द्वारा स्वीकृत परियोजना के शर्तो के विरूद्व मलवा निस्तारण निर्धारित डम्पिंग जोन में न कर मानकों के विरूद्व डाला पाया गया। उपरोक्त अवैध कार्य लगभग 3 से 6 माह पूर्व किया गया प्रतीत होता है। जिसकी विस्तृत जांच रिपोर्ट तत्कालीन उप प्रभागीय वनाधिकारी, रानीखेत के माध्यम से प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा को प्रस्तुत की गयी।**(संलग्नक –4 से 8)**

5— तत्कालीन वन क्षेत्राधिकारी, द्वाराहाट श्री नवीन कुमार टम्टा ने अपने बयान दिनांक 02.08. 2021**(संलग्नक –9)** में अवगत कराया –"मेरे द्वारा द्वाराहाट वन क्षेत्र का चार्ज दिनांक 06.03.2019 को लिया। मेरे द्वारा श्री चन्द्रशेखर वन दरोगा, अनुभाग अधिकारी चन्थरिया को कोटिला—ग्वाड़—सुरईखेत मोटर मार्ग की छपान कराने हेतु आदेशित किया गया। इनके द्वारा चन्थरिया आरक्षित कक्ष 15 में छपान कार्य करना था जो प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, से छपान सूची भेजी गयी थी तत्पश्चात् 02 जून 2020 को लौट हस्तान्तरण की सूचना अनुभाग अधिकारी चन्थरिया द्वारा राजि कार्यालय में प्रस्तुत की गयी। कोटिला—ग्वाड़—सुरईखेत मोटर मार्ग में लोक निर्माण विभाग, रानीखेत द्वारा अवैध पातन की सूचना ना ही वन वीट अधिकारी चन्थरिया प्रथम वीट व अनुभाग अधिकारी चन्थरिया द्वारा मुझे इस प्रकरण में कोई लिखित या मौखिक रूप से कोई सूचना नहीं दी गयी। इस प्रकरण के सम्बन्ध में उच्चाधिकारियों के निरीक्षण के दौरान मैंने अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ नियमित गश्त व लोक निर्माण खण्ड रानीखेत वालों पर विभागीय कार्यवाही की गयी।"

6— प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा की पत्रांक संख्या 249/8—2दिनांक 13—07—2020 से उप प्रभागीय वनाधिकारी, रानीखेत की अध्यक्षता में गठित जांच समिति द्वारा अपनी जांच रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि चन्थरिया आरक्षित वन कक्ष संख्या 15—16 के अन्तर्गत निर्माणाधीन मोटर मार्ग की रेंज कार्यालय/अनुभाग मुख्यालय/वीट मुख्यालय से दूरी लगभग 1.5 किमी0 है एवं विभागीय पौधालय बागेश्वर से दूरी 100 मी0 के लगभग है, लेकिन उक्त निर्माण एवं पातन को रोकने के लिये वन क्षेत्राधिकारी एवं अधीनस्थ स्टाफ द्वारा किसी प्रकार सूचना उच्च स्तर को उचित समय पर नहीं दी गयी। उक्त कृत्य राजकीय कार्यो के प्रति लापरवाही को इंगित करता है। उक्त रिपोर्ट में यह भी वर्णित है कि जांच में यह भी संज्ञान में आया है कि उक्त मोटर मार्ग का निर्माण कार्य माह फरवरी 2020 से प्रारम्भ हुआ। जिसकी सूचना रेंज अधिकारी द्वारा उच्च स्तर को नहीं दी गयी।

7— प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा के पत्र संख्या 262/8—2 दिनांक 13.07.2020 में भी कोटिला—ग्वाड़—सुरईखेत मोटर मार्ग निर्माण में वन बीट अधिकारी, चन्थरिया बीट द्वाराहाट वन क्षेत्र को संबोधित पत्र में रोड कटान में बरती जा रही अनेक अनियमितताओं का जिक करते हुए अवगत कराया है कि मौके पर उपस्थित ग्रामीणों द्वारा बताया गया है कि उक्त रोड कटान पिछले चार महीनो से चल रहा है।

4— आरोप पत्र में वर्णित अन्य मौखिक साक्ष्यों1—श्री मोहन राम आर्य, वन क्षेत्राधिकारी अल्मोड़ा 2—श्री मनोज कुमार लोहनी, वन क्षेत्राधिकारी गणानाथ 3—श्री हीरा सिंह बिष्ट, वन दरोगा, द्वाराहाट रेंज अल्मोड़ा 4— श्री होशियारनाथ गोस्वामी, वन दरोगा 5—श्री आनन्द बल्लभ बुधानी, वन दरोगा, जौरासी रेंजके बयान भी दिनांक 22.07.2021 को लिये गये। इन सभी साक्ष्यों द्वारा अपने बयानों में अवगत कराया है कि प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा के पत्रांक सं0 249/8—2 दिनांक 13.07.2020 के द्वारा द्वाराहाट वन क्षेत्र अन्तर्गत निर्माणाधीन कोटिला—ग्वाड़—सुरईखेत मोटर मार्ग के निर्माण में हुई अनियमितताओं की जांच हेतु तत्कालीन उप प्रभागीय वनाधिकारी रानीखेत की अध्यक्षता में समिति गठित की गयी थी। उस समिति के सदस्य के रूप में दिनांक 25.07.2020 से 28.07.2020 तक निर्माणाधीन कोटिला—ग्वाड़—सुरईखेत मोटर मार्ग में जांच टीम द्वारा अवैध/अनियमित रूप से किये गये कार्यो का स्थलीय निरीक्षण किया गया। जिसमें आरक्षित/सिविल/वन पंचायत व नाप भूमि में विभिन्न प्रजातियों के 399 वृक्ष उखाड़े पाये गये एवं आरक्षित वन चन्थरिया कक्ष सं0 15 व 16 में स्वीकृत 400X7 मी0 के स्थान पर 630X 4मी0सड़क कटान पाया गया। लोक निर्माण विभाग द्वारा स्वीकृत परियोजना के शर्तो के विरूद्व मलवा निस्तारण निर्धारित डम्पिंग जोन में न कर मानकों के विरूद्व डाला पाया गया। उपरोक्त अवैध कार्य लगभग 3 से 6 माह पूर्व किया गया प्रतीत होता है। जिसकी विस्तृत जांच रिपोर्ट तत्कालीन उप प्रभागीय वनाधिकारी, रानीखेत के माध्यम से प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा को प्रस्तुत की गयी।**(संलग्नक —4 से 8)**

5— तत्कालीन वन क्षेत्राधिकारी, द्वाराहाट श्री नवीन कुमार टम्टा ने अपने बयान दिनांक 02.08. 2021**(संलग्नक —9)** में अवगत कराया —''मेरे द्वारा द्वाराहाट वन क्षेत्र का चार्ज दिनांक 06.03.2019 को लिया। मेरे द्वारा श्री चन्द्रशेखर वन दरोगा, अनुभाग अधिकारी चन्थरिया को कोटिला—ग्वाड़—सुरईखेत मोटर मार्ग की छपान कराने हेतु आदेशित किया गया। इनके द्वारा चन्थरिया आरक्षित कक्ष 15 में छपान कार्य करना था जो प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, से छपान सूची भेजी गयी थी तत्पश्चात् 02 जून 2020 को लौट हस्तान्तरण की सूचना अनुभाग अधिकारी चन्थरिया द्वारा राजि कार्यालय में प्रस्तुत की गयी। कोटिला—ग्वाड़—सुरईखेत मोटर मार्ग में लोक निर्माण विभाग, रानीखेत द्वारा अवैध पातन की सूचना ना ही वन वीट अधिकारी चन्थरिया प्रथम वीट व अनुभाग अधिकारी चन्थरिया द्वारा मुझे इस प्रकरण में कोई लिखित या मौखिक रूप से कोई सूचना नहीं दी गयी। इस प्रकरण के सम्बन्ध में उच्चाधिकारियों के निरीक्षण के दौरान मैंने अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ नियमित गश्त व लोक निर्माण खण्ड रानीखेत वालों पर विभागीय कार्यवाही की गयी। ''

6— प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा की पत्रांक संख्या 249/8—2दिनांक 13—07—2020 से उप प्रभागीय वनाधिकारी, रानीखेत की अध्यक्षता में गठित जांच समिति द्वारा अपनी जांच रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि चन्थरिया आरक्षित वन कक्ष संख्या 15—16 के अन्तर्गत निर्माणाधीन मोटर मार्ग की रेंज कार्यालय/अनुभाग मुख्यालय/वीट मुख्यालय से दूरी लगभग 1.5 किमी0 है एवं विभागीय पौधालय बागेश्वर से दूरी 100 मी0 के लगभग है, लेकिन उक्त निर्माण एवं पातन को रोकने के लिये वन क्षेत्राधिकारी एवं अधीनस्थ स्टाफ द्वारा किसी प्रकार सूचना उच्च्य स्तर को उचित समय पर नहीं दी गयी। उक्त कृत्य राजकीय कार्यो के प्रति लापरवाही को इंगित करता है। उक्त रिपोर्ट में यह भी वर्णित है कि जांच में यह भी संज्ञान में आया है कि उक्त मोटर मार्ग का निर्माण कार्य माह फरवरी 2020 से प्रारम्भ हुआ। जिसकी सूचना रेंज अधिकारी द्वारा उच्च्य स्तर को नहीं दी गयी।

7— प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा के पत्र संख्या 262/8—2 दिनांक 13.07.2020 में भी कोटिला—ग्वाड़—सुरईखेत मोटर मार्ग निर्माण में वन बीट अधिकारी, चन्थरिया बीट द्वाराहाट वन क्षेत्र को संबोधित पत्र में रोड कटान में बरती जा रही अनेक अनियमितताओं का जिक करते हुए अवगत कराया है कि मौके पर उपस्थित ग्रामीणों द्वारा बताया गया है कि उक्त रोड कटान पिछले चार महीनो से चल रहा है।

जाँच अधिकारी श्री रमेश चन्द्र काण्डपाल, प्रभागीय वनाधिकारी सिविल एवं सोयम वन प्रभाग अल्मोड़ा द्वारा जाँच के सम्बन्ध में :–

निष्कर्ष

आरोप पत्र में उपलब्ध अभिलेखीय साक्ष्यों एवं साक्षियो के बयानो के अवलोकन व परिशीलन के उपरान्त यह स्पष्ट है कि द्वाराहाट वन क्षेत्र में प्रश्नगत क्षेत्र के अनुभाग अधिकारी होने के नाते श्री चन्द्रशेखर त्रिपाठी, वन दरोगा का यह दायित्व था कि निर्माणाधीन कोटिला–ग्वाड़– सुरईखेत मोटर मार्ग जो कि रेंज मुख्यालय से मात्र 1.50 किमी0 पर दूरी पर स्थित था, का समय–समय पर निरीक्षण कर प्रयोक्ता ऐजेंसी द्वारा की जा रही अनियमितताओ को रोकने का प्रयास करते, आपने अधीनस्थ स्टाफ पर नियत्रंण रखकर रेज में हो रही घटनाओं से सम्बन्ध मे जानकारी रखते तथा उक्त मार्ग में घटित हो रही अवैध कार्यो की सूचना समय पर अपने उच्चाधिकारियों को सूचित करते, परन्तु उनके द्वारा उच्चाधिकारियों को वन क्षेत्र में घटित हो रही अनियमितताओ के सम्बन्ध में ना तो कोई जानकारी दी और ना ही उसे रोकने का प्रयास किया। इस प्रकार अपचारी कर्मचारी पर उत्तरांचल राज्य कर्मचारियो की आचरण नियमावली 2002 के नियम 3(1) के तहत् आत्यंतिक रूप से सत्यनिष्ठा एवं कर्तव्यपरायणता से अपने कार्यो निर्वहन ना करने का आरोप सिद्ध होता है।

दण्डादेश निर्णय एवं निस्तारण आदेश

यह प्रकरण कोटिला–ग्वाड़ से सुरईखेत मोटर मार्ग के निर्माण में हुई अनियमित्ताओं से सम्बन्धित है, जिसमें लोक निर्माण विभाग द्वारा भारत सरकार द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति में निहित संरेखण से इतर संरेखण को परिवर्तित कर एवं मोटर मार्ग के निर्माण में पातन हेतु स्वीकृत वृक्षों के अतिरिक्त अवैध रूप से काटे गये वृक्षों से सम्बन्धित है। प्रस्तावक विभाग (लो0नि0वि0) द्वारा परिवर्तित किये गये संरेखण में कुल 399 वृक्षों का अवैध रूप से पातन किया गया। इस प्रकरण की जाँच हेतु प्रमुख वन संरक्षक, (HoFF) उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा अपने पत्रांक 332A/29–3(3) दिनांक 25.09.2020 द्वारा 02 सदस्यीय टीम जिसमें श्री निशान्त वर्मा, मुख्य वन संरक्षक, वन पंचायत एवं सामुदायिक वानिकी, उत्तराखण्ड, देहरादून एवं अधोहस्ताक्षरी को नामित किया गया था। प्रमुख वन संरक्षक, (HoFF) उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में दिनांक 17.10.2020 को 02 सदस्यीय टीम द्वारा प्रश्नगत क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण किया गया था। जिसकी संयुक्त जाँच रिपोर्ट दिनांक 28.10.2020 को उच्च स्तर को प्रेषित की गयी थी। अवैध रूप से पातित वृक्षों को समिति द्वारा लौट बनाकर वन विकास निगम को हस्तान्तरण करने की संस्तुति की गयी थी, जिसके अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी अल्मोड़ा वन प्रभाग द्वारा इन समस्त वृक्षों का छपान कर लौट बनाकर वन विकास निगम को हस्तान्तरित किया गया। इस प्रकार वृक्षों के अवैध पातन किये गये वृक्षों के निस्तारण के फलस्वरूप वन विभाग को किसी प्रकार की वित्तीय हानि नहीं हुई है। इसमें लोक निर्माण विभाग/कार्यदायी संस्था के अधिकारी/कर्मचारी दोषी है। जिसके सम्बन्ध में उत्तराखण्ड शासन लोक निर्माण अनुभाग–1 के आदेश पत्रांक 1565/XXX(1)/ 2021-4(42)रि0या0/2021 दिनांक 01.09.2021 द्वारा श्री मोहन चन्द्र जोशी, अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग रानीखेत, अल्मोड़ा, श्री हिमांशु भट्ट, सहायक अभियन्ता, निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग रानीखेत, अल्मोड़ा, श्री कान्ता प्रसाद गंगवार, अपर सहायक अभियन्ता, निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग रानीखेत, अल्मोड़ा के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में अभियोजन चलाने की अनुमति प्रदान की गयी है। जिसमें अभियोग दायर करने की कार्यवाही प्रभागीय वनाधिकारी अल्मोड़ा के स्तर से की जा रही है।

इस सम्बन्ध में जाँच अधिकारी की रिपोर्ट तथा उपरोक्त तथ्यों से यह निष्कर्ष निकलता है कि अपचारी कर्मचारी श्री चन्द्रशेखर त्रिपाठी, वन दरोगा उत्तरांचल राज्य कर्मचारियो की आचरण नियमावली 2002 के नियम 3(1) के तहत् सत्यनिष्ठा एवं कर्तव्यपरायणता से अपने कार्यो का निर्वहन न करने के लिए यह लापरवाही बरतने के दोषी है। यह समस्त घटना इनके कार्यक्षेत्र में हुई है। अतः इन घटनाओं को रोकने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी इनकी थी।

जाँच अधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, अल्मोड़ा के पत्रांक 1114/1–15 दिनांक 09.09.2021 द्वारा प्रेषित जाँच आख्या एवं अभिलेखीय साक्ष्यों के आधार पर श्री चन्द्रशेखर त्रिपाठी, वन दरोगा पर लगाये गये सभी आरोप सिद्ध होने के फलस्वरूप कोटिला–ग्वाड़– सुरईखेत निर्माणाधीन मोटर मार्ग जो द्वाराहाट रेंज मुख्यालय से मात्र 1.50 कि0मी0 दूरी पर स्थित है। प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा मोटर मार्ग निर्माण में की गई अनियमित्ताओं को रोकने एवं अपने अधीनस्थ स्टाफ पर प्रभावी नियंत्रण न रखने एवं रेंज में हो रही इस प्रकार की अनियमित्ताओं की सूचना की जानकारी उच्च

स्तर को न दिये जाने एवं अनियमित्ताओं को रोके जाने का प्रयास न करने के कारण अपचारी/कर्मचारी श्री चन्द्रशेखर त्रिपाठी, वन दरोगा पर उत्तराँचल राज्य कर्मचारी की आचरण नियमावली–2002 के नियम 3(1) के तहत आत्यंतिक रूप से सत्यनिष्ठा एवं कर्तव्यपरायणता एवं राजकीय कार्यों हेतु दिये गये दायित्वों का निर्वहन न करने के कारण अपचारी/कर्मचारी को निम्न प्रकार से दण्डित किया जाता है :–

1 :– श्री चन्द्रशेखर त्रिपाठी, वन दरोगा अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा की आदेश जारी होने की तिथि से अग्रिम 02 (दो) वार्षिक वेतन वृद्धि **संचयी प्रभाव (Cumulative effect)** से रोके जाने का आदेश पारित किया जाता है। साथ ही अपचारी/कर्मचारी श्र श्री चन्द्रशेखर त्रिपाठी, वन दरोगा, अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा को निन्दित भी किया जाता है। जिसका अपचारी/कर्मचारी को भविष्य में भी कोई लाभ नहीं मिलेगा।

2 :– उक्त आदेश की प्रविष्टि को अपचारी/कर्मचारी की सेवापुस्तिका में प्रभागीय वनाधिकारी अल्मोड़ा वन प्रभाग द्वारा अंकित किया जायेगा, साथ ही उक्त आदेश की प्रविष्टि प्रभागीय वनाधिकारी अल्मोड़ा वन प्रभाग द्वारा श्री चन्द्रशेखर त्रिपाठी, वन दरोगा, अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा की वार्षिक चरित्र पंजिका में की जायेगी।

(प्रवीण कुमार)
वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा

पत्रांक 1944 / 1-15(7) दिनांकित।

प्रतिलिपि :– श्री चन्द्रशेखर त्रिपाठी, वन दरोगा द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा को सूचनार्थ प्रेषित।

(प्रवीण कुमार)
वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा

पत्रांक 1944 / 1-15(7) दिनांकित।

प्रतिलिपि :– प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा को सूचनार्थ एवं इस निर्देश के साथ प्रेषित कि श्री चन्द्रशेखर त्रिपाठी, वन दरोगा की सेवापुस्तिका में उक्तानुसार आदेश की प्रविष्टि कर इसका अनुपालन करना सुनिश्चित करें तथा प्रविष्टि उपरान्त अवलोकन हेतु सेवापुस्तिका इस कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। साथ ही आदेश की प्रति सम्बन्धित कर्मचारी को हस्तगत कर उसकी प्राप्ति रसीद भी इस कार्यालय में प्रस्तुत करें। साथ ही कर्मचारी के वेतन आहरण कोड कोषाधिकारी अल्मोड़ा को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

(प्रवीण कुमार)
वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा

पत्रांक 1944 / 1-15(7) दिनांकित।

प्रतिलिपि :– प्रभागीय वनाधिकारी सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, अल्मोड़ा के पत्रांक 1114/1–15 दिनांक 09.09.2021 को सूचनार्थ प्रेषित।

(प्रवीण कुमार)
वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा

पत्रांक - 1944 / 1-15-(7) दिनांकित।

प्रतिलिपि :— मुख्य कोषाधिकारी, अल्मोड़ा को प्रेषित कर अनुरोध है कि उक्त कर्मचारी को आदेश जारी होने की तिथि से अनुवर्ती वर्षों में 02 वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव से रोक कर वेतन का भुगतान करने की कृपा करें।

(प्रवीण कुमार)
वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा

पत्रांक - 1944 / 1-15-(7) **दिनांकित।**

प्रतिलिपि :— मुख्य वन संरक्षक, मानव संसाधन विकास एवं कार्मिक, प्रबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून को उनके पत्रांक 678 / 1—15(7) दिनांक 05.10.2021 द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(प्रवीण कुमार)
वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा

पत्रांक - 1944 / 1-15-(7) **दिनांकित।**

प्रतिलिपि :— मुख्य वन संरक्षक, कुमाऊँ, उत्तराखण्ड, नैनीताल को सूचनार्थ प्रेषित।

(प्रवीण कुमार)
वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा

कार्यालय वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

Email : cfkumaon_north@rediffmail.com ☎ & Fax (05962) 231099 Fax230397

वनादेश सं0 34 /1-15-7 अल्मोड़ा, दिनांक, 23.11. 2021 ।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एन0जी0टी0) में कोटिला–ग्वाड़ से सुरईखेत मोटर मार्ग के सम्बन्ध में योजित मूल आवेदन संख्या 197/2020 जगदीश चन्द्र पाण्डेय बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य के सम्बन्ध में दोषी श्री दिनेश चन्द्र भट्ट, वन दरोगा, अल्मोड़ा वन प्रभाग के विरूद्ध विषयगत प्रकरण में लगाये गये आरोप तथा जाँच अधिकारी की आख्या रिपोर्ट के क्रम में

निर्णय

कोटिला–ग्वाड़ से सुरईखेत तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 3.85 है0 वन भूमि लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन करने की सैद्धान्तिक स्वीकृति भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की पत्र संख्या 08/बी/यू0सी0पी0/06/153/2015/एफ0सी0/1472 दिनांक 23.10.2018 द्वारा प्राप्त हुई थी। राज्य सरकार से इस क्रम में वर्तमान तक विधिवत स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है। प्रस्तावक अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, रानीखेत द्वारा विधिवत स्वीकृति प्राप्त किये बिना कार्य प्रारम्भ कर दिया गया। मोटर मार्ग के निर्माण कार्य में हुई अनियमितता के सम्बन्ध में श्री जगदीश चन्द्र पाण्डेय, ग्राम एवं पो0 ग्वाड़, द्वाराहाट, जिला– अल्मोड़ा द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में मूल आवेदन सं0– 197/2020 योजित की गयी। जिसमें मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा निम्न प्रकार से निर्णय पारित किया गया :–

"In view of above, we direct that a joint factual and action taken report be furnished by the Principal Chief Conservator of Forest (HoFF), Uttarakhand and the State Pollution Control Board (SPCB). The PCCF (HoFF), Uttarakhand may nominate a two member team of officers not below the rank of Conservator of Forest. The PCCF (HoFF), Uttarakhand will be the nodal agency for coordination and compliance who may furnish a report within two months by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF".

The applicant may furnish a set of papers to the PCCF (HoFF), Uttarakhand and the SPCB and file an affidavit of service within one week.

उक्त आदेशों के क्रम में प्रमुख वन संरक्षक, (HoFF) उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा अपने पत्रांक 332A/29–3(3) दिनांक 25.09.2020 द्वारा मोटर मार्ग निर्माण में हुई अनियमितताओं की जाँच हेतु 02 सदस्यीय टीम का गठन किया गया, जिसमें श्री निशान्त वर्मा, मुख्य वन संरक्षक, वन पंचायत एवं सामुदायिक वानिकी, उत्तराखण्ड, देहरादून तथा श्री प्रवीन कुमार, वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा को जाँच समिति में सदस्य के रूप में नामित किया गया था। जॉच समिति द्वारा दिनांक 17.10.2020 को स्थलीय निरीक्षण करने के उपरान्त जॉच आख्या दिनांक 28.10.2020 को संगत अभिलेखों के साथ प्रमुख वन संरक्षक, (HoFF) उत्तराखण्ड, देहरादून को प्रेषित कर दी गयी थी, जिसमें जॉच समिति द्वारा अवैध रूप से गिराये गये वृक्षों का पातन होने पर प्रभावी नियंत्रण न करने एवं संरेखण परिवर्तन करने के लिए लोक निर्माण विभाग के सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारियों के साथ – साथ तत्कालीन प्रभारी वन क्षेत्राधिकारी द्वाराहाट एवं तत्कालीन अनुभाग अधिकारी (वन दरोगा) तथा तत्कालीन बीट अधिकारी (वन रक्षक) को शिथिलता बरतने के लिये जिम्मेदार माना गया। उपरोक्त के अतिरिक्त प्रमुख वन संरक्षक, (HoFF) उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्राकं 1384/पी0ओ0/29–3(3) दिनांक 21.06.2021 द्वारा पुनः संयुक्त जॉच हेतु 02 सदस्यीय समिति का गठन कर श्री प्रवीण कुमार, वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा एवं श्री हरीश चन्द्र जोशी, सहायक वैज्ञानिक अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय हल्द्वानी को सदस्य नामित किया गया था। जाँच समिति द्वारा दिनांक 29.06.2021 को स्थलीय निरीक्षण किया गया। जाँच समिति द्वारा अपने निरीक्षण आख्या में कार्यदायी संस्था द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो का अनुपालन कराये बिना तथा प्रस्तावित संरेखण से बाहर वन भूमि में कार्य किये जाने एवं अवैध रूप से वृक्षों का पातन होने में प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित नहीं किये जाने से सम्बन्धित तत्कालीन प्रभारी वन क्षेत्राधिकारी, अनुभाग अधिकारी (वन दरोगा) एवं तत्कालीन बीट अधिकारी (वन रक्षक) भी शिथिलता बरतने के लिए जिम्मेदार माना।

जाँच समिति के निर्णय के आलोक में वन विभाग से सम्बन्धित श्री दिनेश चन्द्र भट्ट, वन दरोगा के विरूद्व द्वाराहाट रेंज के कोटिला–ग्वाड़– सुरईखेत मोटर मार्ग में बड़े पैमाने पर आरक्षित/सिविल/नाप/पंचायत क्षेत्रो में वृक्षों के अवैध रूप से पातन व आरक्षित वन क्षेत्र में बिना स्वीकृति के अवैध सड़क निर्माण तथा आरक्षित वन क्षेत्र में अनियंत्रित मलुवा डालने का प्रकरण संज्ञान में आने पर इस कार्यालय के पत्रांक 2458/1–15 दिनांक 22.12.2020 द्वारा श्री रमेश चन्द्र काण्डपाल, प्रभागीय वनाधिकारी सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, अल्मोड़ा को जाँच अधिकारी नियुक्त कर इस कार्यालय के पत्रांक 2457/1–15 दिनांक 22.12.2020 से जारी आरोप पत्र अपचारी अधिकारी/कर्मचारी को तामिल किये जाने हेतु उन्हें प्रेषित किये गये। अपचारी अधिकारी/कर्मचारी श्री दिनेश चन्द्र भट्ट, वन देरागा के विरूद्ध जारी आरोप जो निम्न प्रकार हैं :–

आरोप संख्या 1 :– आरोपी कार्मिक श्री दिनेश चन्द्र भट्ट, वन दरोगा दिनांक 20.11.2019 से 26.02.2020 तक वन क्षेत्राधिकारी कार्यालय द्वाराहाट वन क्षेत्र, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा के साथ–साथ चन्थरिया प्रथम बीट के अन्तर्गत वन आरक्षी/वन बीट अधिकारी के रूप में कार्यरत रहे थे। आरोपी कार्मिक द्वारा बीट प्रभारी चन्थरिया प्रथम बीट के रूप में अपने राजकीय दायित्वों का सम्यक रूप से निर्वहन नही किया गया। लौट संख्या 03/38/2020–21 में कुल 18 वृक्ष चन्थरिया आरक्षित वन में पातन हेतु चिन्हित किये गय थे, जबकि चन्थरिया आरक्षित वन में 18 चिन्हित वृक्षों के अतिरिक्त 47 और अवैध वृक्षों का पातन हुआ है। इस प्रकार कुल 65 वृक्षों का अवैध पातन हुआ। इतनी अधिक मात्रा में अवैध पातन होने के उपरान्त भी आरोपी कार्मिक द्वारा वन अपराध में दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही नही की गयी। अरोपी कार्मिक को चन्थरिया आरक्षित वन जो भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 20 के तहत् अधिसूचित वन है, में अवैध पातन पर कोई कार्यवाही ना करने, अवैध पातन की सूचना उच्च स्तर को ना देने, अवैध पातन के फलस्वरूप शासकीय राजस्व की हानि रू0 181694.00 (एक लाख इक्यासी हजार छः सौ चौरानब्बे) मात्र के लिए उत्तरदायी मानते हुए आरोपित किया जाता है।

<u>आरोप संख्या 1 के क्रम में अंपचारी कर्मचारी का प्रतिउत्तर</u> :–

प्रत्युत्तर :– उक्त अरोप के प्रतिउत्तर मे अवगत कराना है कि पर्यावरण, वन एवं वन एवं जलवायु परिर्वतन मंत्रालय, के क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर केन्द्रीय क्षेत्र) 25 सुभाष रोड देहरादून के पत्रांक 8बी/यू0सी0पी0/06/153/2015–एफ0–सी0 1472 दिनांक 23.10.2018 से अल्मोड़ा जनपद के अन्तर्गत कोटिला–ग्वाड़–सुरईखेत मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.85 हैक्टयर वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को वन संरक्षक अधिनियम 1980 की धारा 2 के तहत् प्रत्यावर्तन की सैद्वान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी थी। जिसके अन्तर्गत निम्न शर्ते उल्लेखनीय है:–

(1) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावत्ति भूमि के बदले 7.70 है0 ग्राम – बिल्लेख, सिविल भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभागके स्वामित्व से बाहर है, इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने की कार्यवाही की जायेगी, के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

(2) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 में दिये गये आदेशा अनुसार शुद्व वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित धनराशि जमा की जायेगी।

(3) शुद्व वर्तमान मूल्य की दर में यदि वृद्वि होती है तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा जमा की जायेगी।

(4) प्रयोक्ता अधिकरणयह सुनिश्चित करे की जमा की गयी सभी निधियों को वैब पोर्टल पर ऑन लाईन जनरैट किये गये चालान के माध्यम द्वारा उचित ऑन लाईन बैंक में जमा किया जायेगा।

प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा के पत्रांक 4246/12–1 (2) दिनांक 01.02.2019 के अनुसार कोटिला–ग्वाड़–सुरईखेत मोटर मार्ग के निर्माण हेतु एन0पी0बी0 हेतु रू0 36,15,150/– मात्र की धनराशि एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु रू0 21,45,720/– मात्र की धनराशि जमा करने के लिए निर्देश जारी किया गया था। इस प्रकार कुल रू0 57,57,870/– मात्र की धनराशि अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत को जमा करनी थी। अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत द्वारा अपने पत्रांक 3446/18सी0 दिनांक 27.09.2019 से अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, इन्द्रा नगर, वन कालौनी, उत्तराखण्ड, देहरादून को अवगत कराया गया कि शर्त संख्या– 1 के अनुसार 3.85 है0 क्षेत्रफल के दुगने क्षेत्रफल में 10 वर्षो तक क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु रू0 21,45,720/– मात्र की धनराशि यू0टी0आर0 नं0 एस0बी0आर0एन0 319264829494 दिनांक 21.09.2019 से जमा कर दी गयी है एवं शर्त संख्या 2 के अनुसार एन0पी0वी0 की धनराशि रू0

32,53,250/- यू0यू0टी0आर0 नं0 एस0बी0आर0एन0 319264829494 दिनांक 21.09.2019 द्वारा जमा की गयी है। जिसकी छाया प्रतिया उनके द्वारा प्रेषित की गयी है। इसके अतिरिक्त जिलाधिकारी अल्मोड़ा के आदेश संख्या 1890/ग्यारह-11/2018-19 दिनांक 25.02.2019 से कोटिला-ग्वाड़-सुरईखेत मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.85 है0 वन भूमि के स्थान पर दुगने क्षेत्रफल 7.70 है0 क्षेत्रफल वाली सिविल भूमि बिल्लेख, तहसील - रानीखेत के गैर जमीन्दारी विनाशी खाता खतौनी संख्या 62 की श्रेणी 9(3) बंजर काबिल आबाद भूमि के पैमायसी खेत संख्या 5998 के 7.430 है0 एवं खेत संख्या 5999 की 0.270 है0 भूमि को वन विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रण में नामान्तिरित करने के आदेश पारित किये गये थे।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, के क्षेत्रीय कार्यालय(उत्तर केन्द्रीय क्षेत्र) 25 सुभाष रोड देहरादून के पत्रांक 8बी/यू0सी0पी0/06/153/2015-एफ0-सी0 1472 दिनांक 23.10.2018 के पृष्ठ संख्या - 2, शर्त संख्या 12 में निम्न प्राविधान रखे गये है:-

12. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागु होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेदारी होगी। इसके अतिरिक्त यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि विधिवत स्वीकृति में दिये गयी शर्तो का संतोषजनक अनुपालन नहीं किया जाता है तो स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि प्रयोक्ता ऐजेंसी अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत द्वारा आरक्षित वन चन्थरिया में चिन्हित 18 वृक्षों के अतिरिक्त 47 वृक्षों का अवैध पातन किया गया है। आरोप पत्र में 18 वृक्षों को चिन्हित दिखाया गया है जबकि 65 वृक्षों को अवैध पातित दिखाया गया है। अवैध पातित वृक्षों के सापेक्ष रेंज केस संख्या - 3/द्वाराहाट रेंज/2020-21 दिनांक 11.07.2020 की जॉच हेतु प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा के पत्रांक 55(शि0)/8-2 दिनांक 08.10.2020 के मामलें की जॉच श्रीमति संचिता वर्मा, वन क्षेत्राधिकारी, अल्मोड़ा को सौपी गयी है। धारा 26(1) भारतीय वन अधिनियम 1927 का अपराध उक्त अधिनियम की धारा 68 के तहत् प्रशमनीय है। मामलें में वन क्षेत्राधिकारी अल्मोड़ा को स्तर से जॉच एवं कार्यवाही अपेक्षित है। प्रभागीय वनाधिकारी, कार्यालय से इस सम्बन्ध में पुनः पत्रांक 2259/8-2 दिनांक 22.10.2020 से वन क्षेत्राधिकारी अल्मोड़ा का जॉच हेतु निर्देशित किया गया है। विस्तृत जॉच रिर्पोट एवं कार्यवाही वन क्षेत्राधिकारी अल्मोड़ा के स्तर से की जानी है। उपरोक्त आरोप पत्र में वन क्षेत्राधिकारी अल्मोड़ा द्वारा प्रेषित किसी भी जॉच रिर्पोट को सम्मिलित नही किया गया है। अवैध पातन के लिए प्रयोक्ता ऐजेंसी के जिम्मेदार अधिकारी, अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत जिनकी सेवाए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 में राज्य को प्रदत्त शक्तियों के तहत् निर्गत उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 (संशोधन) नियमावली 2010 एवं उत्तराखण्ड कर्मचारी आचरण नियमावली 2002 से आछादित होती है, के विरूद्व उत्तराखण्ड शासन की ओर से कोई भी आरोप पत्र निर्गत कर अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ नही की गयी है। इसके अतिरिक्त भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 26(1) के तहत् अपराध पर प्रयोक्ता ऐजेंसी के जिम्मेदार अधिकारी अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत के विरूद्व सक्षम न्यायालय में परिवाद दाखिल करने की कार्यवाही भी आतिथि तक किया जाना संज्ञान में नहीं है। इसके अतिरिक्त यह भी उल्लेखनीय है कि उपरोक्त मोटर मार्ग के निर्माण हेतु उत्तराखण्ड वन विकास निगम अल्मोड़ा को आवंटित लौट संख्या 3/38/2020-21 दिनांक 02.03.2019 हस्तान्तरित करने के उपरान्त भी उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा जे0सी0बी0 से वृक्षों को उखाड़ने की सूचना वन विभाग को नहीं दी गयी थी, जबकि उत्त प्रदेश वन निगम सहिता के अध्याय - 15 में वन उपज की सुरक्षा में वर्णित व्यवस्था 15-4(2) के तहत् स्थानीय वन अधिकारी को सूचित करना एवं प्रतिरोधक कार्यवाही में सहायता का दायित्व उत्तराखण्ड वन विकास निगम का था। उनके द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी को इस सम्बन्ध में कोई भी सूचना नहीं दी गयी है। जिलाधिकारी, अल्मोड़ा द्वारा अपने पत्रांक आदेश 4769/छब्बीस-05/2019-20 दिनांक 25.07.2020 द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा की अध्यक्षता में गठित जॉच समिति में अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत, उप जिलाधिकारी द्वाराहाट, प्रभागीय लौगिक प्रबन्धक अधिकारी, अल्मोड़ा को सम्मिलित किया गया था। जॉच समिति की रिर्पोट प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा के पत्रांक 1084/8-2 दिनांक 22.08.2020 द्वारा जिलाधिकारी अल्मोड़ा को प्रेषित की गयी है। जॉच समिति द्वारा अपनी जॉच रिर्पोट में स्पष्ट किया गया है कि कार्यदायी संस्था अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत द्वारा ही बिना छपान के 47 वृक्ष गिराये गये है। इस प्रकार उक्त अपराध के लिए प्रयोक्ता ऐजेंसी अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत एवं उत्तराखण्ड वन विकास निगम, अल्मोड़ा पूर्ण रूप से जिम्मेवार है। मामले में अपचारी

कर्मचारी की कोई भूमिका नहीं है। विभाग को होने क्षति की प्रतिपूर्ति भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 68 तहत् प्रयोक्ता ऐजेंसी अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत से किया जाना न्याय हित मे आवश्यक है। मामलें में दर्ज रेंज केस संख्या–3/द्वाराहाट/2020–21 दिनांक 11.07.2020 की जॉच वर्तमान में गतिमान है। विभाग के पास अभियुक्त अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत के विरूद्व कार्यवाही हेतु पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है। वन क्षेत्राधिकारी अल्मोड़ा की जॉच आख्या जब तक लम्बित है तब तक उक्त आरोप अपचारी कर्मचारी पर साबित नही होते है। यहॉ यह भी उल्लेख करना आवश्यक है कि प्रार्थी वन क्षेत्र कार्यालय द्वाराहाट में रेंज लिपिक के दायित्वों को निर्वहन भी कर रहा था। बीट प्रभारी के रूप में सतत रूप से गश्त करने के लिए प्रार्थी को आवश्यक समय नहीं मिल पाया। माह फरवरी–मार्च में प्रभागीय वनाधिकारी एवं उप प्रभागीय वनाधिकारी के कार्यालय के निरीक्षण भी होते है, इस हेतु अभिलेखो को व्यवस्थित करना एवं प्रविष्टीयों को पूर्ण करना कार्यालय रेंज लिपिक का कार्य होता है। इसी दौरान अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा की कार्ययोजन हेतु भी विभिन्न प्रपत्रों मे सूचनाए तैयार करने का कार्य भी प्रार्थी द्वारा किया गया। द्वाराहाट वन क्षेत्र में कार्मिकों की भारी कमी को देखते हुए वन क्षेत्राधिकारी द्वाराहाट द्वारा प्रार्थी को चन्थरिया बीट का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया था। जबकि प्रार्थी विगत 6 वर्षो से कार्यालय लिपिक का ही कार्य कर रहा था, इसके अतिरिक्त यह भी उल्लेखनीय है कि कोविड–19 वैश्विक माहमारी के उपरान्त वन क्षेत्रों के अन्तर्गत गश्त नहीं हो सकी थी। प्रकरण संज्ञान मे आने से पूर्व ही प्रार्थी का स्थानान्तरण द्वाराहाट से अल्मोड़ा हो चुका था। मामलें में अपराध दर्ज करने की कार्यवाही श्री हेमन्त नयाल, वन आरक्षी, द्वाराहाट द्वारा की गयी।

<u>आरोप संख्या 1 के सम्बन्ध में जॉंच अधिकारी की आख्या/विवेचना</u> :–

कोटिला–ग्वाड़–सुरईखेत मोटर मार्ग निर्माण में आरक्षित वन चन्थरिया में 18 चिन्हित वृक्षों के अतिरिक्त 47 अन्य वृक्षों का अवैध पातन होने के उपरान्त वन अपराध में दोषी व्यक्ति के विरूद्व कोई कार्यवाही ना करने तथा अवैध पातन की कोई सूचना उच्च स्तर को ना देने एवं उक्त क्षेत्र में हुए अवैध पातन के फलस्वरूप 1,81,694/– की क्षति के लिए उत्तरदायी होने के सम्बन्ध में अपचारी कर्मचारी द्वारा दिया गया उत्तर मान्य नहीं है। घटना स्थल से लगभग 1.50 किमी0 दूरी पर अनुभाग मुख्यालय में रहते हुए अवैध कार्यो की जानकारी ना होना तर्क संगत प्रतीत नही होता है। साक्ष्यो के बयानो व उपलब्ध अभिलेखों से पुष्टि होती है कि घटना रोड निर्माण में बरती जा रही अनियमितताए माह फरवरी से मई 2020 के बीच घटित हुई। घटना की शिकायत होने पर प्रभागीय वनाधिकारी एवं जॉच टीम द्वारा जॉच करने के उपरान्त अपचारी कर्मचारी द्वारा घटना के जुर्म केश वन बीट अधिकारी से इजराय करवाये गये। उक्त प्रकरण में अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत के विरूद्व जुर्म केस इजराय किये गये है तथा जिनकी जॉच चल रही है। अतः अवैध पातन के फलस्वरूप हुई क्षति के लिए अपचारी कर्मचारी पर वर्तमान में उत्तदायित्व का निधारण नही किया जा सकता है, परन्तु वन अपराध में दोषी व्यक्ति के विरूद्व समयान्तर्गत कोई कार्यवाही ना करना तथा अवैध पातन एवं अन्रू अनियमितताओ की सूचना उच्च स्तर को ना देने के आरोप की पुष्टि होती है।

आरोप संख्या 2 :– कोटिला–ग्वाड़–सुरईखेत मोटर मार्ग जिसके निर्माण में प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा वन पंचायत ग्वाड़, सिविल भूमि ग्वाड़, नाप भूमि ग्वाड़, सिविल भूमि कोटिला, नाप भूमि कोटिला, नाप भूमि बयेला, सिविल भूमि बयेला, सिविल भूमि फल्द्वाड़ी, नाप भूमि फल्द्वाड़ी में वृक्षों के अवैध पातन करने की सूचना उच्च अधिकारियों को ना देने एवं उक्त के विरूद्व कोई भी अपराध निर्धारित समयावधि में दर्ज ना करने के आरोप में आरोपित किया जाता है।

<u>आरोप संख्या 2 के क्रम में अपचारी कर्मचारी का प्रतिउत्तर</u> :–

प्रत्युत्तर :– उक्त के प्रतिउत्तर में अवगत कराना है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन पंचायत ग्वाड़, सिविल भूमि ग्वाड़, नाप भूमि ग्वाड़, सिविल भूमि कोटिला, नाप भूमि कोटिला, नाप भूमि बयेला, सिविल भूमि बयेला,सिविल भूमि फल्द्वाड़ी, नाप भूमि फल्द्वाड़ी में वृक्षो के अवैध पातन की सूचना उच्चाधिकारीयों को ना देने एवं उसके विरूद्व कार्यवाही ना करने के आरोप में प्रार्थी को आरोपित किया गया है। यहा यह भी उल्लेखनीय है कि प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा के कार्यालय आदेश संख्या – 249/8–2 दिनांक 17.08.2020 द्वारा श्री बी0एस0 किरौला, उप प्रभागीय वनाधिकारी, रानीखेत की अध्यक्षता में एक नौ सदस्य जॉच समिति का गठन किया गया था। जॉच समिति द्वारा उप प्रभागीय वनाधिकारी, रानीखेत के पत्रांक 78/8–1 दिनांक 17.08.2020 द्वारा अपनी जॉच रिर्पोट प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा को सौपी गयी है। जॉच समिति के रिर्पोट के अतिरिक्त कथन कमांक 8 पर उल्लेख किया गया है कि उत्तराखण्ड पंचायती वन नियमावली 2005 के नियम 19 के तहत् प्रबन्धक समिति का यह दायित्व है कि वह अवैध पातन को नियत्रिंत करे। समिति द्वारा स्पष्ट किया गया है कि सम्बन्धित वन

पंचायत समितियों द्वारा उत्तरांचल वन पंचायत नियमावली के नियम 19 में विहित व्यवस्था के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी/ वन क्षेत्राधिकारी को कोई सूचना नहीं दी गयी है। इसी रिपोर्ट कमांक 7 में जॉच समिति द्वारा उल्लेख किया गया है कि संयुक्त प्रांत (ब्रिटिश शासन) के अधीन निर्गत अधिसूचना संख्या – 869 दिनांक 17.10.1893 द्वारा कुमाऊँ क्षेत्र के पर्वतीय क्षेत्र की बेनाप एवं बंजर भूमि (आरक्षित एवं नाप भूमि को छोड़कर) रक्षित वन घोषित किया गया है। वर्ष 1894 में उक्त संरक्षित वनों को खुले सिविल एवं बंद सिविल वनो में वर्गीकृत किया गया है। इसका सम्पूर्ण प्रबन्धन एवं दायित्व राजस्व विभाग का होना समिति की रिपोर्ट में उल्लेखित है। इसके अतिरिक्त समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट के अतिरिक्त कथन के कमांक 9 पर उल्लेख किया गया है कि उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 के अतिरिक्त नाप भूमि में सकमणीय भूमिधरो की भूमि के वृक्षों का अवैध पातन होने पर भारतीय दंड सहिता की धारा 379/411 का अपराध भी दर्ज होता है। इस सम्बन्ध में श्री महेश चन्द्र पाण्डे पुत्र राम दत्त पाण्डे, ग्राम ग्वाड़, पोस्ट द्वाराहाट, जिला अल्मोड़ा द्वारा दिनांक 23.05.2020 को राजस्व उपनिरीक्षक को प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज कराने हेतु अनुरोध पत्र प्रेषित किया गया था। जिस पर राजस्व विभाग द्वारा कोई भी कार्यवाही नही की गयी। इस प्रकार आरोप पत्र में वर्णित लिखित साक्ष्य संख्या –6 उप प्रभागीय वनाधिकारी, रानीखेत का पत्रांक – 78/8–1 दिनांक 17.08.2020 आरोप पत्र का समर्थन नहीं करता है। इस आधार पर अपचारी कर्मचारी/प्रार्थी के विरूद्व आरोप स्थापित नही होते है। जिलाधिकारी, अल्मोड़ा द्वारा अपने पत्रांक आदेश 4769/छब्बीस–05/2019–20 दिनांक 25.07.2020 द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा की अध्यक्षता में गठित जॉच समिति में अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत, उप जिलाधिकारी द्वाराहाट, प्रभागिय लौगिंग प्रबन्धक अल्मोड़ा को सम्मिलित किया था। जॉच समिति की रिर्पोट प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा के पत्रांक 1084/8–2 दिनांक 22.08.2020 द्वारा जिलाधिकारी, अल्मोड़ा को प्रेषित की गयी है। जॉच समिति द्वारा अपनी जॉच रिर्पोट में स्पष्ट किया गया है कि कार्यदायी संस्था अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत द्वारा ही बिना छपान के वृक्ष गिराये गये है। इस प्रकार उक्त अपराध के लिए प्रयोक्ता ऐजेंसी अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत एवं उत्तराखण्ड वन विकास निगम, अल्मोड़ा पूर्ण रूप से जिम्मेदार है। मामले में आपचारी कर्मचारी की कोई भूमिका नहीं है। राजस्व विभाग/वन पंचायत को होने वाली क्षति की प्रतिपूर्ति भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 68 के तहत् प्रयोक्ता ऐजेंसी अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत से किया जाना न्याय हित में आवश्यक है। मामले में दर्ज रेंज केस संख्या –4/द्वाराहाट/2020–21 दिनांक 12.08.2020, 5/द्वाराहाट/2020–21 दिनांक 12.08.2020, 6/द्वाराहाट/2020–21 दिनांक 12.08.2020, 7/द्वाराहाट/2020–21 दिनांक 12.08.2020, 8/द्वाराहाट/2020–21 दिनांक 12.08.2020, 9/द्वाराहाट/2020–21 दिनांक 12.08.2020, 10/द्वाराहाट/2020–21 दिनांक 12.08.2020, 11/द्वाराहाट/2020–21 दिनांक 12.08.2020 एवं 12/द्वाराहाट/2020–21 दिनांक 12.08.2020 की जॉच वर्तमान में गतिमान है। विभाग के पास अभियुक्त अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत के विरूद्व कार्यवाही हेतु पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है। वन क्षेत्राधिकारी अल्मोड़ा की जॉच आख्या जब तक लम्बित है तब तक उक्त आरोप अपचारी कर्मचारी पर साबित नही होते है। जिलाधिकारी, अल्मोड़ा द्वारा गठित जॉच समिति की रिर्पोट के जॉच निष्कर्ष के प्रस्तर – 7,8 एवं 9 के कथन निम्न प्रकार जॉच रिर्पोट में उल्लेखित है :–

7. उत्तराचंल पंचायती वन नियमावली 2005 के नियम 19 के तहत् वन पंचायत प्रबन्धन समिति का दायत्व भी अवैध पातन को नियंत्रित करने का है। सरपंच/वन पंचायत प्रबन्धन समिति द्वारा उक्त वन पंचायत भूमि में वृक्षों के अवैध रूप से गिराने पर कोई भी कार्यवाही नही की गयी और ना ही कोई सूचना वन विभाग को दी गयी।

8. उक्त निर्माण कार्य में सिविल, पंचायती एवं नाप भूमि में अवैध पातन पर कार्यवाही राजस्व विभाग के स्तर पर भी अपेक्षित है।

9. श्री महेश चन्द्र पाण्डे, पुत्र श्री राम दत्त पाण्डे, ग्राम ग्वाड़, पोस्ट द्वाराहाट, जिला अल्मोड़ा द्वारा दिनांक 23.05.2020 को राजस्व उपनिरीक्षक, ध्याड़ी को एक रिपोर्ट नाप भूमि में वृक्षों के अवैध पातन करने पर प्राथमिकी दर्ज करने हेतु प्रेषित की गयी जिसमें राजस्व विभाग के स्तर से कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

इस प्रकार जिलाधिकारी, अल्मोड़ा के स्तर से गठित समिति की प्रशासनिक जॉच एवं प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा के स्तर से गठित समिति की उच्च स्तरीय जॉच से स्पष्ट है कि नाप भूमि, सिविल भूमि पर हुए अवैध पातन पर कार्यवाही का दायित्व राजस्व विभाग का था। राजस्व विभाग द्वारा मामलें में किसी भी राजस्व अधिकारी के विरूद्व उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003

(संशोधन) 2010 के तहत् आरोप पत्र जारी नही किया गया है। इसके अतिरिक्त उत्तरांचल पंचायती वन नियमावली 2005 के नियम 19 में विहित कर्तव्यों के अनुपालन में विफल होने पर भी जिलाधिकारी, अल्मोड़ा के स्तर से किसी भी वन पंचायत प्रबन्धन समिति को निलम्बित या विघटित/विखण्डित नही किया गया है। इस प्रकार उपरोक्त तथ्यों के आधार पर आरोप अपचारी कर्मचारी के विरूद्व स्थापित नहीं होता है।

<u>आरोप संख्या 2 के सम्बन्ध में जॉच अधिकारी की आख्या/विवेचना</u> :-

कोटिला-ग्वाड़-सुरईखेत मोटर मार्ग जिसके निर्माण में प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा वन पंचायत ग्वाड़, सिविल भूमि ग्वाड़, नाप भूमि ग्वाड़, सिविल भूमि कोटिला, नाप भूमि कोटिला, नाप भूमि बयेला, सिविल भूमि बयेला, सिविल भूमि फल्द्वाड़ी, नाप भूमि फल्द्वाड़ी में वृक्षों के अवैध पातन करने की सूचना उच्चाधिकारियों को ना देने एवं उक्त के विरूद्व कोई भी अपराध निर्धारित समयावधि में दर्ज ना करवानेके आरोप के संबंध में अपचारी कर्मचारी का उत्तर तर्क संगत नही है। घटना के विरूद्व राजस्व अधिकारियों एवं उच्चाधिकारियों को घटना घटित होने के लगभग 6 माह पश्चात् तक सूचित ना करने एवं सम्बन्धित के विरूद्व कोई भी अपराध निर्धारित समयावधि में दर्ज ना करने के आरोप की पुष्टि होती है।

आरोप संख्या 3 :- कोटिला-ग्वाड़-सुरईखेत मोटर मार्ग में चन्थरिया आरक्षित वन में 400 मी0 × 7 मी0 सड़क का निर्माण स्वीकृत परियोजना के सापेक्ष होना था, लेकिन मामलें में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा गठित जॉच समिति की रिर्पोट के जॉच परिणाम में 630 मी0 × 4 मी0 सड़क का कटान होना प्रकाश में आया है। आरोपी कार्मिक को बिना स्वीकृति के 230 मी0 अतिरिक्त सड़क निर्माण जो आरक्षित वन क्षेत्र में किया गया है को ना रोक पाने, सड़क निर्माण में वन संरक्षण अधिनियम का उल्लघंन करने का अपराध दर्ज ना करने, अपराध रोकने के लिए कोई प्रयास ना करने, अपराध होने की सूचना उच्चाधिकारियों ससमय ना देने के आरोप में आरोपित किया जाता है।

<u>आरोप संख्या 3 के क्रम में अपचारी कर्मचारी का प्रतिउत्तर</u> :-

प्रत्युत्तर :- उक्त आरोप के प्रतिउत्तर में अवगत करान है कि जिलाधिकारी, अल्मोड़ा द्वारा अपने पत्रांक आदेश 4769/छब्बीस-05/2019-20 दिनांक 25.07.2020 द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा की अध्यक्षता में गठित जॉच समिति में अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत, उप जिलाधिकारी द्वाराहाट, प्रभागीय लौगिक प्रबन्धक अधिकारी, अल्मोड़ा को सम्मिलित किया गया था। जॉच समिति की रिर्पोट प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा के पत्रांक 1084/8-2 दिनांक 22.08. 2020 द्वारा जिलाधिकारी अल्मोड़ा को प्रेषित की गयी है। जॉच समिति द्वारा अपनी जॉच रिर्पोट निष्कर्ष संख्या - 3 में निम्न प्रकार कथन प्रस्तुत किया गया है :-

3. लोक निर्माण विभाग द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 की धारा 02 के तहत् कोटिला-ग्वाड़-सुरईखेत मोटर मार्ग के निर्माण हेतु आरक्षित वन चन्थरिया के कक्ष संख्या 15 व 16 में स्वीकृत 400 मी0 × 7 मी0 सड़क के स्थान पर वर्तमान तक 630 मी0 × 4 मी0 सड़क काटी गयी है। उक्त मोटर मार्ग के निर्माण में कुल 5.500 किमी0 वन भूमि का कार्यदायी संस्था को हस्तान्तरित हुई है, जिसमें निर्माण कार्य प्रगति पर है। आरक्षित वन भूमि में स्वीकृत 400 मी0 से अधिक लम्बाई में रोड काटे जाने से वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लघंन हुआ है, जिसके लिए कार्यदायी संस्था पूर्णरूप से उत्तरदायी है, किंतु लोक निर्माण विभाग उक्त से सहमत नहीं है।

इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता ऐजेंसी के विरूद्व रेंज केस संख्या 3/द्वाराहाट/2020-21 दिनांक 11.07. 2020 को दर्ज किया गया है। मामले की विवेचना वन क्षेत्राधिकारी अल्मोड़ा के स्तर से गतिमान है। प्रयोक्त ऐजेंसी द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा 2/3 क का स्पष्ट उल्लघंन किया गया है। जिलाधिकारी, अल्मोड़ा द्वारा गठित प्रशासनिक जॉच समिति की रिर्पोट में प्रयोक्ता ऐजेंसी द्वारा अपराध किया जाना स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रहा है। इसके अतिरिक्त प्रयोक्ता ऐजेंसी द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, के क्षेत्रीय कार्यालय(उत्तर केन्द्रीय क्षेत्र) 25 सुभाष रोड देहरादून के पत्रांक 8बी/यू0सी0पी0/06/153/2015-एफ0-सी0 1472 दिनांक 23.10.2018 में विहित शर्तो का उल्लघंन किया है। शर्तो के उल्लघंन करने पर उक्त सैद्वान्तिक एवं विधिवत स्वीकृतिया निरस्त करने योग्य है एवं दोषी अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत के विरूद्व सक्षम न्यायालय में परिवाद दाखिल किया जा सकता है। प्रयोक्ता ऐजेंसी से जिम्मेदार अधिकारी अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत जिनकी सेवाए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 में राज्य को प्रदत्त शक्तियों के तहत् निर्गत उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 (संशोधन) नियमावली 2010 एवं उत्तराखण्ड कर्मचारी आचरण नियमावली 2002 से आछादित होती है, के विरूद्व उत्तराखण्ड शासन की ओर से कोई भी आरोप पत्र निर्गत कर अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ नही की गयी है। प्रार्थी का स्थानान्तरण घटना प्रकाश मे आने से पूर्व ही अल्मोड़ा हो गया था। मामलें में कार्यवाही श्री

हेमन्त सिंह नयाल, वन आरक्षी एवं श्री संजय सिंह रावत, वन आरक्षी द्वारा की गयी है। प्रार्थी द्वारा प्रकरण में शिथिलता नही बरती गयी, क्योकि उक्त प्रकरण में समस्त कार्यवाही दिनांक 10.07.2020 को प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा के दौरे के उपरान्त हुई थी।

आरोप संख्या 3 के सम्बन्ध में जाँच अधिकारी की आख्या/विवेचना :–

कोटिला–ग्वाड़–सुरईखेत मोटर मार्ग में चन्थरिया आरक्षित वन में 400 मी0 × 7 मी0 सड़क का निर्माण स्वीकृत परियोजना के सापेक्ष होना था, लेकिन मामलें में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा गठित जॉच समिति की रिर्पोट के जॉच परिणाम में 630 मी0 × 4 मी0 सड़क का कटान होना प्रकाश में आया है। अपचारी कर्मचारी को बिना स्वीकृति के 230 मी0 अतिरिक्त सड़क निर्माण जो आरक्षित वन क्षेत्र में किया गया है को ना रोक पाने, सड़क निर्माण में वन संरक्षण अधिनियम का उल्लघंन करने का अपराध दर्ज ना करने, अपराध रोकने के लिए कोई प्रयास ना करने, अपराध होने की सूचना उच्चाधिकारियों को ससमय ना देने के सम्बन्ध में अपचारी कर्मचारी का उत्तर मान्य नही है। अतः उक्त आरोप की पुष्टि होती है।

आरोप संख्या 4 :– लौट संख्या 03/38/2020–21 में छपान के वृक्षों का पातन वन विकास निगम के स्थान पर प्रयोक्ता ऐजेसी के द्वारा किया जाना जॉच समिति की रिर्पोट में प्रकाश में आया है। प्रयोक्ता ऐजेसी का यह कार्य मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा रिट याचिका संख्या 202/1995 टी0एन0 गोडाबर्मन बनाम् भारत संघ व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 12.12.1996 के विपरीत है। इस कार्य से वन विकास निगम को वृक्षों के पातन/विपणन से प्राप्त होने वाली रायल्टी/आय प्राप्त नहीं हुई है। आरोपी कार्मिक को इस प्रकार के अपराध की सूचना उच्च स्तर को ससमय ना देने एवं अपने स्तर से मामलें में कोई कार्यवाही ना करने के आरोप में आरोपित किया जाता है :–

आरोप संख्या 4 के क्रम में अपचारी कर्मचारी का प्रतिउत्तर :–

प्रत्युत्तर :– उक्त के प्रतिउत्तर में अवगत कराना है कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, के क्षेत्रीय कार्यालय(उत्तर केन्द्रीय क्षेत्र) 25 सुभाष रोड देहरादून के पत्रांक 8बी/यू0सी0पी0/06/153/2015–एफ0–सी0 1472 दिनांक 23.10.2018 पृष्ठ संख्या–2, शर्त संख्या 12 में निम्न प्राविधान रखे गये हैः–

12. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/ प्रयोक्ता ऐजेंसी की जिम्मेदारी होगी।

इस प्रकार स्पष्ट है कि मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा रिट याचिका संख्या – 202/1995 टी0एन0 गोडाबमन बनाम् यूनियन ऑफ इण्डिया में पारित निर्णय दिनांक 12.12.1996 के उल्लघंन की कार्यवाही प्रयोक्ता अभिकरण अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत के द्वारा की गयी है। प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा के कार्यालय आदेश संख्या – 249/8–2 दिनांक 17.08.2020 द्वारा श्री बी0एस0 किरौला, उप प्रभागीय वनाधिकारी, रानीखेत की अध्यक्षता में एक नौ सदस्यीय जॉच समिति का गठन किया गया था। जॉच समिति द्वारा उप प्रभागीय वनाधिकारी, रानीखेत का पत्रांक 78/8–1 दिनांक 17.08.2020 द्वारा अपनी जॉच रिर्पोट प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा को सौपी गयी। जॉच समिति की रिर्पोट के जॉच परिणाम के बिन्दु संख्या – 6 पर स्पष्ट किया गया है कि लौट संख्या – 3/38/2020–21 में वृक्षों का कटान कार्य उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा ही किया जाना था। प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा द्वारा अपने पत्रांक 1258/1–15 दिनांक 22.10.2020 के माध्यम से अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत को स्पष्ट रूप से अवगत कराया गया है कि उनके स्तर से ही वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानो का उल्लघंन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा द्वारा अपने पत्रांक 260/8–2 दिनांक 13.07.2020 में अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत को पत्र जारी कर स्पष्ट किया गया है कि उनके द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 202/1995 टी0एन0 गोडाबर्मन बनाम् यूनियन ऑफ इण्डिया में पारित निर्णय दिनांक 12.12.1996 के उल्लघंन की कार्यवाही की गयी है। इसके अतिरिक्त यह भी स्पष्ट करना है कि प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोडा वन प्रभाग, अल्मोड़ा एवं जिलाधिकारी, अल्मोड़ा द्वारा गठित जॉच समितियों में भी यह स्पष्ट दृष्टिगोचर हुआ है कि मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.12.1996 का उल्लघंन प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा किया गया है। इसके अतिरिक्त यह भी उल्लेखनीय है कि उपरोक्त मोटर मार्ग के निर्माण हेतु उत्तराखण्ड वन विकास निगम, अल्मोड़ा को आवंटित लौट संख्या – 3/38/2020–21 दिनांक 02.06.2020 को हस्तान्तरित करने के उपरान्त ही उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा जे0सी0बी0 से वृक्षों को उखाड़ने की सूचना वन विभाग को नही दी गयी थी, जबकि उत्तर प्रदेश वन विकास निगम सहिता के अध्याय – 15 में वन उपज की सूरक्षा में वर्णित व्यवस्था 15–4(2) के तहत्

स्थानीय वनाधिकारी को सूचित करना एवं प्रतिरोधक कार्यवाही में सहायता का दायित्व उत्तराखण्ड वन विकास निगम का था। उनके द्वारा प्रभागीय वाधिकारी को इस सम्बन्ध में कोई भी सूचना नहीं दी गयी। जिलाधिकारी, अल्मोड़ा द्वारा अपने पत्रांक आदेश 4769/छब्बीस–05/2019–20 दिनांक 25.07.2020 द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा की अध्यक्षता में गठित जॉच समिति में अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत, उप जिलाधिकारी द्वाराहाट, प्रभागिय लौगिंग प्रबन्धक अल्मोड़ा को सम्मिलित किया था। जॉच समिति की रिर्पोट प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा के पत्रांक 1084/8–2 दिनांक 22.08.2020 द्वारा जिलाधिकारी, अल्मोड़ा को प्रेषित की गयी है। जॉच समिति के द्वारा अपनी जॉच रिर्पोट भी स्पष्ट किया गया है कि कार्यदायी संस्था अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत द्वारा ही बिना छपान के वृक्ष गिराये गये थे। इस प्रकार उक्त अपराध के लिए प्रयोक्ता ऐजेंसी अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत एवं उत्तराखण्ड वन विकास निगम अल्मोड़ा पूर्ण रूप से जिम्मेदार है। उपरोक्त बिन्दुओं के सापेक्ष वन अपराध दर्ज किये गये है, जिनकी विवेचना श्रीमती संचिता वर्मा, वन क्षेत्राधिकारी अल्मोड़ा द्वारा की जा रही है। मामले में अपचारी कर्मचारी की ओर से कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। आरोप संख्या – 4 अपचारी कर्मचारी के विरूद्ध स्थापित नहीं होता है।

<u>आरोप संख्या 4 के सम्बन्ध में जाँच अधिकारी की आख्या/विवेचना</u> :–

लौट संख्या 03/38/2020–21 में छपान किये गये वृक्षों का पातन वन विकास निगम के स्थान पर प्रयोक्ता ऐजेसी के द्वारा किया जाना जॉच समिति की रिर्पोट में प्रकाश में आया है। प्रयोक्ता ऐजेसी का यह कार्य मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा रिट याचिका संख्या 202/1995 टी0एन0 गोडाबर्मन बनाम् भारत संघ व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 12.12.1996 के विपरीत है। इस कार्य से वन विकास निगम को वृक्षों के पातन/विपणन से प्राप्त होने वाली रायल्टी/आय प्राप्त नहीं हुई है। अपचारी कर्मचारी को इस प्रकार के अपराध की सूचना उच्च स्तर को ससमय ना देने एवं अपने स्तर से मामलें में कोई कार्यवाही ना करने के सम्बन्ध में दिया गया उत्तर मान्य नही है। अतः उक्त आरोप की पुष्टि होती है।

आरोप संख्या 5 :– कोटिला–ग्वाड़–सुरईखेत मोटर मार्ग परियोजना के तहत् प्रयोक्ता ऐजेंसी को परियोजना में निर्धारित स्थल पर ही सड़क के मलुवे का निस्तारण करना था, लेकिन प्रयोक्ता ऐजेंसी द्वारा चन्थरिया आरक्षित वन कक्ष संख्या 15 व 16 में ही मलुवे का निस्तारण किया गया है। यह कार्य भारत सरकार द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा 2 के तहत् वन भूमि के गैरवानिकी कार्यो के प्रयोग हेतु वन भूमि के हस्तांनतरण की शर्तो एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, के क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर केन्द्रीय क्षेत्र) 25 सुभाष रोड देहरादून के पत्रांक 8बी/यू0सी0पी0/06/153/2015–एफ0–सी0 1472 दिनांक 23.10.2018 की शर्तो के विपरीत है। आरोपी कार्मिक को आरक्षित वन चन्थरिया कक्ष सं0 15 व 16 में प्रयोक्ता ऐजेंसी द्वारा मलुवा डालने पर कोई कार्यवाही ना करने, मलुवा डालने की सूचना उच्च स्तर को ना देने एवं अपने राजकीय दायित्वों का निष्पादन पूर्ण कर्तव्य निष्ठा से ना करने के आरोप में आरोपित किया जाता है।

<u>आरोप संख्या 5 के क्रम में अपचारी कर्मचारी का प्रतिउत्तर</u> :–

प्रत्युत्तर :–उक्त आरोप के प्रतिउत्तर में अवगत कराना है कि वर्ष 2020 में वैश्विक माहमारी कोविड–19 के कारण प्रधानमंत्री भारत सरकार द्वारा मार्च 2020 से पूरे देश में लाकडाउन घोषित किया गया। लाकडाउन की अवधि में किसी भी घर से बाहर बेवजह निकलने पर उसके विरूद्ध पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज किया जा रहा था। मामलें की प्रशासनिक जॉच जिलाधिकारी, अल्मोड़ा द्वारा करायी गयी थी, किन्तु लाकडाउन की अवधि में प्रयोक्ता ऐजेंसी एवं सम्बन्धित ठेकेदारों द्वारा किस प्रकार बिना प्रशासन के अनुमति के कार्य प्रारम्भ किया गया, इस पर कोई भी जॉच नहीं हो सकी है। इसके अतिरिक्त लाकडाउन की अवधि में निर्माण कार्य करने वाले ठेकेदारो एवं प्रयोक्ता अभिकरण के अधिकारियों के विरूद्व आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 के अन्तर्गत कोई भी कार्यवाही नहीं की गयी है। इस मामलें में यह भी स्पष्ट किया जाना है कि जब मामला वन विभाग मे संज्ञान में आया तो निर्माण कार्य रूकवा दिया गया था। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, के क्षेत्रीय कार्यालय(उत्तर केन्द्रीय क्षेत्र) 25 सुभाष रोड देहरादून के पत्रांक 8बी/यू0सी0पी0/06/153/2015–एफ0–सी0 1472 दिनांक 23.10.2018 से जारी सैद्वान्तिक स्वीकृति जो कोटिला–ग्वाड़–सुरईखेत मोटर मार्ग के निर्माण हेतु जारी थी, कि शर्तो का स्पष्ट उल्लघंन किया गया है। इस हेतु प्रभागीय वनाधिकारी अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा द्वारा गठित जॉच समिति एवं जिलाधिकारी, अल्मोड़ा द्वारा गठित प्रशासनिक जॉच समिति की रिर्पोटो में भी यह स्पष्ट किया गया है कि मलुवा निर्धारत डपिंग जोन मे नहीं निस्तारित किया गया। प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा के पत्रांक 2258/1–15 दिनांक 22.10.2020 से प्रयोक्ता अधिकरण को पत्र जारी कर स्पष्ट किया गया है कि उक्त मलुवा निस्तारण डपिंग जोन में नहीं हुआ है। अत्यन्त खेद का विषय है कि दोषी

अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत के विरूद्ध उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 (संशोधन) नियमावली 2010 एवं उत्तराखण्ड कर्मचारी आचरण नियमावली 2002 के तहत् किसी भी कार्यवाही का प्रस्ताव शासन को संदर्भित नहीं हुआ है। मामले में वन अपराध दर्ज है। जिसकी विवेचना वन क्षेत्राधिकारी अल्मोड़ा के स्तर से की जा रही है। अभी तक विवेचना परिणाम को आरोप पत्र में संलग्न नहीं किया गया है। भारत सरकार द्वारा निर्गत वन भूमि प्रत्यावर्तन की शर्तों के उल्लघंन में उक्त मोटर मार्ग के निर्माण हेतु जारी सैद्धान्तिक एवं विधिवत स्वीकृतियों को भी निरस्त करने की कार्यवाही नही हुई है। मामला संज्ञान में आने के उपरान्त वन क्षेत्र स्तर से विधिवत कार्यवाही की गयी है एवं राजकीय कर्मचारी के रूप में अपने दायित्वों को कर्तव्य परायणता से निर्वहन किया गया है। इस कारण उक्त आरोप अपचारी कर्मचारी के विरूद्ध स्थापित नहीं होते है।

आरोप संख्या 5 के सम्बन्ध में जाँच अधिकारी की आख्या/विवेचना :-

कोटिला–ग्वाड़–सुरईखेत मोटर मार्ग परियोजना के तहत् प्रयोक्ता ऐजेंसी को परियोजना में निर्धारित स्थल पर ही सड़क के मलुवे का निस्तारण करना था, लेकिन प्रयोक्ता ऐजेंसी द्वारा चन्थरिया आरक्षित वन कक्ष संख्या 15 व 16 में ही मलुवे का निस्तारण किया गया है। यह कार्य भारत सरकार द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा 2 के तहत् वन भूमि के गैरवानिकी कार्यों के प्रयोग हेतु वन भूमि के हस्तांनतरण की शर्तो एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिर्वतन मंत्रालय, के क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर केन्द्रीय क्षेत्र) 25 सुभाष रोड देहरादून के पत्रांक 8बी/यू0सी0पी0/06/153/2015–एफ0–सी0 1472 दिनांक 23.10.2018 की शर्तो के विपरीत है। अपचारी कर्मचारी को आरक्षित वन चन्थरिया कक्ष सं0 15 व 16 में प्रयोक्ता ऐजेंसी द्वारा मलुवा डालने पर कोई कार्यवाही ना करने, मलुवा डालने की सूचना उच्च स्तर को ना देने एवं अपने राजकीय दायित्वों का निष्पादन पूर्ण कर्तव्य निष्ठा से ना करने के आरोप के सम्बन्ध में अपचारी कर्मचारी का उत्तर तर्क संगत नही है। अतः उक्त आरोप की पुष्टि होती है।

आरोप संख्या 6 :- कोटिला–ग्वाड़–सुरईखेत मोटर मार्ग के निर्माण का कार्य माह फरवरी 2020 से प्रारम्भ होना जाँच समिति की रिर्पोट में उल्लेखित है। माह फरवरी से जून 2020 तक आरोपी कार्मिक के द्वारा आरक्षित वन चन्थरिया बीट में प्रभावी रूप से गश्त नही की गयी एवं ना ही उपरोक्त प्रकरण में वन अपराध को रोकने हेतु कोई भी सूचना उच्च स्तर को प्रेषित की गयी। आरोपी कार्मिक का यह कृत्य भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 66 जिसमे वन अधिकारी को वन अपराध को रोकने का दायित्व दिया गया है का घोर उल्लघंन है। आरोपी कार्मिक को बीट में प्रभावी गश्त ना करने, राजकीय कार्यो में शिथिलता बरतने के आरोप मे आरोपित किया जाता है।

आरोप संख्या 6 के क्रम में अपचारी कर्मचारी का प्रतिउत्तर :-

प्रत्युत्तर :- उक्त आरोप के प्रतिउत्तर में अवगत कराना है कि लौट संख्या 3/38/2020–21 का आवंटन प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा के पत्रांक 4202/9–1(2) दिनांक 20.05.2020 से उत्तराखण्ड वन विकास निगम अल्मोड़ा को हुआ था। वन विकास निगम अल्मोड़ा द्वारा दिनांक 02.06.2020 को उक्त लौट का कार्यभार ग्रहण कर लिया गया था। लौट का कार्यभार ग्रहण करते समय समस्त छापे गये वृक्ष उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा कब्जे में प्राप्त किये गये थे। उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा कोई ऐसी सूचना दिनांक 02.06.2020 के उपरान्त प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा को नहीं दी गयी है। इस प्रकार यह कहना की कार्य माह फरवरी से प्रारम्भ हो गया था सही नहीं है। यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि विभाग द्वारा दिनांक 02.06.2020 को लौट संख्या 3/38/2020–21 को हस्तान्तरण करने से पूर्व किसी वृक्ष का क्षतिग्रस्त होना या जे0सी0बी0 से गिराया जाना किसी भी अभिलेख में दर्ज नहीं है। प्रभागीय वनाधिकारी , अल्मोड़ा के पत्रांक 249/8–2 दिनांक 13.07.2020 से गठित जॉच समिति एवं जिलाधिकारी, अल्मोड़ा के पत्रांक 4769/छब्बीस–05/2019–20 दिनांक 25.07.2020 से गठित उच्च स्तरिय प्रशासनिक जॉच समिति में भी कही पर इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है कि वृक्षों का पातन कार्य माह फरवरी 2020 से प्रारम्भ हुआ था। जिलाधिकारी, अल्मोड़ा द्वारा गठित जॉच समिति के जॉच निष्कर्ष के बिन्दु 1 व 2 निम्न प्रकार है :-

1. वन विकास निगम, अल्मोड़ा को लौट संख्या 3/38/2020–21 दिनांक 02.06.2020 को हस्तान्तिरत करने उपनरान्त भी वन विकास निगम अल्मोड़ा द्वारा जे0सी0बी0 मशीन से वृक्षों के उखाड़े जाने की सूचना नहीं दी गयी और ना ही कोई प्राथमिकी दर्ज करायी है। जबकि वन विकास निगम सहिता के अनुसार क्षति की सूचना एवं प्राथमिकी का दायित्व उत्तराखण्ड वन विकास का था।
2. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत द्वारा लौट में वृक्षों को उखाड़ने कार्य जे0सी0बी0 मशीन से किया गया है जो कि अवैधानिक है जबकि वृक्षों का पातन वन विकास निगम द्वारा किया जाना था।

इस प्रकार स्पष्ट है कि वृक्षों को उखाड़ने / पातन का कार्य लौट हस्तान्तरण के उपरान्त किया गया है। माह फरवरी से लौट हस्तान्तरण तक वृक्षों के पातन किये जाने का कोई भी साक्षय आरोप पत्र के साथ संलग्न नही है। अतः आरोप पत्र में वर्णित साक्षय आरोपो की पुष्टि नही करते है।

आरोप संख्या 6 के सम्बन्ध में जॉच अधिकारी की आख्या/विवेचना :–

कोटिला–ग्वाड़–सुरईखेत मोटर मार्ग के निर्माण का कार्य माह फरवरी 2020 से प्रारम्भ होना जॉच समिति की रिर्पोट में उल्लेखित है। माह फरवरी से जून 2020 तक अपचारी कर्मचारी के द्वारा आरक्षित वन चन्थरिया अनुभाग में प्रभावी रूप से गश्त नही की गयी एवं ना ही उपरोक्त प्रकरण में वन अपराध को रोकने हेतु कोई भी सूचना उच्च स्तर को प्रेषित की गयी। अपचारी कर्मचारी का यह कृत्य भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 66 जिसमे वन अधिकारी को वन अपराध को रोकने का दायित्व दिया गया है का घोर उल्लघंन है। अपचारी कर्मचारी को बीट में प्रभावी गश्त ना करने, राजकीय कार्यो में शिथिलता बरतने के आरोप के बचाव में दिया गया तर्क उचित प्रतीत नही होता है। अतः आरोप की पुष्टिहोती है।

आरोप संख्या 7 :– चन्थरिया कक्ष संख्या 15 व 16 की दूरी रेंज कार्यालय/बीट मुख्यालय से लगभग 1.5 किमी एवं विभागीय पौधालय बालेश्वर से लगभग 100 मी0 है। आरोपी कार्मिक द्वारा अपने बीट मुख्यालय से इतने निकटवर्ती क्षेत्र का 4 माह तक निरीक्षण नहीं किया गया है। आरोपी कार्मिक का यह कृत्य उत्तरांचल राज्य कर्मचारियों की आचरण नियमावली 2002 के नियम 3 (1) के विपरीत है। आरोपी कार्मिक को उत्तरांचल राज्य कर्मचारियो की आचरण नियमावली 2002 के नियम 3 (1) के विपरीत आचरण करने के लिए आरोपित किया जाता है।

आरोप संख्या 4 के क्रम में अपचारी कर्मचारी का प्रतिउत्तर :–

प्रत्युत्तर :– उक्त आरोप के प्रतिउत्तर में अवगत कराना है कि वर्ष 2020 में वैश्विक महामारी कोविड – 19 के कारण मा0 प्रधानमंत्री भारत सरकार के आह्वान पर समस्त देश भर में माह मार्च से लाकडाउन हो गया था। लाकडाउन की अवधि में नागरिकों को समूह में रहने व कार्यस्थल पर कार्य करने की समुचित सुविधाए नही थी। इस अवधि में सामान्य रूप से नागरिक अपने घरों में ही रह रहे थे एवं विभिन्न अधिकारियों एंव जनप्रतिनिधियों के माध्यम से भी घर पर रहने की सलाह दी जा रही थी। प्रार्थी द्वारा वन क्षेत्राधिकारी द्वाराहाट के निर्देशन में लौट संख्या 3/38/2020–21 का छपान कार्य किया गया तथा दिनांक 02.06.2020 को लौट उत्तराखण्ड वन विकास निगम को हस्तान्तिरत की गयी। लौट हस्तान्तरण से पूर्व लौट में सम्मिलित वृक्षों में किसी प्रकार की भिन्नता एवं क्षति की सूचना उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा विभाग को नहीं दी गयी थी। उत्तर प्रदेश वन निगम सहिंता के अध्याय – 15 मे वन उपज की सुरक्षा व्यवस्था वर्णित है। सहिंता के नियम 15(4)(2) के तहत् वन उपज की चोरी होने पर स्थानीय वनाधिकारियों को सूचित करना एवं प्रतिरोधात्मक कार्यवाही का दायित्व उत्तराखण्ड वन विकास निगम का है। जो सूचना उनके द्वारा निर्धारित समय में वन क्षेत्राधिकारी या प्रभागीय वनाधिकारी को नही दी गयी। लौगिंग क्षेत्रों में समस्त आवंटित वृक्षों की गणना करना व उसकी पुष्टि करना, प्रकाष्ठ की सुरक्षा की जिम्मेदारी का दायत्व भी वन निगम सहिंता अनुच्छेद – 15(5) के तहत् उत्तराखण्ड वन विकास निगम का है। उत्तराखण्ड वन विकास निगम सहिंता के अनुच्छेद 15(8) के तहत् लौट में क्षति होने पर कार्यवाही हेतु प्राथमिकी दर्ज कराना भी उत्तराखण्ड वन विकास निगम का दायित्व है। इसके अतिरिक्त उत्तराखण्ड वन विकास निगम सहिंता के अनुसार प्रभागीय वन विकास प्रबन्धक, अल्मोड़ा द्वारा ना तो कोई निरीक्षण किया गया ना ही कोई प्राथमिकी दर्ज कराने हेतु प्रयास किया गया। उत्तराखण्ड वन विकास निगम के अनुभाग अधिकारी द्वारा सर्वप्रथम दिनांक 22.07.2020 को पत्र लिखकर वन क्षेत्राधिकारी द्वाराहाट को सूचित किया गया है कि लोक निर्माण विभाग द्वारा मशीन लगाकर वृक्षों को गिराना प्रारम्भ कर दिया गया है। इससे स्पष्ट है कि लौट में जो भी क्षति हुई है वह लौट हस्तान्तरण के उपरान्त घटित हुई है। विभाग के संज्ञान में जब यह प्रकरण आया है तो नियमानुसार अपराध दर्ज करके कार्य को रूकवाया गया। वन क्षेत्राधिकारी द्वाराहाट द्वारा भी राजस्व उपनिरीक्षक ध्याड़ी एवं राजस्व उपनिरीक्षक फल्द्वाड़ी को पत्र लिखकर प्राथमिकी दर्ज करने का अनुरोध किया गया। किन्तु मामले में किसी भी प्रकार की प्राथमिकी राजस्व विभाग द्वारा दर्ज नहीं की गयी। इस सम्बन्ध में उप प्रभागीय वनाधिकारी, रानीखेत द्वारा अपने पत्रांक 78/8–1 दिनांक 17.08.2020 द्वारा प्रेषित रिर्पोट में विस्तार पूर्वक अतिरिक्त कथन में स्पष्ट किया गया है। जिलाधिकारी, अल्मोड़ा द्वारा गठित प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा की अध्यक्षता वाली जॉच समिति द्वारा भी उप प्रभागीय वनाधिकारी, रानीखेत के पत्रांक 78/8–1 दिनांक 17.08.2020 में उल्लेखित बिन्दुओं को ही अपनी जॉच रिर्पोट में सही होना स्वीकार किया गया है। यहॉ यह उल्लेखनीय है कि उत्तराखण्ड शासन द्वारा राजस्व विभाग, प्रयोक्ता अभिकरण अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत एवं उत्तराखण्ड वन विकास निगम के अधिकारियों/ कर्मचारियों के विरूद्व उत्तराखण्ड सरकारी सेवक

(अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 (संशोधन) नियमावली 2010 के तहत् कोई भी कार्यवाही नहीं की गयी। मामलें में अभी तक दर्ज अपराधो की विवेचना पूर्ण नही हुई और ना ही प्रयोक्ता अभिकरण के विरूद्व कोई परिवाद सक्षम न्यायालय में दायर किया गया है। एक लोक सेवक के रूप में प्रार्थी/ अपचारी कर्मचारी द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन किया गया है। आरोप पत्र में उत्तरांचल कर्मचारी आचरण नियमावली – 2002 के नियम 3(1) के विरूद्व कोई विशिष्ट कथन नहीं किया गया है और ना ही काई ऐसी अभिलेख प्रस्तुत किया गया है, जिसमें किसी विशिष्ट आदेश/ शासनादेश का अपचारी कर्मचारी द्वारा उल्लघंन किया गया हो। आरोप पत्र में उल्लेखित साक्षय आरोपो का समर्थन नहीं करते है। इस कारण आरोप प्रार्थी के विरूद्व स्थापित नहीं होते है।

आरोप संख्या 7 के सम्बन्ध में जाँच अधिकारी की आख्या/विवेचना :–

चन्थरिया कक्ष संख्या 15 व 16 की दूरी रेंज कार्यालय/अनुभाग मुख्यालय से लगभग 1.5 किमी एवं विभागीय पौधालय बालेश्वर से लगभग 100 मी0 है। अपचारी कर्मचारी द्वारा अपने बीट मुख्यालय/रेंज कार्यालय से इतने निकटवर्ती क्षेत्र का 4 माह तक निरीक्षण नहीं किया गया है। अपचारी कर्मचारी का यह कृत्य उत्तरांचल राज्य कर्मचारियों की आचरण नियमावली 2002 के नियम 3 (1) के विपरीत है। अपचारी कर्मचारी को उत्तरांचल राज्य कर्मचारियो की आचरण नियमावली 2002 के नियम 3 (1) के विपरीत आचरण करने के आरोप की पुष्टि होती है।

जाँच अधिकारी श्री रमेश चन्द्र काण्डपाल, प्रभागीय वनाधिकारी सिविल एवं सोयम वन प्रभाग अल्मोड़ा द्वारा जाँच के सम्बन्ध में :–

अतिरिक्त कथन

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत् अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा से प्राप्त अभिलेखो के साथ अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत का पत्रांक 1367/18–सी0 दिनांक 23.07.2020 को प्राप्त हुआ है। प्राप्त पत्र के अनुसार अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत द्वारा जिलाधिकारी, अल्मोड़ा को कोटिला–ग्वाड़–सुरईखेत मोटर मार्ग के सम्बन्ध में आ रही समस्याओं के सम्बन्ध में अवगत कराया गया है। उक्त पत्र में अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत जिलाधिकारी, अल्मोड़ा को अवगत करा रहे है कि प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा द्वारा उक्त मोटर मार्ग में प्रभावित होने वाले वृक्षों का छपान कर लौट उत्तराखण्ड वन विकास निगम को हस्तान्तिरत कर दिया गया है। अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत यह भी उल्लेख कर रहे है कि वन विकास निगम द्वारा मौखिक निर्देश के अनुसार मार्ग में आ रहे वृक्षों को उखाड़ कर किनारे करते हुए मार्ग का निर्माण कार्य किया जा रहा है जिसमें कुछ ग्रामवासियों द्वारा संरेखण को परिवर्तित करने के सम्बन्ध में विवाद किया जा रहा है। अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत यह भी उल्लेख कर रहे है कि वन क्षेत्राधिकारी द्वाराहाट द्वारा अपने पत्रांक 45/27–1 दिनांक 18.07.2020 को कार्य को बंद करने हेतु पत्र जारी किया गया है एवं रू 10,039 लाख का जुर्माना विभाग पर किया गया है। अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत यह भी उल्लेख कर रहे है कि पहाड़ कटान के कार्य में मलुवा साईड में गिरना स्वभाविक है। वन विकास निगम द्वारा दी गयी मौखिक सहमति के उपरान्त ही निर्माण कार्य की कार्यवाही की गयी है, क्योकि उक्त निर्माण से लाभान्वित होने वाले ग्रामवासियों द्वारा वर्ष 2018–19 में आमरण अनशन एवं धरना प्रदर्शन किया गया था। इसके अतिरिक्त अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत द्वारा जिलाधिकारी, अल्मोड़ा को अवगत कराया गया है कि मा0 विधायक द्वाराहाट द्वारा भी उक्त मोटर मार्ग का निर्माण अतिशीघ्र कराये जाने के लिए निर्देश दिये गये है। दिनांक 22.07.2020 को आपके कार्यालय (जिलाधिकारी कार्यालय) में हुई बैठक में निर्माण कार्य को यथावत जारी रखने का निर्देश दिया गया है। पत्र की प्रतिलिपि सहायक अभियन्ता पंचम, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत को इस आशय से प्रेषित की गयी है कि निर्माण कार्य को सुचारू रूप से किया जाना सुनिश्चित करें।

उपरोक्त पत्र से स्पष्ट है कि निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत एवं उत्तराखण्ड वन विकास निगम के अधिकारियों की आपसी साठ–गाठ से कोटिला–ग्वाड़–सुरईखेत मोटर मार्ग में प्रभावित वृक्षों का पातन लौट हस्तान्तरण के उपरान्त किया गया है। लौट हस्तान्तरण के उपरान्त पातित वृक्षों के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा कोई भी प्राथमिकी एवं विधिक कार्यवाही नही की गयी है। सम्पूर्ण प्रकरण जिलाधिकारी, अल्मोड़ा के संज्ञान में लोग निर्माण विभाग, निर्माण खण्ड, रानीखेत द्वारा लाया गया है। इसी कारण सम्भवतः राजस्व विभाग के पटवारियों/राजस्व उपनिरीक्षको द्वारा मामलें मे कार्यवाही नही की गयी है। विभाग के सीमित संसाधनों एवं द्वाराहाट वन क्षेत्र में कर्मचारियों की कमी के कारण भी मामलें में स्थलीय जॉच एवं कार्यवाही में पर्याप्त समय लगना स्वभाविक था। उपरोक्त पत्र से स्पष्ट है कि

किसी भी वन कार्मिक द्वारा अपने पद का दुरूप्रयोग नहीं किया गया है तथा यथासम्भव प्रशासन के सहयोग पूर्ण रवैये के उपरान्त भी प्रयोक्ता ऐजेंसी के प्रभारी अधिकारी/अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत के विरूद्व कार्यवाही नहीं की गयी है। इस प्रकार की विधिक कार्यवाही के फलस्वरूप प्रार्थी/अपचारी कर्मचारी भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 74 के तहत् संरक्षण प्राप्त करने योग्य है।

यहॉ पर यह भी उल्लेखनीय है कि जिलाधिकारी, अल्मोड़ा द्वारा अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत के पत्रांक 1367/18–सी0 दिनांक 23.07.2020 का संज्ञान लेने के उपरान्त ही अपने आदेश पत्रांक 4759/छब्बीस–05/2019–20 दिनांक 25.07.2020 से ही प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा की अध्यक्षता में समिति का गठन किया था। उक्त आदेश में भी स्पष्ट किया गया है कि वन विभाग के द्वारा कार्य रोका गया है और प्रयोक्ता अभिकरण पर जुर्माना लगाया गया है। जॉच समिति की रिर्पोट के उपरान्त भी जिलाधिकारी, अल्मोड़ा के स्तर ना तो अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत के विरूद्व कार्यवाही का प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया गया है और राजस्व विभाग के अधिकारियों जिनके स्तर से नाप भूमि, सिविल भूमि, वन पंचायत के सम्बन्ध में कोई भी कार्यवाही नही की गयी थी के विरूद्व कोई कार्यवाही करवायी गयी है।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत् प्राप्त अभिलेखो के अनुसार सहायक अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत एवं अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत द्वारा मक डम्पिंग प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसमें उनके द्वारा मलुवे का निस्तारण वन आच्छादित क्षेत्रो एवं जल स्त्रोतो में नही किया जायेगा। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा कोटिला–ग्वाड़–सुरईखेत मोटर मार्ग पहाड़ कटान से उत्पादित मलुवे के निस्तारण हेतु डिटेल ऑफ मेजेरमेन्ट प्रस्तुत किया गया है। प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा के हस्ताक्षर से जारी सूचना के आधार पर रू0 15,16,853.75 का आवंटन किया गया है। इससे स्पष्ट है कि लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के द्वारा मोटर मार्ग की सैद्वान्तिक स्वीकृति की शर्तो का उल्लघंन करने के साथ–साथ मलुवा निस्तारण हेतु आवंटन धनराशि का भी दुरूप्रयोग किया जा रहा है। इस प्रकार का कृत्य लोक सेवको के आचरण के विपरीत प्रतीत होता है। यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत् श्री भुवन चन्द्र पाण्डे पुत्र महेश चन्द्र पाण्डे, ग्राम व पोस्ट ग्वाड़, द्वाराहाट, जिला अल्मोड़ा के प्रार्थना पत्र के प्रतिउत्तर में लोक सूचना अधिकारी/सहायक अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत अवगत करा रहे है कि वन भूमि से उत्सर्जित मलुवे का निस्तारण स्वीकृत सड़क की चौड़ाई में किया जायेगा, स्वीकृत चौड़ाई के अतिरिक्त फैले मलुवे को मोटर मार्ग के समतली करण आदि में प्रयोग में लाया जायेगा। इस प्रकार वन भूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही हेतु समय–समय असत्य व गलत प्रमाण पत्र प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत किये गये है। ऐसे प्रकरण की जॉच एस0आई0टी0/सी0बी0आई0 से कराना भी उचित प्रतीत हो रहा है।?

यहॉ यह भी उल्लेख करना समयोचिज है कि प्रार्थी वन दरोगा के पद पर कार्यरत रहा है। प्रार्थी द्वारा रेंज कार्यालय में रेंज लिपिक/ बीट अधिकारी का कार्यभार का संयुक्त निर्वहन किया गया। वन आरक्षी/वन दरोगा स्तर से सूचनाए केवल वन क्षेत्र कार्यालय को प्रेषित की जाती है। उच्च स्तर को किसी भी प्रकरण की सूचना देना वन आरक्षी/वन दरोगा के कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत नही है।

यदि जॉच में साक्षयों का परीक्षण किया जाता है तो श्री संजय सिंह रावत, तत्कालीन वन बीट अधिकारी चन्थरिया प्रथम बीट का प्रतिपरीक्षण आवश्यक है। जिनके द्वारा एफ0आई0आर0 दर्ज कराने की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी थी। जिसे राजस्व विभाग द्वारा स्वीकार नही किया गया। इसके अतिरिक्त सम्बन्धित राजस्व विभाग के अधिकारियों जिनके द्वारा एफ0आई0आर0 दर्ज करने से इनकार किया गया उनके बयान भी दर्ज किये जा सकते है। विभाग द्वारा जो साक्षय दर्शायें गये है उनके बयान होने पर प्रतिपरीक्षण का अवसर दिया आवश्यक है। इसके अतिरिक्त यह भी उल्लेखनीय है कि प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा अपने पत्रांक 332 ए /29–3(3) दिनांक 25.09.2020 से श्री निशांत वर्मा, मुख्य वन संरक्षक, वन पंचायत एवं सामुदायिक वानिकी उत्तराखण्ड, एवं श्री प्रवीण कुमार, वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊॅ वृत्त, अल्मोड़ा की 2 सदस्यीय जॉच समिति का गठन किया गया है। उनके स्तर से भी की गयी जॉच की प्रमाणित प्रति भी प्रार्थी/ अपचारी कर्मचारी को उपलब्ध करायी जानी आवश्यक है। उक्त रिर्पोट प्राप्त होने के बाद अनुपूरक प्रतिउत्तर दाखिल किये जाने के लिए समय दिया जाना भी प्राकृतिक न्याय की दृष्टि से आवश्यक है।

अतः अनुरोध है कि प्रार्थी विरचित आरोप जो उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 (संशोधन) नियमावली 2010 के प्राविधानो के विपरीत एवं नियमावली में विहित प्रकिया का अनुसरण किये बिना ही जारी किया गया है, को निरस्त करने की कृपा करें।

जाँच अधिकारी श्री रमेश चन्द्र काण्डपाल, प्रमागीय वनाधिकारी सिविल एवं सोयम वन प्रभाग अल्मोड़ा द्वारा जाँच के सम्बन्ध में :–

<u>विवेचना</u>

आरोप पत्र में वर्णित आरोपों एवं उसके बचाव में अपचारी कर्मचारी श्री दिनेश चन्द्र भट्ट,वन दरोगा (तत्कालीन बीट अधिकारी चन्थरिया प्रथम बीट) द्वारा अपने बचाव में दिये गये प्रतिउत्तर तथाजांच के दौरान दिये गये उनके एवं विभिन्न साक्षियों के बयानों के आधार पर निम्न तथ्य सामने आये :–

1– विवेचना के दौरान अपचारी कर्मचारी द्वारा दिये गये बयान दिनांक 22.07.2021 **(संलग्नक – 1)** के अनुसार–''मै राजि कार्यालय द्वाराहाट में कार्यरत था। श्री मदन सिंह रावत, वन दरोगा की सेवानिवृत्ति के कारण दिनांक 20.11.2019 से मुझे चन्थरिया प्रथम बीट का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया।कार्यालय कार्य की अधिकता एवं तत्समय कार्ययोजना का कार्य अन्तिम चरण में होने के कारण विगत 10 वर्षो की समस्त सूचनाए वन संरक्षक/कार्ययोजना अधिकारी द्वारा समय–समय पर माँगी जाने के कारण बीट गश्त करने में असमर्थ रहा। इस सम्बन्ध तत्कालीन वन क्षेत्राधिकारी श्री नवीन कुमार टम्टा द्वारा प्रस्तुत अपने स्पष्टीकरण में भी उल्लेख किया गया है। राजि कार्यालय में अकेला होने के कारण समस्त सूचनाओं का संपादन अकेले ही करना पड़ता था, जिस कारण बीट भ्रमण का समय नही मिल पाता था। समय की कमी के कारण बीट गश्त ना होने के सम्बन्ध में मेरे द्वारा वन क्षेत्राधिकारी, श्री नवीन कुमार टम्टा को अवगत करा दिया गया था। दिनांक 27.06.2020 को द्वाराहाट वन क्षेत्र के चन्थरिया प्रथम बीट का चार्ज श्री हिम्मत सिंह नयाल, वन रक्षक को सौप दिया गया। कोटिला–ग्वाड़–सुरईखेत मोटर मार्ग में हुए अवैध पातन के सम्बन्ध में मुझे कोई जानकारी नही थी। दिनांक 17.05.2020 को श्री जगदीश चन्द्र पाण्डे व अन्य द्वारा मांगे गये सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत् उक्त मार्ग में स्वीकृत एवं छपानशुदा वृक्षों की सूचना मांगने पर उन्हे छपानशुदा एवं स्वीकृत वृक्षों की सूचना उपलब्ध करायी गयी, परन्तु उनके द्वारा भी अवैध पातन का मुझसे कोई जिक नही किया गया। तत्पश्चात 2 जून 2020 को लौट हस्तान्तरण की सूचना श्री चन्द्रशेखर त्रिपाठी, वन दरोगा द्वारा राजि कार्यालय में प्रस्तुत की गयी। तत्पश्चात् 27 जून 2020 को मेरे द्वारा चन्थरिया प्रथम बीट का चार्ज श्री हेमन्त सिंह नयाल, को सौप दिया गया।''

2– विवेचना के दौरान श्री संजय सिंह, वन दरोगा (तत्कालीन वन वीट अधिकारी) जिनके द्वारा कोटिला–ग्वाड़–सुरईखेत मोटर मार्ग में अवैध रूप से पातित वृक्षों के जुर्म केश इजरा किये गये थे, के भी बयान लिये गये। उनके द्वारा दिनांक 22.07.2021 को दिये गये बयान **(संलग्नक –2)** के अनुसार – मेरे द्वारा चन्थरिया प्रथम का चार्ज विधिवत् रूप से श्री हेमन्त नयाल, वन रक्षक से माह जुलाई दिनांक 24.07. 2020 को लिया गया। क्षेत्र के अन्तर्गत घटना मेरे चार्ज लेने से पूर्व हो चुकी थी। बाद में उपरोक्त घटना की जांच टीम के अधिकारी उप प्रभागीय वनाधिकारी के साथ उक्त मोटर मार्ग के निरीक्षण के दौरान अवैध रूप से पातित वृक्षों/उखाड़े गये वृक्षों के एच0–2 केश मेरे द्वारा इजराय किये गये जो विभिन्न वन भूमि में स्थित थे। नाप भूमि/सिविल भूमि/वन पंचायत भूमि में उखाड़े/गिराये गये वृक्षों के एच0–2 केश वन क्षेत्राधिकारी द्वाराहाट के मुझे दिये गये निर्देशों के अनुसार मेरे द्वारा जुर्म केश इजराय किये गये। उखाड़े/गिराये गये वृक्षों का प्रजातिवार एवं व्यासवार विवरण एच0–2 केश में दर्ज किया गया है।उक्त मार्ग में सिविल/नाप/वन पंचायत भूमि पर कार्यदायी संस्था द्वारा अवैध रूप से उखाड़े गये वृक्षों एवं मोटर मार्ग के कटान के दौरान उत्पादित मलवे का निस्तारण नियमानुसार न कर जगह–जगह मलवा डाल देने के सम्बन्ध में प्राथमिक सूचना दर्ज करने के लिये राजस्व उपनिरीक्षक ध्याड़ी को भी दिनांक 05.08.2020 को पत्र लिखा गया परन्तु उनके द्वारा प्राथमिक सूचना दर्ज करने से मना कर दिया गया। कार्यदायी संस्था लोक निर्माण खण्ड रानीखेत द्वारा यह कार्य वन विकास निगम द्वारा कार्य किये जाने से पूर्व ही उखाड़ दिये गये थे। मेरे द्वारा वन अपराध में जुर्म इजराय करने से 3 से 6 माह पूर्व यह घटना हो चुकी थी। घटना के जांच हेतु उप प्रभागीय वनाधिकारी की अध्यक्षता में गठित टीम के निरीक्षण के समय नाप भूमि/सिविल/वन पंचायत एवं आरक्षित भूमि में 10 किमी0 मार्ग का कटान किया जा चुका था तथा आरक्षित वन भूमि में 400 मी0 लम्बाई के सापेक्ष 630 मी0 कटान कार्य किया जा चुका था।''

3– अपचारी कर्मचारी द्वारा आरोप पत्र के प्रतिउत्तर में श्री संजय सिंह रावत, वन दरोगा (तत्कालीन वन वीट अधिकारी) द्वाराहाट रेंज के प्रतिपरीक्षण हेतु लिखा गया था परन्तु विवेचना के दौरान दिनांक 22.07.2021 को उनके द्वारा श्री संजय सिंह वन वीट अधिकारी का प्रतिपरीक्षण ना करने का बयान दिया गया। **(संलग्नक – 3)**

4— आरोप पत्र में वर्णित अन्य मौखिक साक्ष्यों 1— श्री मोहन राम आर्य, वन क्षेत्राधिकारी अल्मोड़ा 2— श्री मनोज कुमार लोहनी, वन क्षेत्राधिकारी गणानाथ 3—श्री हीरा सिंह बिष्ट, वन दरोगा, द्वाराहाट रेंज अल्मोड़ा 4— श्री होशियारनाथ गोस्वामी, वन दरोगा 5— श्री आनन्द बल्लभ बुधानी, वन दरोगा, जौरासी रेंज के बयान भी दिनांक 22.07.2021 को लिये गये। इन सभी साक्ष्यों द्वारा अपने बयानों में अवगत कराया है कि प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा के पत्रांक सं0 249/8—2 दिनांक 13.07.2020 के द्वारा द्वाराहाट वन क्षेत्र अन्तर्गत निर्माणाधीन कोटिला—ग्वाड़—सुरईखेत मोटर मार्ग के निर्माण में हुई अनियमितताओं की जांच हेतु तत्कालीन उप प्रभागीय वनाधिकारी रानीखेत की अध्यक्षता में समिति गठित की गयी थी। उस समिति के सदस्य के रूप में दिनांक 25.07.2020 से 28.07.2020 तक निर्माणाधीन कोटिला—ग्वाड़—सुरईखेत मोटर मार्ग में जांच टीम द्वारा अवैध/अनियमित रूप से किये गये कार्यो का स्थलीय निरीक्षण किया गया। जिसमें आरक्षित/सिविल/वन पंचायत व नाप भूमि में विभिन्न प्रजातियों के 399 वृक्ष उखाड़े पाये गये एवं आरक्षित वन चन्थरिया कक्ष सं0 15 व 16 में स्वीकृत 400 X7 मी0 के स्थान पर 630 X 4मी0 सड़क कटान पाया गया। लोक निर्माण विभाग द्वारा स्वीकृत परियोजना के शर्तो के विरूद्व मलवा निस्तारण निर्धारित डम्पिंग जोन में न कर मानकों के विरूद्व डाला पाया गया। उपरोक्त अवैध कार्य लगभग 3 से 6 माह पूर्व किया गया प्रतीत होता है। जिसकी विस्तृत जांच रिपोर्ट तत्कालीन उप प्रभागीय वनाधिकारी, रानीखेत के माध्यम से प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा को प्रस्तुत की गयी। **(संलग्नक —4 से 8)**

5— तत्कालीन वन क्षेत्राधिकारी, द्वाराहाट श्री नवीन कुमार टम्टा ने अपने बयान दिनांक 02.08.2021 **(संलग्नक —9)** में अवगत कराया कि मेरे द्वारा द्वाराहाट वन क्षेत्र का चार्ज दिनांक 06.03.2019 को लिया। मेरे द्वारा श्री चन्द्रशेखर वन दरोगा, अनुभाग अधिकारी चन्थरिया को कोटिला—ग्वाड़—सुरईखेत मोटर मार्ग की छपान कराने हेतु आदेशित किया गया। इनके द्वारा चन्थरिया आरक्षित कक्ष 15 में छपान कार्य करना था जो प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, से छपान सूची भेजी गयी थी तत्पश्चात् 02 जून 2020 को लौट हस्तान्तरण की सूचना अनुभाग अधिकारी चन्थरिया द्वारा राजि कार्यालय में प्रस्तुत की गयी। कोटिला—ग्वाड़—सुरईखेत मोटर मार्ग में लोक निर्माण विभाग, रानीखेत द्वारा अवैध पातन की सूचना ना ही वन वीट अधिकारी चन्थरिया प्रथम वीट व अनुभाग अधिकारी चन्थरिया द्वारा मुझे इस प्रकरण में कोई लिखित या मौखिक रूप से कोई सूचना नहीं दी गयी। इस प्रकरण के सम्बन्ध में उच्चाधिकारियों के निरीक्षण के दौरान मैंने अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ नियमित गश्त व लोक निर्माण खण्ड रानीखेत वालों पर विभागीय कार्यवाही की गयी।

6— प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा की पत्रांक संख्या 249/8—2 दिनांक 13—07—2020 से उप प्रभागीय वनाधिकारी, रानीखेत की अध्यक्षता में गठित जांच समिति द्वारा अपनी जांच रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि चन्थरिया आरक्षित वन कक्ष संख्या 15—16 के अन्तर्गत निर्माणाधीन मोटर मार्ग की रेंज कार्यालय/अनुभाग मुख्यालय/वीट मुख्यालय से दूरी लगभग 1.5 किमी0 है एवं विभागीय पौधालय बागेश्वर से दूरी 100 मी0 के लगभग है, लेकिन उक्त निर्माण एवं पातन को रोकने के लिये वन क्षेत्राधिकारी एवं अधीनस्थ स्टाफ द्वारा किसी प्रकार सूचना उच्च स्तर को उचित समय पर नहीं दी गयी। उक्त कृत्य राजकीय कार्यो के प्रति लापरवाही को इंगित करता है। उक्त रिपोर्ट में यह भी वर्णित है कि जांच में यह भी संज्ञान में आया है कि उक्त मोटर मार्ग का निर्माण कार्य माह फरवरी 2020 से प्रारम्भ हुआ। जिसकी सूचना रेंज अधिकारी द्वारा उच्च स्तर को नहीं दी गयी।

7— प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा के पत्र संख्या 262/8—2 दिनांक 13.07.2020 में भी कोटिला—ग्वाड़—सुरईखेत मोटर मार्ग निर्माण में वन बीट अधिकारी, चन्थरिया बीट द्वाराहाट वन क्षेत्र को संबोधित पत्र में रोड कटान में बरती जा रही अनेक अनियमितताओं का जिक करते हुए अवगत कराया है कि मौके पर उपस्थित ग्रामीणों द्वारा बताया गया है कि उक्त रोड कटान पिछले चार महीनो से चल रहा है।

उपरोक्त के कम में अपचारी कर्मचारी द्वारा अपने बचाव में दिये गये तर्को के आधार पर लगाये गये आरोपो की विवेचना की गयी जो निम्न प्रकार है :—

जाँच अधिकारी श्री रमेश चन्द्र काण्डपाल, प्रभागीय वनाधिकारी सिविल एवं सोयम वन प्रभाग अल्मोड़ा द्वारा जाँच के सम्बन्ध में :–

निष्कर्ष

आरोप पत्र में उपलब्ध अभिलेखीय साक्ष्यों एवं साक्षियो के बयानो के अवलोकन व परिशीलन के उपरान्त यह स्पष्ट है कि द्वाराहाट वन क्षेत्र में प्रश्नगत क्षेत्र के बीट अधिकारी होने के नाते श्री दिनेश चन्द्र भट्ट, (तत्कालीन वन रक्षक) वर्तमान वन दरोगा का यह दायित्व था कि निर्माणाधीन कोटिला–ग्वाड़–सुरईखेत मोटर मार्ग जो कि रेंज मुख्यालय से मात्र 1.50 किमी0 पर दूरी पर स्थित था, का समय–समय पर निरीक्षण कर प्रयोक्ता ऐजेंसी द्वारा की जा रही अनियमितताओ को रोकने का प्रयास करते, आपने अधीनस्थ स्टाफ पर नियत्रंण रखकर रेज में हो रही घटनाओं से सम्बन्ध मे जानकारी रखते तथा उक्त मार्ग में घटित हो रही अवैध कार्यो की सूचना समय पर अपने उच्चाधिकारियों को सूचित करते, परन्तु उनके द्वारा उच्चाधिकारियों को वन क्षेत्र में घटित हो रही अनियमितताओ के सम्बन्ध में ना तो कोई जानकारी दी और ना ही उसे रोकने का प्रयास किया। इस प्रकार अपचारी कर्मचारी पर उत्तरांचल राज्य कर्मचारियो की आचरण नियमावली 2002 के नियम 3(1) के तहत् आत्यंतिक रूप से सत्यनिष्ठा एवं कर्तव्यपरायणता से अपने कार्यो निर्वहन ना करने का आरोप सिद्ध होता है।

दण्डादेश निर्णय एवं निस्तारण आदेश

यह प्रकरण कोटिला–ग्वाड़ से सुरईखेत मोटर मार्ग के निर्माण में हुई अनियमित्ताओं से सम्बन्धित है, जिसमें लोक निर्माण विभाग द्वारा भारत सरकार द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति में निहित संरेखण से इतर संरेखण को परिवर्तित कर एवं मोटर मार्ग के निर्माण में पातन हेतु स्वीकृत वृक्षों के अतिरिक्त अवैध रूप से काटे गये वृक्षों से सम्बन्धित है। प्रस्तावक विभाग (लो0नि0वि0) द्वारा परिवर्तित किये गये संरेखण में कुल 399 वृक्षों का अवैध रूप से पातन किया गया। इस प्रकरण की जाँच हेतु प्रमुख वन संरक्षक, (HoFF) उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा अपने पत्रांक 332A/29–3(3) दिनांक 25.09.2020 द्वारा 02 सदस्यीय टीम जिसमें श्री निशान्त वर्मा, मुख्य वन संरक्षक, वन पंचायत एवं सामुदायिक वानिकी, उत्तराखण्ड, देहरादून एवं अधोहस्ताक्षरी को नामित किया गया था। प्रमुख वन संरक्षक, (HoFF) उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में दिनांक 17.10.2020 को 02 सदस्यीय टीम द्वारा प्रश्नगत क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण किया गया था। जिसकी संयुक्त जाँच रिपोर्ट दिनांक 28.10.2020 को उच्च स्तर को प्रेषित की गयी थी। अवैध रूप से पातित वृक्षों को समिति द्वारा लौट बनाकर वन विकास निगम को हस्तान्तरण करने की संस्तुति की गयी थी, जिसके अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी अल्मोड़ा वन प्रभाग द्वारा इन समस्त वृक्षों का छपान कर लौट बनाकर वन विकास निगम को हस्तान्तरित किया गया। इस प्रकार वृक्षों के अवैध पातन किये गये वृक्षों के निस्तारण के फलस्वरूप वन विभाग को किसी प्रकार की वित्तीय हानि नहीं हुई है। इसमें लोक निर्माण विभाग/कार्यदायी संस्था के अधिकारी/कर्मचारी दोषी है। जिसके सम्बन्ध में उत्तराखण्ड शासन लोक निर्माण अनुभाग–1 के आदेश पत्रांक 1565/XXX(1)/ 2021-4(42)रि0या0/2021 दिनांक 01.09.2021 द्वारा श्री मोहन चन्द्र जोशी, अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग रानीखेत, अल्मोड़ा, श्री हिमांशु भट्ट, सहायक अभियन्ता, निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग रानीखेत, अल्मोड़ा, श्री कान्ता प्रसाद गंगवार, अपर सहायक अभियन्ता, निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग रानीखेत, अल्मोड़ा के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में अभियोजन चलाने की अनुमति प्रदान की गयी है। जिसमें अभियोग दायर करने की कार्यवाही प्रभागीय वनाधिकारी अल्मोड़ा के स्तर से की जा रही है।

इस सम्बन्ध में जाँच अधिकारी की रिपोर्ट तथा उपरोक्त तथ्यों से यह निष्कर्ष निकलता है कि अपचारी कर्मचारी श्री दिनेश चन्द्र भट्ट, (तत्कालीन वन रक्षक) वर्तमान वन दरोगा उत्तरांचल राज्य कर्मचारियो की आचरण नियमावली 2002 के नियम 3(1) के तहत् सत्यनिष्ठा एवं कर्तव्यपरायणता से अपने कार्यो का निर्वहन न करने के लिए यह लापरवाही बरतने के दोषी है। यह समस्त घटना इनके कार्यक्षेत्र में हुई है। अतः इन घटनाओं को रोकने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी इनकी थी।

जाँच अधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, अल्मोड़ा के पत्रांक 1114/1–15 दिनांक 09.09.2021 द्वारा प्रेषित जाँच आख्या एवं अभिलेखीय साक्ष्यों के आधार पर श्री दिनेश चन्द्र भट्ट, (तत्कालीन वन रक्षक) वर्तमान वन दरोगा पर लगाये गये सभी आरोप सिद्ध होने के फलस्वरूप कोटिला–ग्वाड़– सुरईखेत निर्माणाधीन मोटर मार्ग जो द्वाराहाट रैंज मुख्यालय से मात्र 1.50 कि0मी0 दूरी पर स्थित है। प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा मोटर मार्ग निर्माण में की गई अनियमितताओं को रोकने एवं अपने अधीनस्थ स्टाफ पर प्रभावी नियंत्रण न रखने एवं रैंज में हो रही इस प्रकार की अनियमितताओं की सूचना की जानकारी उच्च स्तर को न दिये जाने एवं अनियमितताओं को रोके जाने का प्रयास न करने के कारण अपचारी/कर्मचारी श्री दिनेश चन्द्र भट्ट, (तत्कालीन वन रक्षक) वर्तमान वन दरोगा पर उत्तराँचल राज्य कर्मचारी की आचरण नियमावली–2002 के नियम 3(1) के तहत आत्यंतिक रूप से सत्यनिष्ठा एवं कर्तव्यपरायणता एवं राजकीय कार्यों हेतु दिये गये दायित्वों का निर्वहन न करने के कारण अपचारी/कर्मचारी को निम्न प्रकार से दण्डित किया जाता है :–

1 :– श्री दिनेश चन्द्र भट्ट, (तत्कालीन वन रक्षक) वर्तमान वन दरोगा अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा की आदेश जारी होने की तिथि से अग्रिम 02 (दो) वार्षिक वेतन वृद्धि **संचयी प्रभाव (Cumulative effect)** से रोके जाने का आदेश पारित किया जाता है। साथ ही अपचारी/कर्मचारी श्री दिनेश चन्द्र भट्ट, (तत्कालीन वन रक्षक) वर्तमान वन दरोगा अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा को निन्दित भी किया जाता है। जिसका अपचारी/कर्मचारी को भविष्य में भी कोई लाभ नहीं मिलेगा।

2 :– उक्त आदेश की प्रविष्टि को अपचारी/कर्मचारी की सेवापुस्तिका में प्रभागीय वनाधिकारी अल्मोड़ा वन प्रभाग द्वारा अंकित किया जायेगा, साथ ही उक्त आदेश की प्रविष्टि प्रभागीय वनाधिकारी अल्मोड़ा वन प्रभाग द्वारा श्री दिनेश चन्द्र भट्ट, (तत्कालीन वन रक्षक) वर्तमान वन दरोगा अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा की वार्षिक चरित्र पंजिका में की जायेगी।

(प्रवीण कुमार)
वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा

पत्रांक 1945 / 1-15-7 दिनांकित।

प्रतिलिपि :– श्री दिनेश चन्द्र भट्ट, (तत्कालीन वन रक्षक) वर्तमान वन दरोगा द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा को सूचनार्थ प्रेषित।

(प्रवीण कुमार)
वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा

पत्रांक 1945 / 1-15-7 दिनांकित।

प्रतिलिपि :– प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा को सूचनार्थ एवं इस निर्देश के साथ प्रेषित कि श्री दिनेश चन्द्र भट्ट, (तत्कालीन वन रक्षक) वर्तमान वन दरोगा की सेवापुस्तिका में उक्तानुसार आदेश की प्रविष्टि कर इसका अनुपालन करना सुनिश्चित करें तथा प्रविष्टि उपरान्त अवलोकन हेतु सेवापुस्तिका इस कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। साथ ही आदेश की प्रति सम्बन्धित कर्मचारी को हस्तगत कर उसकी प्राप्ति रसीद भी इस कार्यालय में प्रस्तुत करें। साथ ही कर्मचारी के वेतन आहरण कोड कोषाधिकारी अल्मोड़ा को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

(प्रवीण कुमार)
वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा

पत्रांक 1945 / 1-15-7 दिनांकित।

प्रतिलिपि :— प्रभागीय वनाधिकारी सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, अल्मोड़ा के पत्रांक 1115/1—15 दिनांक 09.09.2021 को सूचनार्थ प्रेषित।

(प्रवीण कुमार)
वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा

पत्रांक 1945 / 1-15-7 दिनांकित।

प्रतिलिपि :— मुख्य कोषाधिकारी, अल्मोड़ा को प्रेषित कर अनुरोध है कि उक्त कर्मचारी को आदेश जारी होने की तिथि से अनुवर्ती वर्षों में 02 वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव से रोक कर वेतन का भुगतान करने की कृपा करें।

(प्रवीण कुमार)
वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा

पत्रांक 1945 / 1-15-7 दिनांकित।

प्रतिलिपि :— मुख्य वन संरक्षक, मानव संसाधन विकास एवं कार्मिक, प्रबन्धन, उत्तराखण्ड देहरादून को उनके पत्रांक 678/1—15(7) दिनांक 05.10.2021 द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(प्रवीण कुमार)
वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा

पत्रांक 1945 / 1-15-7 दिनांकित।

प्रतिलिपि :— मुख्य वन संरक्षक, कुमाऊँ, उत्तराखण्ड, नैनीताल को सूचनार्थ प्रेषित।

(प्रवीण कुमार)
वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा

सर्वोच्च प्राथमिकता/कोर्ट केस/समयबद्ध!

कार्यालय
प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक ख-485 /24-3(3) देहरादून : दिनांक 10 दिसम्बर, 2021

सेवा में,

सदस्य सचिव,
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
देहरादून।

विषय – मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या– 197/2020 जगदीश चन्द्र पाण्डेय बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ – मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली का आदेश दिनांक 11.09.2020 व 05.08.2021 एवं वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा का पत्रांक– 1948/1–15–7, दिनांक 24.11.2021.

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि कोटिला–ग्वाड़ से सुरईखेत तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 3.85 है0 वन भूमि लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन करने की सैद्धान्तिक स्वीकृति भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की पत्र संख्या– 08/बी/यू.सी.पी./06/153/2015/एफ.सी./1472 दिनांक 23.10.2018 द्वारा प्राप्त हुई थी। किन्तु राज्य सरकार से इस क्रम में वर्तमान तक विधिवत स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है।

लोक निर्माण विभाग, निर्माण खण्ड, रानीखेत (प्रयोक्ता एजेंसी) द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन किये बिना ही मोटर मार्ग का निर्माण प्रारंभ कर दिया गया। मोटर मार्ग निर्माण में हो रही पर्यावरणीय क्षति के दृष्टिगत श्री जगदीश चन्द्र पाण्डेय द्वारा उक्त प्रकरण में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली के समक्ष मूल वाद संख्या– 197/2020 जगदीश चन्द्र पाण्डेय बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य योजित किया गया।

उक्त मूल आवेदन संख्या– 197/2020 में दिनांक 11.09.2020 को सुनवाई के उपरान्त मा0 अधिकरण द्वारा आदेश पारित किया गया **(संलग्नक–1)** जिसके प्रभावी अंश निम्न प्रकार हैं :–

"In view of above, we direct that a point factual and action taken report be furnished by the Principal Chief Conservator of Forest (HoFF), Uttarakhand and the State Pollution Control Board (SPCB). The PCCF (HoFF), Uttarakhand may nominate a two member team of officers not below the rank of Conservator of Forest. The PCCF (HoFF), Uttarakhand will be the nodal agency for coordination and compliance who may furnish a report within two months by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF".

The applicant may furnish a set of papers to the PCCF (HoFF), Uttarakhand and the SPCB and file an affidavit of service within one week.

मा0 अधिकरण के उक्त आदेशों के अनुपालन में अधोहस्ताक्षरी द्वारा अपने पत्रांक– 1384/पी0ओ0/29–3(3) दिनांक 21.06.2021 से संयुक्त स्थलीय जांच हेतु 02 सदस्यीय समिति का गठन कर श्री प्रवीण कुमार, वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा एवं श्री हरीश चन्द्र जोशी, सहायक वैज्ञानिक अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय हल्द्वानी को सदस्य नामित किया गया।

उक्त गठित समिति द्वारा प्रेषित विस्तृत आख्या के आधार पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 30.07.2021 को अपनी रिपोर्ट ई–मेल के माध्यम से मा0 अधिकरण को प्रेषित की गयी। **(संलग्नक–2)**

उक्त जांच आख्या/रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुये मा0 अधिकरण द्वारा दिनांक 05.08.2021 **(संलग्नक–3)** को आदेश पारित किया गया, जिसके प्रभावी अंश निम्न प्रकार हैं–

"6. Accordingly, we direct the Secretary of PWD, Uttarakhand to review the actions taken and take further suitable coercive measures against the law violators, following due process of law. The State PCB and Forest Department also need to review the inadequacy of action on their part in exercise of their respective statutory authority. Coercive measures may include recovery of compensation on 'Polluter Pays' principle and restoration of the concerned forest area. The said departments may file their action taken reports within one month with the Chief Secretary, Uttarakhand. The Chief Secretary may file a consolidated action taken report in the matter within three months by e-mail at judicialngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/ OCR Support PDF and not in the form of Image PDF.

List for further consideration on 15.12.2021.

A copy of this order be forwarded to the Secretary PWD, State PCB, PCCF (HoFF) and the Chief Secretary, Uttarakhand by e-mail for compliance."

उल्लेखनीय है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के उक्त आदेश के अनुपालन में वन विभाग, लोक निर्माण विभाग व प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून द्वारा कोटिला–ग्वाड़ से सुरईखेत मोटर मार्ग निर्माण में हुई पर्यावरणीय क्षति एवं लापरवाही बरतने हेतु ज़िम्मेदार अधिकारियों/कर्मचारियों पर की गयी दण्डात्मक कार्यवाही की आख्या/रिपोर्ट **मुख्य सचिव, महोदय के माध्यम से मा0 अधिकरण को ई–मेल द्वारा प्रेषित की जानी है।**

मा0 अधिकरण के उक्त आदेश दिनांक 05.08.2021 के अनुपालन में वन विभाग द्वारा अपने कार्यक्षेत्रान्तर्गत सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्व किये गये दण्डात्मक कार्यवाही का विवरण निम्न प्रकार से हैं –

क्र.सं.	नाम	पदनाम	दण्डात्मक कार्यवाही का विवरण	अभियुक्ति
1.	श्री नवीन कुमार टम्टा	तत्कालीन प्रभारी वन क्षेत्राधिकारी, द्वाराहाट	श्री नवीन कुमार टम्टा को आदेश जारी होने की तिथि से अग्रिम 02 (दो) वार्षिक वेतन वृद्वि संचयी प्रभाव से रोके जाने का आदेश पारित किया जाता है। साथ ही अपचार/कर्मचारी को निन्दित भी किया जाता है।जिसका अपचारी/ कर्मचारी को	संलग्न–4

			भविष्य में भी कोई लाभ नहीं मिलेगा।	
2.	श्री चन्द्रशेखर त्रिपाठी	वन दरोगा	श्री चन्द्रशेखर त्रिपाठी को आदेश जारी होने की तिथि से अग्रिम 02 (दो) वार्षिक वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव से रोके जाने का आदेश पारित किया जाता है। साथ ही अपचार/कर्मचारी को निन्दित भी किया जाता है।जिसका अपचारी/ कर्मचारी को भविष्य में भी कोई लाभ नहीं मिलेगा।	संलग्न–5
3.	श्री दिनेश चन्द्र भट्ट	(तत्कालीन वन रक्षक) वर्तमान वन दरोगा	श्री दिनेश चन्द्र भट्ट को आदेश जारी होने की तिथि से अग्रिम 02 (दो) वार्षिक वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव से रोके जाने का आदेश पारित किया जाता है। साथ ही अपचार/कर्मचारी को निन्दित भी किया जाता है। जिसका अपचारी/ कर्मचारी को भविष्य में भी कोई लाभ नहीं मिलेगा।	संलग्न–6

2. संयुक्त स्थलीय जांच रिपोर्ट के आधार पर क्षति का आंकलन एवं प्रस्तावित क्षतिपूरक कार्यों का विवरण :–

मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली के आदेश के अनुपालन हेतु अपर प्रमुख वन संरक्षक, पर्यावरण, उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा क्षति का आंकलन करने हेतु अपने पत्रांक– 72/29–5 देहरादून, दिनांक 06 सितंबर, 2021 द्वारा संबंधित अधिकारियों को पत्र प्रेषित किया गया था। प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा द्वारा द्वाराहाट वन क्षेत्र अंतर्गत निर्माणाधीन कोटिला–ग्वाड़–सुरईखेत मोटर मार्ग का संयुक्त स्थलीय निरीक्षण कर क्षति का आंकलन किया गया जिसके अनुसार रू0 43,01,650.86 (रूपये तैंतालीस लाख एक हजार छः सौ पचास छियासी पैसा मात्र) की धनराशि का नुकसान हुआ है। जिसका विस्तृत विवरण संलग्न है, जिसके क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा एवं अपर प्रमुख वन संरक्षक, पर्यावरण, उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के आदेश के अनुपालन हेतु क्रमंशः अपने पत्रांक–2828/29–1(3) दिनांक 22.11. 2021 एवं पत्रांक 148/29–5, दिनांक 23.11.2021 द्वारा अधिशासी अभियंता निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत एवं प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, देहरादून को समयान्तर्गत अनुपालनार्थ रू0 43,01,650.86 (रूपये तैंतालीस लाख एक हजार छः सौ पचास छियासी पैसा मात्र) की धनराशि अल्मोड़ा वन प्रभाग के फॉरेस्ट डिपोजिट में जमा करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया। **(संलग्नक–7, 8 एवं 9)**

3. प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा द्वारा अपने पत्रांक– 3028/29–1(3) दिनांक 02–12–2021 (संलग्नक–10) से लोक निर्माण विभाग से धनराशि प्राप्त होने उपरान्त पर्यावरणीय क्षति के पुनरोद्धार निम्न कार्य प्रस्तावित किये गये हैं –

- अवैध रूप से क्षतिग्रस्त वन क्षेत्र के पुनरोद्धार हेतु रिक्त पड़े स्थानों व मलुवा निस्तारण क्षेत्र में प्रभावित 399 वृक्षों के सापेक्ष 04 गुना लगभग–1600 वृक्षों का रोपण कार्य किया जायेगा जिसमें लगभग रु. 23.42 लाख (रु. 1464 प्रति वृक्ष) का व्यय प्रस्तावित है।

- मोटर मार्ग निर्माण के दौरान 02 प्राकृतिक जलस्रोतों को क्षति पहुंचायी गयी है जिसके पुनरोद्धार हेतु प्रभावित क्षेत्र के आसपास 05 चैकडैम, 09 चालखाल व जल संरक्षण हेतु 03 जलाशयों का निर्माण किया जायेगा जिसमें रु. 20.00 लाख व्यय प्रस्तावित है।

अतः अनुरोध है कि प्रकरण में मा0 अधिकरण द्वारा दिनांक 05.08.2021 को पारित आदेश के अनुपालन में की गयी समस्त कार्यवाही से अवगत कराना चाहें।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

अपर प्रमुख वन संरक्षक (प्रशासन)
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक /उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि – निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव (वन) अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
2. सचिव (लोक निर्माण विभाग) उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
3. स्टॉफ ऑफिसर–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. अपर सचिव, वन अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
5. अपर प्रमुख वन संरक्षक, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन, देहरादून
6. उप सचिव, पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन, उत्तराखण्ड शासन।

अपर प्रमुख वन संरक्षक (प्रशासन)
उत्तराखण्ड, देहरादून।

सं० — 2417/XXXVIII-1-21 दि० 23/12/2021

कोर्ट केस / महत्वपूर्ण / तत्काल

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
"विधि प्रकोष्ठ वर्ग"
लोक निर्माण विभाग, देहरादून
OFFICE OF THE ENGINEER IN CHIEF, P.W.D., DEHRADUN,UTTARAKHAND
Phone & Fax:–0135–2531742, 2530431 E-Mail-cepwdua@gmail.com
Website-http://pwd.uk.gov.in

पत्र सं0–2284/3008वि0प्र0/2021 दिनांक 22/12/2021

सेवा में,

उप सचिव,
पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग,
उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

विषयः– **मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0 197/2020, जगदीश चन्द्र पाण्डेय बनाम उत्तराखण्ड राज्य में मा0 प्राधिकरण द्वारा दिनांक 05.08.2021 को पारित निर्णय के सम्बन्ध में।**

सन्दर्भ:– **शासकीय पत्रांक 3297/III(1)/21--04(42)रि0या0/2021 दि0 17.12.2021**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जो इस कार्यालय को सम्बोधित व प्रति अन्य के साथ आपको भी पृष्ठांकित है. जिसके द्वारा विषयक प्रकरण के सम्बन्ध में Consolidated Action Taken Report (CAR) को संलग्न कर रिपोर्ट में लोक निर्माण विभाग से सम्बन्धित बिन्दुओं का परीक्षण कर पुष्टि अथवा CAR में यदि कोई संशोधन अपेक्षित हो, तो संशोधन सहित तत्सम्बन्धी सूचना आप को प्रेषित करते हुए एक प्रति शासन को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये है। शासन द्वारा दिये गये उक्त निर्देशों के अनुपालन में मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा द्वारा अपने पत्रांक--4624/287 परिवाद–अल्मोडा/2021 दिनांक 21.12.2021 के साथ अधीक्षण अभियन्ता प्रथम वृत्त,लो0नि0वि0, अल्मोडा के पत्र संख्या–8656/जांच–01/2021 दिनांक 20.12.2021 की प्रति संलग्न करते हुए आख्या संस्तुति सहित इस कार्यालय को अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की गयी है। अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम वृत्त,लो0नि0वि0 अल्मोड़ा के उक्त पत्र में अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, रानीखेत द्वारा उपलब्ध कराई गई आख्या के अनुसार निम्न तथ्यों का उल्लेख किया गया है:–

"सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड पर्यावरण नियंत्रण बोर्ड, गौरादेवी पर्यावरण भवन, 46–बी0, आई0टी0 पार्क, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून द्वारा रू0 18.75 लाख का एकमुशत क्षतिपूर्ति लगाया गया है, उसका मात्रात्मक विवरण नहीं दिया गया है। विभाग द्वारा एन0पी0वी0 एवं वृक्षारोपण का भुगतान कर लिया गया था तथा पेडो के पातन किये जाने हेतु धनराशि का भी वन निगम को भुगतान कर दिया गया है। कार्य स्थल पर वन भूमि में लगभग 500 मीटर लम्बाई में आंशिक पहाड कटान हुआ है तथा लगभग 330 मीटर लम्बाई में पहाड़ कटान का कार्य नहीं किया गया है, कार्य रूका हुआ है। इसलिए इन दोनों भागों के मलुवे का पूर्ण रूप से अराजेन नहीं हुआ है, जिससे वन भूमि प्रभावित होती है। मार्ग का मलवा रोड के किनारे कार्य स्थल पर पड़ा हुआ है, उपरोक्त के आधार पर जो एकमुश्त क्षतिपूर्ति लगायी गयी है उस पर पुनर्विचार किये जाने की आवश्यकता प्रतीत होती है इसके

अतिरिक्त खण्डीय कार्यालय द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि "प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा के पत्रांक संख्या 2828 / 29–1(3) दिनांक 22.11.2021 द्वारा अवैध रूप से मलबा निस्तारण से हुई क्षति के सापेक्ष रू0 18,25,200.00 की क्षतिपूर्ति को भी सम्मिलित करते हुए रू0 43.02 लाख की क्षतिपूर्ति पुनः लगाई गई है जिसमें प्राकृतिक जलस्रोतों के पुनरूद्धार किये जाने हेतु रू0 20.00 लाख की कोई भी मात्रात्मक गणना नहीं की गई है। मात्रात्मक विवरण प्राप्त होने के पश्चात ही अग्रिम कार्यवाही करना उचित होगा।"

अतः मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, अल्मोडा के पत्र संख्या –4624 / 287 परिवाद–अल्मोडा / 2021 दिनांक 21.12.2021 द्वारा उपलब्ध कराई आख्या, संलग्नकों सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नः–यथोपरि

(इं0 प्रमोद कुमार)
प्रभारी प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष

1–प्रतिलिपिः–संयुक्त सचिव, लोक निर्माण अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

2–प्रतिलिपिः–मुख्य अभियन्ता, क्षे0का0,लोक निर्माण विभाग, अल्मोडा, को सूचनार्थ प्रेषित।

3–प्रतिलिपिः–अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम वृत्त, लो0नि0वि0, अल्मोडा को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ प्रेषित।

4–प्रतिलिपिः–अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, रानीखेत को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष

उत्तराखण्ड शासन
लोक निर्माण अनुभाग-1
संख्या-1565/III(1)/2021-4(42)रि0या0/2021
देहरादून: दिनांक 01 सितम्बर,2021

आदेश

चुंकि यह अभिकथित है कि अल्मोड़ा जनपद के अन्तर्गत अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा के द्वाराहाट वनक्षेत्र में निर्माणाधीन कोटिला-गवाड़-सुरईखेत मोटरमार्ग के निर्माण हेतु वनभूमि के हस्तान्तरण के सम्बन्ध में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार (क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून) द्वारा वन संरक्षण अधिनयम,1980 के प्रवधानों के तहत प्रदत्त सैन्द्धान्तिक स्वीकृति में वर्णित शर्तों का उल्लघंन करते हुए अवैध रूप से वृक्षों का पातन किये जाने, स्वीकृत समरेखण से अतिरिक्त वनक्षेत्र में सड़क का कटान करने व सड़क कटान से निकले मलवे को वनक्षेत्र में डाले जाने के सम्बन्ध में वन विभाग द्वारा दर्ज किये गये रेंज केस संख्या-03/04/05/06/07/08/09/10/11/12/द्वाराहाट रेंज/2020-21 की विवेचना में अन्य के अतिरिक्त निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत में तैनात निम्न अधिकारियों/अभियन्ताओं की संलिप्तता पाते हुए, उनको अभियुक्त बनाया गया है:-

(1) श्री मोहन चन्द्र जोशी, अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत, अल्मोड़ा।
(2) श्री हिमांशु भट्ट, सहायक अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत, अल्मोड़ा।
(3) श्री कान्ता प्रसाद गंगवार, अपर सहायकअभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत, अल्मोड़ा।

2- यह भी अभिकथित है कि उक्त प्रकरण में भारतीय वन अधिनियम,1927 (उत्तरांचल संशोधन) अधिनियम,2001 की धारा-26(1)(ए) एवं धारा-26(1)(एफ) तथा वन संरक्षण अधिनियम,1980 की धारा-2/3 क के तहत अपराध कारित हुआ है , जो उक्त अधिनियमों के तहत दण्डनीय है।

3- और चुंकि उपरोक्त अभिकथनों के सम्बन्ध में प्रस्तुत की गयी सामग्री व मामले की परिस्थितियों का पूर्णरूपेण परीक्षण करने के पश्चात राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि उपरोक्त अधिकारियों/अभियन्ताओं को वर्णित अपराधों के लिए सक्षम न्यायालय में अभियोजित किया जाय।

4- अतएव, श्री राज्यपाल, उपर प्रस्तर-1 में वर्णित अधिकारियों/अभियन्ताओं के सम्बन्ध में दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 की धारा 197 (1)(बी) के उपबन्धों के अन्तर्गत, उपर्युक्त अपराधों और संगत कार्यों के सम्बन्ध में विधि के अन्य उपबन्धों के अधीन दण्डनीय किन्हीं अन्य अपराधों के लिए किसी अधिकारितायुक्त सक्षम न्यायालय द्वारा संज्ञान करने हेतु स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(रमेश कुमार सुधांशु)
प्रमुख सचिव

संख्या-1565(1)/III(1)2021, तद्दिनांकित ।

प्रतिलिपि निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
(2) प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
(3) मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, कुमायूं क्षेत्र, अल्मोड़ा।
(4) जिलाधिकारी, अल्मोड़ा।
(5) अधीक्षण अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा।
(6) प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।

(श्याम सिंह)
संयुक्त सचिव

Scanned with CamScanner

उत्तराखण्ड शासन
लोक निर्माण अनुभाग–1
संख्या–2999/ III(1)/21–04(42)रि0या0/2021
देहरादून, दिनांक 26 नवम्बर, 2021

स्टॉफ ऑफिसर एवं सदस्य संयोजक,
पर्यावरण प्रबन्धन प्रकोष्ठ (ई0एम0सी0),
कार्यालय– मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

कृपया अपने पत्र सं0–130/स्टॉ0ऑफि0–मु0स0/2021–ओ0ए0197/2020 दिनांक 08.10.2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा मूल आवेदन सं0–197/2020 जगदीश चन्द्र पाण्डे बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 05.08.2021 के सम्बन्ध में लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड की ओर से अनुपालन आख्या प्रेषित किए जाने की अपेक्षा की गई है।

उक्त के क्रम में लोक निर्माण विभाग से संबंधित अनुपालन आख्या की अद्यतन स्थिति की रिपोर्ट संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक –यथोपरि।

(श्याम सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या 2999/III(1)/21–04(42)रि0या0/2021 तद्दिनांक :–

प्रतिलिपिः– प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(श्याम सिंह)
संयुक्त सचिव।

मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण में योजित मूल आवेदन सं0–197/2020 जगदीश चन्द्र पाण्डेय व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य के सम्बन्ध में मा0 प्राधिकरण द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.08.2021 के अनुपालन में लोक निर्माण विभाग द्वारा कृत कार्यवाही की आख्याः–

1. जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा द्वाराहाट के अन्तर्गत कोटिला–ग्वाड़ मोटर मार्ग का सुरईखेत तक मिलान के निर्माण कार्य की स्वीकृति शासनादेश सं0–869/।।।(2)/09–45 (एम0एल0ए0)/08 टी0सी0 दिनांक 02.03.2009 द्वारा 15.00 किमी0 निर्माण हेतु रू0 598.30 लाख की प्राप्त हुई थी। **(संलग्नक 1)**

2. कार्य स्वीकृत होने के पश्चात् मार्ग का प्रारम्भिक सर्वेक्षण एवं समरेखन (Alignment) का कार्य करवाया गया। मार्ग का सर्वेक्षण अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम वृत्त, लो0नि0वि0 अल्मोड़ा के पत्रांक 218/806सी0/4 दिनांक 07.01.2011 द्वारा स्वीकृति किया गया। **(संलग्नक 2)**

3. समरेखन स्वीकृत होने के उपरान्त याचक विभाग लो0नि0वि0 द्वारा वन भूमि चिन्हित करने हेतु वन विभाग एवं राजस्व विभाग को पत्र लिखा गया है ताकि उनके द्वारा वन भूमि/नाप भूमि चिन्हित् करने के उपरान्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव का गठन किया जा सके। दिनांक 26.06.2011 को उपरोक्त समरेखन पर वन भूमि चिन्हित् करने हेतु याचक विभाग लो0नि0वि0, एवं राजस्व विभाग द्वारा सयुक्त निरीक्षण किया गया है, जिसमें वन विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्तुत समरेखन में 0.360 हैक्टे0 आरक्षित वन भूमि, 0.562 हैक्टे0 वन पंचायत भूमि व 4.028 हैक्टे0 सिविल भूमि (कुल 4.950 हैक्टे0 भूमि) पड़ती है। जिस हेतु वन भूमि का प्रस्ताव का गठन किया जाना है, **(संलग्नक 3)**। सयुक्त निरीक्षण के समय वन विभाग कक्ष सं0 15 में 400 मी0 लम्बाई में कुल 0.360 हैक्टे0 आरक्षित वन भूमि चिन्हित की गयी थी **(संलग्नक 4)**, परन्तु कक्ष सं0 16 की भूमि का उल्लेख नहीं किया गया था। वन पंचायत व आरक्षित भूमि एक साथ लगी हुई है, इस भूमि का स्थल सीमांकन भी नहीं किया गया है।

4. दिनांक 26.06.2011 को सम्पन्न सयुक्त निरीक्षण में ही समरेखन में आ रहे पेड़ों की गिनती भी वन विभाग द्वारा की गयी थी, जिसमें कि पेड़ों की कुल संख्या 1432 थी **(संलग्नक 5)**। प्रभावित वृक्षों की सूची में आरक्षित क्षेत्र के कम्पार्टमैन्ट नं0 16 का भी उल्लेख नहीं है।

5. तदुपरान्त लो0नि0वि0 द्वारा वन भूमि का प्रस्ताव गठित कर प्रभागीय वनाधिकारी अल्मोड़ा के पत्रांक 2703/18सी0 दिनांक 01.02.2013 द्वारा देहरादून को प्रेषित कर दिया गया। प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा उक्त प्रस्ताव इस आपत्ति के साथ लौटाया गया कि उक्त मार्ग पर पेड़ों की संख्या मानकों से अधिक है, वन विभाग द्वारा वर्ष 2013 में पुनः पेड़ों की गणना की गई तथा उसी समरेखन पर 486 पेड़ चिन्हित् करते हुये प्रस्ताव पुनः नोड़ल विभाग को प्रेषित कर दिया **(संलग्नक 6)**। समान लम्बाई एवं समान चौड़ाई में प्रभावित पेड़ों की संख्या 1432 से 486 कैसे हो गयी, इसका उचित उत्तर वन विभाग द्वारा ही दिया जा सकता है।

6. तदुपरान्त भारत सरकार एवं पर्यावरण मंत्रालय ने अपने पत्रांक सं0–8बी/यू0सी0पी0/06/153/2015/एफ0सी0/1472 दिनांक 23.10.2018 द्वारा उपरोक्त मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.85 हैक्टे0 वन भूमि को लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन करते हुये सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान कर दी गई। **(संलग्नक 7)**

7. सैद्धान्तिक स्वीकृति मिलाने के पश्चात् विभाग द्वारा मार्ग का विस्तृत सर्वेक्षण कर विस्तृत आगणन गठित किया गया जिसकी तकनीकी स्वीकृति मुख्य अभियन्ता (कु) के पत्रांक 7306/03 याता0–अ0/2019 दिनांक 07.09.2019 द्वारा दी गयी**(संलग्नक 8)**। तत्पश्चात् टैण्डर व कार्य प्रारम्भ की कार्यवाही की गयी तथा ठेकेदार के अनुबन्ध की कार्यवाही कर दी गयी।

8. सैद्धान्तिक स्वीकृति मिलने के पश्चात् प्रभारी वनाधिकारी के पत्रांक 1756/127(2) दिनांक 16.10.2019 द्वारा छपान हेतु आदेश निर्गत किये। वन विभाग व वन निगम को मार्ग निर्माण में प्रभावित होने वाले पेड़ों का छपान करने व पेड़ों को काटने हेतु पत्र लिखा गया**(संलग्नक 10)**। जिसके क्रम में वन विभाग व वन निगम द्वारा विभागीय कर्मचारियों के साथ दिनांक 13.02.2020 से 15.02.2020 को संयुक्त निरीक्षण किया गया तथा पूर्व में चिन्हित 486 पेड़ों का छपान किया गया।

9. दिनांक 03.02.2020 को क्षेत्रीय विधायक द्वाराहाट श्री महेश नेगी जी द्वारा उक्त मार्ग निर्माण हेतु समस्त ग्रामवासियों के समक्ष कार्य प्रारम्भ का उदघाटन कर दिया गया तथा लो0नि0वि0 को कार्य प्रारम्भ करने हेतु निर्देशित किया गया। विभाग द्वारा मा0 विधायक को अवगत कराया गया कि अभी वन निगम द्वारा पेड़ों को नहीं काटा गया है, जिस कारण सडक निर्माण का कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा सकता है।

मा0 विधायक द्वारा वन निगम व वन विभाग अधिकारियों/कर्मचारियों से वार्ता की गयी तथा अपने पत्रांक VIP/MLA(48)10-19874 दिनांक 20.02.2020 के द्वारा लो0नि0वि0 को निम्न निर्देश जारी किये गये–(**संलग्नक 11**)

"अवगत कराना है कि "कोटिला–ग्वाड मोटर मार्ग का सुरईखेत तक मिलान का निर्माण कार्य" योजना का दिनांक 03.02.2020 को मेरे द्वारा शुभारम्भ किया गया था, किन्तु वर्तमान में विभाग द्वारा उक्त कार्य में किसी प्रकार की कोई भौतिक प्रगति नहीं का जा रही है, जो कि अत्यन्त खेदपूर्ण है। ज्ञात हुआ है कि वन निगम द्वारा उक्त मोटर मार्ग निर्माण की परिधि में आने वाले वृक्षों का पातन अभी तक नहीं किया गया है, जिसके सम्बन्ध में मेरे द्वारा वन विभाग/निगम के अधिकारियों से दूरभाष पर वार्ता की गई है, उनके द्वारा बताया गया है कि वर्तमान में वृक्षों के पातन हेतु श्रमिक उपलब्ध नहीं हो पा रहे है, यदि सम्बन्धित ठेकेदार के माध्यम व ग्रामवासियों की सहायता से वृक्षों का पातन करवाकर मार्ग के निर्माण कार्य में प्रगति की जा सकती है। आपसे अपेक्षा है कि जनहित में उक्त मार्ग का निर्माण कार्य शुरू करने हेतु तत्काल कार्यवाही करना सुनिश्चित करें तथा कृत कार्यवाही से मुझे भी अवगत करायें।

अतः उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत स्पष्ट है कि सड़क मार्ग के निर्माण में वृक्षों के कटान सम्बन्धितों व ग्रामवासियों द्वारा वन विभाग/वन निगम की सहमति से किया गया है। **लोक निर्माण विभाग द्वारा किसी भी प्रकार से पेड़ों का कटान नहीं किया गया है।**

10. सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् एन0पी0वी0 (Net Present Value) एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि दिनांक 21.09.2019 को रू0 5398970.00 मात्र कैम्पा में जमा किया गया। (**संलग्नक 12**)

11. प्रभावित भूमि के दोगुने क्षेत्रफल में भूमि वन विभाग के नाम हस्तान्तरित किये जाने के पश्चात् सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 रानीखेत के पत्रांक 3446/18 सी0 दिनांक 27.09.2019 के द्वारा नोडल अधिकारी देहरादून को प्रेषित कर दी गयी थी। (**संलग्नक 13**)

12. इस मार्ग के शीघ्र न बनने के कारण ग्राम ग्वाड़ द्वारा दि0 15.01.18 से लगभग 01 सप्ताह एवं दि0 20.06.19 से लगभग 05 दिन का धरना एवं आमरण अनशन किया गया था। मा0 विधायक जी द्वाराहाट एवं विभाग द्वारा मार्ग की वनभूमि हस्तान्तरण की स्वीकृति मिलने के पश्चात् अतिशीघ्र निर्माण कार्य करने की लिखित सहमति के आधार पर ही अनशन समाप्त कराया गया।

13. मा0 विधायक जी के निर्देशों के अनुपालन में मार्ग निर्माण का कार्य किमी0 1.00 से प्रारम्भ कराया गया, जिसमें आरम्भ का 1.50 किमी0 मार्ग पूर्व में ही विधायक निधि के अन्तर्गत अन्य किसी एजेन्सी द्वारा काटा गया था। उस भाग का चौड़ीकरण व सुधारीकरण का कार्य करवाया गया। उसके उपरान्त किमी0 5.00 तक नाप भूमि जिस पर पेड़ नही थे, में सड़क निर्माण का कार्य किया गया था। आरक्षित वन भूमि किमी0 6.00 के अन्तर्गत आती है। किमी0 6.00 में आरक्षित वन क्षेत्र तक पहाड़ कटान का कार्य करने में लगभग 01 माह का समय लगा। इस दौरान आरक्षित वन क्षेत्र में पेड़ों का कटान मा0 विधायक जी द्वारा दिये गये निर्देशों के कम में ग्रामवासियों द्वारा किया गया हो तो इसकी जानकारी लोक निर्माण विभाग को नहीं है। यह भी महत्वपूर्ण तथ्य है कि दिनांक 23.03.2020 से सम्पूर्ण देश में लॉकडाउन लग गया था, जिस कारण विभागीय अभियन्ता कार्यस्थल तक नहीं जा सके। इस अवधि में मार्ग में पहाड़ कटान का कार्य ठेकेदार द्वारा जारी रखा गया। जब आरक्षित वन क्षेत्र में पहाड़ कटान का कार्य किया गया तो इस क्षेत्र में पेड़ों का पातन पूर्व में हुआ पाया गया। लोक निर्माण विभाग द्वारा किसी भी पेड का पातन नहीं करवाया गया है। पेड़ों के पातन की सम्पूर्ण जिम्मेदारी वन निगम की है, विभाग द्वारा केवल मार्ग निर्माण हेतु पहाड़ कटान का कार्य करवाया जाता है। पेड़ों के छपान/कटान की जिम्मेदारी विभाग की नहीं होती है। वन निगम की सहमति के आधार पर यदि पेड़ों का पातन हुआ है तो इसमें लोक निर्माण विभाग की कोई भूमिका नहीं है।

14. वन भूमि प्रस्ताव गठन हेतु सयुक्त निरीक्षण में वन विभाग द्वारा चन्यारिया–1 द्वाराहाट ब्लॉक रेंज के कक्ष सं0 15 में ही 400 मी0 लम्बाई में 0.360 है0 आरक्षित वन भूमि प्रभावित होना दर्शाया गया था। कक्ष सं0 16 की भूमि का वन भूमि प्रस्ताव में कहीं उल्लेख नहीं किया गया है। चूंकि आरक्षित भूमि के समस्त अभिलेख/नक्शे सिर्फ वन विभाग के पास ही उपलब्ध होते हैं। कार्यस्थल पर वन पंचायत व आरक्षित भूमि का कोई सीमांकन भी नहीं है। अतः वन विभाग द्वारा यदि तत्समय भूलवश कक्ष सं0 16 की 200 मी0 लम्बाई की भूमि वन पंचायत/सिविल भूमि में चिन्हित कर दी गयी हो तो इसमें याचक विभाग लो0नि0वि0 का कोई दोष नहीं है। वर्तमान में वन विभाग द्वारा कुल 3.850 है0 वन भूमि प्रभावित होना दर्शाया गया है, जिस हेतु लो0नि0वि0

द्वारा रू. 53,98,970.00 मात्र का भुगतान NPV व Compensantory Afforestation आदि हेतु कर दिया गया था। वन भूमि चिन्हीकरण में लो0नि0वि0 की कोई भूमिका नहीं है। अगर पेड़ों की संख्या में अन्तर आ रहा था तो यह बात छपान के समय प्रकाश में आ जानी चाहिए थी। यह भी महत्वपूर्ण तथ्य है कि इस मार्ग के किमी0 6 में आरक्षित वन क्षेत्र/वन पंचायत में लगभग 300.00 मी0 लम्बाई में पहाड़ कटान का कार्य अभी तक नहीं हो पाया है और इस भाग में अभी भी पेड़ खड़े हैं, जोकि वन विभाग के संज्ञान में है। इन पेड़ों का भी पातन वन विभाग द्वारा किया जाना शेष है।

15. दिनांक 20.06.2011 को सम्पन्न संयुक्त निरीक्षण में वन विभाग एवं राजस्व विभाग द्वारा उक्त समरेखन में 1432 वृक्षों की गणना की गयी थी, परन्तु वर्ष 2013 में पुनः गणना करने पर वृक्षों की संख्या 486 दर्शायी गयी थी। यहां यह भी अवगत कराना उचित होगा कि सयुक्त निरीक्षण में 0–10 से0मी0 व्यास के पेड़ों की गणना नहीं की गयी थी। जो कि 8 वर्ष पश्चात् 2019 तक 10–20 या अधिक व्यास के हो चुके होंगे। वृक्षों का छपान वन विभाग/वन निगम द्वारा दिनांक 13.02.2020 से 15.02.2020 को किया गया। जिसमें उनके द्वारा मात्र 486 वृक्षों को ही कटान हेतु चिन्हित किया गया, यदि मार्ग के समरेखन में 486 वृक्षों से अधिक थे तो वन विभाग द्वारा लो0नि0वि0 को सूचित क्यों नहीं किया गया?

यह भी महत्वपूर्ण तथ्य है कि पहाड़ कटान का कार्य दिनांक 04.02.2020 के पश्चात् प्रारम्भ हो चुका था परन्तु वन विभाग/वन निगम द्वारा अवैध वृक्ष पातन हेतु आपत्ति माह जुलाई 2020 के उपरान्त की गयी जबकि मार्ग निर्माण का कार्य प्रगति पर था। माह फरवरी से माह जुलाई तक वन विभाग/वन निगम द्वारा अवैध वृक्षों के पातन हेतु कोई आपत्ति/लिखित सूचना विभाग को नहीं दी गयी और न ही कार्य स्थल पर ठेकेदार को इस हेतु निर्देशित किया।

16. मक डिस्पोजल (मलुवा निस्तारण हेतु) विस्तृत आगणन में तीन स्थान चयनित किये गये थे। वर्तमान में मार्ग निर्माण के दौरान आरक्षित वन क्षेत्र मे सिगंल कटिंग (3.00 मी0 चौड़ाई) का कार्य किया गया है। सिगंल कटिंग से निकले मलुवे को मार्ग के किनारे–किनारे ही एकत्रित किया जा रहा था, जिसका निस्पादन सिंगल कटिंग पूर्ण होने के उपरान्त डंपिंग जोन मे किया जाना प्रस्तावित था, परन्तु एकत्रित मलुवे का कुछ भाग पहाड़ की भौगौलिक परिस्थिति के कारण नीचे खाई में गिरना स्वाभाविक है। शेष एकत्रित मलुवे को डंपिंग जोन मे ही डाला जायेगा। वर्तमान मे वर्षा के कारण भी कुछ मलवा प्राकृतिक रूप से खड्ड साइड में गिर गया है। मार्ग का डिजाइन प्लान के अनुसार पूर्ण चौड़ाई में काटते समय उक्त मलुवे को विभाग द्वारा ठेकेदार के माध्यम से डम्पिंग जोन में ही निस्तारित करवाया जाएगा।

17. मार्ग निर्माण के दौरान ग्राम ग्वाड़ के कुछ ग्रामीणों द्वारा समरेखण परिवर्तन हेतु भी विरोध किया जा रहा था। विवाद को सुलझाने हेतु विरोध कर रहे ग्रामीणों से विभाग द्वारा हरसम्भव प्रयास किये गये परन्तु वे अपनी जिद पर ही अड़े रहे और उक्त ग्रामीणों द्वारा अपनी भूमि वाले कई स्थानों पर बांस बाड़ आदि लगाकर आने जाने का मार्ग भी अवरुद्ध कर दिया गया था। तहसील प्रशासन द्वारा काफी प्रयास के बाद उक्त बांस बाड़ को हटाया गया, जिस कारण उक्त भाग में मलुवा निस्तारण का कार्य नहीं हो पाया।

18. मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एन.जी.टी.) द्वारा गठित जांच समिति द्वारा दिनांक 17.10.2020 को कार्यस्थल का निरीक्षण किया गया था। जांच समिति द्वारा 28.10.2020 को प्रेषित जांच रिपोर्ट के बिन्दु 2.7 (**संलग्नक 13**) के अनुसार अवैध एवं नियमित रूप से 399 वृक्ष गिरे पाये गये थे जबकि जांच समिति द्वारा किमी0 06 तक ही भौतिक निरीक्षण किया गया जिसमें लो0नि0वि0 की ओर से सम्बंधित अपर सहायक अभियन्ता श्री कान्ता प्रसाद गंगवार उपस्थित थे। निरीक्षण के दौरान जांच समिति द्वारा विभागीय अधिकारी/कर्मचारियों के समक्ष गिरे हुये पेड़ों की गिनती की ही नहीं गयी थी वरन् वन विभाग द्वारा प्रस्तुत झूठे तथ्यों पर आधारित सूची को ही सत्य मानते हुये जांच रिपोर्ट प्रेषित कर दी गयी थी। सत्यता यह है कि जब वन विभाग द्वारा अवैध रूप से पातित वृक्षों की गणना की गयी उस समय भी लोनिवि० का कोई विभागीय अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित नहीं था। वृक्षों के पातन में यदि कोई अनियमितता हुयी थी तो नियमानुसार लो0नि0वि0 एवं वन विभाग के साभार अधिकारी/कर्मचारियों के द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया जाना चाहिये था। जो कि वन विभाग द्वारा नहीं करवाया गया।

19. जांच समिति द्वारा प्रेषित जांच रिपोर्ट के बिन्दु–4 (**संलग्नक 13**) के अनुसार मोटर मार्ग के निर्माण के दौरान जनित मलुआ, पत्थर आदि को निर्धारित डम्पिंग जोन के बजाय मोटर मार्ग के किनारे ढलान में अनियन्त्रित तरीके से डाला पाया गया था। इससे स्पष्ट है कि उक्त मलवे/पत्थर को मार्ग के किनारे किसी जल स्रोत अथवा गधेरे में डला हुआ नहीं पाया गया था। मार्ग को डिजाइन प्लान के अनुसार पूर्ण चौड़ाई में काटते समय उक्त मलवे को डम्पिंग जोन में ही निस्तारित करवाया जाना प्रस्तावित था एवं पत्थरों का उपयोग मार्ग की दीवारें पुलिया आदि के निर्माण में किया जाना था। साथ ही इस मार्ग के निर्माण से पर्यावरण को भी कोई क्षति नहीं पहुंची है, जिसकी आज भी कार्यस्थल पर पुष्टि की जा सकती है।

लोक निर्माण विभाग द्वारा पेड़ों के पातन हेतु ठेकेदार या अन्य किसी को लिखित/मौखिक रूप से कोई निर्देश नहीं दिये गये थे। पेड़ों के अवैध पातन हेतु लोक निर्माण विभाग के कार्मिकों को दोषी ठहराना न्याय संगत नहीं है। मार्ग निर्माण से सम्बन्धित जो भी कार्य किये गये हैं वे जनहित में किये गये हैं न कि व्यक्तिगत हित हेतु। उत्तराखण्ड राज्य के समस्त पर्वतीय क्षेत्रों में जिस तरह अन्य मार्यो का निर्माण कार्य किया जा रहा है. उसी स्वरूप में इस मार्ग का भी निर्माण कार्य किया जा रहा है पर्वतीय क्षेत्रों में तीव्र ढलान की पहाड़ियों में पहाड़ कटान से निकलने वाले मलुवे को शत प्रतिशत रोक पाना असंभव है। एकत्रित मलुवे का कुछ भाग पहाड़ की भौगौलिक परिस्थिति के कारण नीचे खाई में गिरना स्वाभाविक है। चूंकि मार्ग निमाण का कार्य अभी गतिमान है तथा अनुबन्ध का अन्तिमीकरण भी नहीं किया गया है। मार्ग निर्माण से जनित मलुवे का निस्तारण ठेकेदार के माध्यम से किया गया है। मार्ग निर्माण से जनित मलुवे का निस्तारण ठेकेदार के माध्यम से मार्ग के निर्माण कार्य पूर्ण होने से पहले निर्धारित डम्पिंग जोन में ही निस्तारित करवा दिया जायेगा।

20. उक्त प्रकरण में अन्तर्ग्रस्त पाए गए निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत, अल्मोड़ा के श्री मोहन चन्द्र जोशी, अधिशासी अभियन्ता, श्री हिमांशु भट्ट, सहायक अभियन्ता एवं श्री कान्ता प्रसाद गंगवार, अपर सहायक अभियन्ता के विरूद्ध भारतीय वन अधिनियम, 1927(उत्तरांचल संशोधन) अधिनियम, 2001 की धारा–26(1)(ए) एवं धारा–26(1)(एफ) तथा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 की धारा–2/3 क के तहत मा0 सक्षम न्यायालय में अभियोजन की कार्यवाही किए जाने की स्वीकृति/अनुमति शासन के आदेश सं0–1565/III(1)/2021–04(42)रि0या0/2021 दिनांक 01.09.2021(**संलग्नक–14**) द्वारा निर्गत की जा चुकी है।

HEAD OFFICE
Uttarakhand Pollution Control Board
"Gauradevi Paryavaran Bhawan"
46-B, IT Park, Sahastradhara Road, Dehradun (Uttarakhand)
E-mail: msukpcb@yahoo.com; Web: www.ueppcb.uk.gov.in

Ref: UEPPCB/HO/Gen-183-484/2021/81 Dehradun, September 30, 2021

By Speed Post

To,

Officer-In-Charge,
Public Works Department
Construction Division
Ranikhet, District Almora
(Uttarakhand)

Directions under section-33(A) of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 and section-31(A) of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981.

WHEREAS, the Central Government has made the **Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974** and the **Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 19781**, and vide provisions of these act every water/air polluting industry/unit/ operation/process is required to obtain consent to establish and consent to operate from the **State Pollution Control Board**; and

WHEREAS, for the purposes of protecting and improving the quality of environment and preventing and abating environmental pollution, the standards for discharge of environmental pollutants from the industries, operations or processes, have been specified under the **Environment (Protection) Rules, 1986;** and **it** is mandatory to every industry, operations or processes of keep their effluent quality within the specified norms; and

WHEREAS, a complaint was filed before the **Hon'ble National Green Tribunal (NGT)** by Shri Jagdish Chandra Pandey which was considered as O.A. No. 197/2020 Jagdish Chanda Pandey Versus State of Uttarakhand & Ors. by the **Hon'ble NGT.** While hearing in the matter **Hon'ble NGT** *inter alia* issued following directions on 11.09.2020:

> *2. In view of above, we direct that a joint factual and action taken report be furnished by the Principal Chief Conservator of Forest (HoFF), Uttarakhand and the State Pollution Control Board (SPCB). The PCCF (HoFF), Uttarakhand may nominate a two member team of officers not below the rank of Conservator of Forest. The PCCF (HoFF), Uttarakhand will be the nodal agency for coordination and compliance who may 2 furnish a report within two months by e-mail at judicialngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/ OCR Support PDF and not in the form of Image PDF.*

WHEREAS, the Joint Committee has carried out inspection of the area and made following observation:

1. The User Agency is Public Work Department, Construction Division, Ranikhet, Distt. Almora.
2. User Agency has initiated the road construction work without complying to the conditions under which the In-Principle permission was given for the transfer of forest land by the Competent Authority of the MOEF&CC for the construction of Kotila-Gawad-Suraikhet motar road.
3. The said motor road construction was started even before the Uttarakhand Forest Development Corporation had completed the felling of 486 trees that had been allotted to it as Felling Lot No. 3/38/2020-21 and in the process, 232 unmarked trees were illegally felled/damaged.
4. That instead of disposing off muck in 03 designated Muck Disposal Sites, User Agency has disposed/dumped the muck in compartments 15 & 16 of Chantharia

Contd...... Page-2

HEAD OFFICE
Uttarakhand Pollution Control Board
"Gauradevi Paryavaran Bhawan"
46-B, IT Park, Sahastradhara Road, Dehradun (Uttarakhand)
E-mail: msukpcb@yahoo.com; Web: www.ueppcb.uk.gov.in

Reserved Forest Block. The Committee also observed that despite of the fact that monitory provisions of Rs. 15,16,854/-, muck has not been disposed/dumped at designated sites.

WHEREAS, report of the Joint Committee was considered by the Hon'ble NGT on dated 05.08.201 and issued following directions:

5. Accordingly, we direct the Secretary of PWD, Uttarakhand to review the actions taken and take further suitable coercive measures against the law violators, following due process of law. The State PCB and Forest Department also need to review the inadequacy of action on their part in exercise of their respective statutory authority. Coercive measures may include recovery of compensation on 'Polluter Pays' principle and restoration of the concerned forest area. The said departments may file their action taken reports within one month with the Chief Secretary, Uttarakhand. The Chief Secretary may file a consolidated action taken report in the matter within three months by e-mail at judicialngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/ OCR Support PDF and not in the form of Image PDF.

WHEREAS, in compliance of order of the **Hon'ble NGT** dated 05.08.2021, Regional Officer, Uttarakhand Pollution Control Board, Haldwani (Nainital) submitted its report and recommended to imposed as environmental compensation against the User Agency (Executing Agency).

As such it is evident from the joint inspection report that the User Agency have illegally disposed the muck generated from the said motor road cutting at reserved forest blocks. Therefore, considering the nature of deliberated violation, the matter has been considered for imposing an environmental compensation as per criteria and procedure decided by the State Board in its 23rd Board meeting held on dated 29.11.2019, in compliance of Hon'ble NGT order in the matter of O.A. No. 593/2017.

AND NOW THEREFORE, in view of above observation, and in exercise of the power conferred under **Section-33(A)** of the **Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974**, and **Section-31(A)** of the **Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981,** as amended thereafter, notice is hereby served to the **Officer-In-Charge, Public Works Department, Construction Division, Ranikhet, Distt. Almora (Uttarakhand)** to **Show Cause** within **30 days** of issue of this notice, why not an Environmental Compensation of **Rs. 18,75,000.00** (Rs. Eighteen Laks and Seventy-Five Thousand Only) be imposed against the User Agency i.e. **Public Works Department, Construction Division, Ranikhet, Distt. Almora (Uttarakhand)**.

This issues with approval of Competent Authority of the Board.

O/C **Member Secretary**

Copy to:

1. **Chairman,** UKPCB, Dehradun for kind information please.
2. **Engineer-In-Chief, Public Works Department,** Yamuna Colony, Dehradun for kind information please.
3. **Regional Officer (I/c),** UKPCB, Regional Office, Haldwani, Distt. Nainital (Uttarakhand) for compliance of same.
4. Guard File.

O/C **Member Secretary**

HEAD OFFICE
Uttarakhand Pollution Control Board
"Gauradevi Paryavaran Bhawan"
46-B, IT Park, Sahastradhara Road, Dehradun (Uttarakhand)
E-mail: msukpcb@yahoo.com; Web: www.ueppcb.uk.gov.in

Ref: UEPPCB/HO/Gen-183-484/2021/120 Dehradun, December 10, 2021

By Speed Post

To,

Officer-In-Charge,
Public Works Department
Construction Division
Ranikhet, District Almora
(Uttarakhand)

Directions under section-33(A) of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 and section-31(A) of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981.

WHEREAS, the Central Government has made the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 and the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 19781, and vide provisions of these act every water/air polluting industry/unit/ operation/process is required to obtain consent to establish and consent to operate from the State Pollution Control Board; and

WHEREAS, for the purposes of protecting and improving the quality of environment and preventing and abating environmental pollution, the standards for discharge of environmental pollutants from the industries, operations or processes, have been specified under the Environment (Protection) Rules, 1986; and it is mandatory to every industry, operations or processes of keep their effluent quality within the specified norms; and

WHEREAS, a complaint was filed before the Hon'ble National Green Tribunal (NGT) by Shri Jagdish Chandra Pandey which was considered as O.A. No. 197/2020 Jagdish Chanda Pandey Versus State of Uttarakhand & Ors. by the Hon'ble NGT. While hearing in the matter Hon'ble NGT *inter alia* issued following directions on 11.09.2020:

> *2. In view of above, we direct that a joint factual and action taken report be furnished by the Principal Chief Conservator of Forest (HoFF), Uttarakhand and the State Pollution Control Board (SPCB). The PCCF (HoFF), Uttarakhand may nominate a two member team of officers not below the rank of Conservator of Forest. The PCCF (HoFF), Uttarakhand will be the nodal agency for coordination and compliance who may furnish a report within two months by e-mail at judicialngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/ OCR Support PDF and not in the form of Image PDF.*

WHEREAS, the Joint Committee has carried out inspection of the area and made following observation:

1. The User Agency is Public Work Department, Construction Division, Ranikhet, Distt. Almora.
2. User Agency has initiated the road construction work without complying to the conditions under which the In-Principle permission was given for the transfer of forest land by the Competent Authority of the MOEF&CC for the construction of Kotila-Gawad-Suraikhet motar road.
3. The said motor road construction was started even before the Uttarakhand Forest Development Corporation had completed the felling of 486 trees that had been allotted to it as Felling Lot No. 3/38/2020-21 and in the process, 232 unmarked trees were illegally felled/damaged.

HEAD OFFICE
Uttarakhand Pollution Control Board
"Gauradevi Paryavaran Bhawan"
46-B, IT Park, Sahastradhara Road, Dehradun (Uttarakhand)
E-mail: msukpcb@yahoo.com; Web: www.ueppcb.uk.gov.in

4. That instead of disposing off muck in 03 designated Muck Disposal Sites, User Agency has disposed/dumped the muck in compartments 15 & 16 of Chantharia Reserved Forest Block. The Committee also observed that despite of the fact that monitory provisions of Rs. 15,16,854/-, muck has not been disposed/dumped at designated sites.

WHEREAS, report of the Joint Committee was considered by the Hon'ble NGT dated 05.08.201 and *inter alia* issued following directions:

> *5. Accordingly, we direct the Secretary of PWD, Uttarakhand to review the actions taken and take further suitable coercive measures against the law violators, following due process of law. The State PCB and Forest Department also need to review the inadequacy of action on their part in exercise of their respective statutory authority. Coercive measures may include recovery of compensation on 'Polluter Pays' principle and restoration of the concerned forest area. The said departments may file their action taken reports within one month with the Chief Secretary, Uttarakhand. The Chief Secretary may file a consolidated action taken report in the matter within three months by e-mail at judicialngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/ OCR Support PDF and not in the form of Image PDF.*

WHEREAS, in compliance of order of the Hon'ble NGT dated 05.08.2021, Regional Officer, Uttarakhand Pollution Control Board, Haldwani (Nainital) submitted its report and recommended to imposed as environmental compensation against the User Agency (Executing Agency).

WHEREAS, in compliance of order of the Hon'ble NGT, notice was served under section-33(A) of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 and section-31(A) of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 to the Officer-In-Charge, Public Works Department, Construction Division, Ranikhet, Distt. Almora so as to why not an Environmental Compensation of Rs. 18,75,000.00 (Rs. Eighteen Laks and Seventy-Five Thousand Only) be imposed against the User Agency i.e. Public Works Department, Construction Division, Ranikhet, Distt. Almora (Uttarakhand) vide this office letter ref. no. UEPPCB/HO/Gen-183-484/2021/81 dated 30.09.2021; and

WHERAS, the Executive Engineer, Construction Division, Public Works Department, Ranikhet, Distt. Almora submitted its reply along with enclosures to this office through letter ref. nol. 2702/Anubandh/dated 14.10.2021. Reply submitted by the Executive Engineer found incomplete, therefore, letter was issued to the Executive Engineer, Construction Division, Public Works Department, Ranikhet, Distt. Almora vide this office letter dated 29.11.2021. The Executive Engineer communicated its reply along with replies of than Executive Engineer, Assistant Engineer and Upper Assistant Engineer vide letter dated 02.12.2021. It is evident from the replies of than Assistant Engineer and Upper Assistant Engineer, single road cutting (3-meter width) was done in reserved forest area and muck generated was dumped along the road side which eventually proposed to disposed at designated dump sites. Some part of stored muck along the road side may would have come down due to specific hilly terrains and rains. Replies of the Executive Engineer dated 14.10.2021 and 02.09.2021 was duly considered by the Board and observed that muck generated from the said road cutting has not been disposed at designated/identified places.

As such it is evident from the joint inspection report and reply of Executive Engineer dated 14.10.2021 & 02.09.2021, that the User Agency could not stopped illegal disposal of the muck generated from the said motor road cutting at other than designated places.

AND NOW THEREFORE, in view of above observation, and in exercise of the power conferred under Section-33(A) of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, and Section-31(A) of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981, as amended thereafter, the directions issued by this Office vide letter ref. no. UEPPCB/HO/Gen-183-484/2021/81 of dated 30.09.2021 is hereby confirmed and Officer-In-Charge, Public Works Department, Construction Division, Ranikhet, Distt. Almora (Uttarakhand) is hereby directed to submit an environmental compensation of Rs. 18,75,000.00 (Rs. Eighteen Laks and Seventy-Five Thousand Only) to this office through Demand Draft within 30 days of issuing of directions. In case of non-compliance, further action will be initiated in accordance of provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, and the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981, as amended thereafter.

This issues with approval of Competent Authority of the Board.

10.12.21

Member Secretary

Copy to:

1. **Chairman,** UKPCB, Dehradun for kind information please.
2. **Engineer-In-Chief, Public Works Department,** Yamuna Colony, Dehradun for kind information please.
3. **Regional Officer (I/c),** UKPCB, Regional Office, Haldwani, Distt. Nainital (Uttarakhand) for compliance of same.
4. Account Section, Head office, UKPCB, Dehradun.
5. Guard File.

Member Secretary

Uttarakhand Pollution Control Board
Diary No. 5637
Date: 28/12/21

पंजीकृत/ई-मेल

UTTARAKHAND

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत।

Ph. No. – 05966-297600
Fax No. – 05966-297600

Email ID- cdpwdrkt@gmail.com
Email Id- ecdrnkt.pwduk@gov.in

पत्रांक 3158 /अनुबन्ध दिनांक 21/12/2021

सेवा में,

सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड पर्यावरण नियंत्रण बोर्ड,
गोरादेवी प्रर्यावरण भवन,
46-बी० आई०टी० पार्क, सहस्त्रधारा रोड़,
देहरादून।

विषय :- **Direction under section-33(A) of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 and section-31(A) of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981.**

संदर्भ :- आपका पत्रांक सं.UEPPCB/HO/Gen-183-484/2021/120 दिनांक 10.12.2021

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में बिन्दुवार सादर अवगत कराना है कि :-

बिन्दु सं.-3- लोक निर्माण विभाग द्वारा एन०पी०वी० एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु धनराशि रू. 5398970.00 दिनांक 21.09.2019 को वन विभाग को जमा की जा चुकी है। अवैध रूप से वृक्षों के पातन के प्रकरण पर तत्कालीन अभियन्ताओं द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण **(संलग्न है)।**

बिन्दु सं.-4- कार्यस्थल पर वन भूमि क्षेत्र लगभग 500 मीटर लम्बाई में आंशिक पहाड़ कटान हुआ है तथा लगभग 350 मीटर लम्बाई में पहाड़ कटान का कार्य नहीं किया गया है। उक्त वन भूमि क्षेत्र से उत्सर्जित होने वाले मलुवे तथा मार्ग में पड़े मलुवे का निस्तारण भी रू. 1516854.00 की धनराशि स्वीकृत आगणन में प्राविधानित है। इस धनराशि का भुगतान उत्तराखण्ड पर्यावरण नियंत्रण बोर्ड को कर दिये जाने से उक्त धनराशि आगणन में नही रह पायेगी तथा उक्त वर्णित मलुवे का निस्तारण किये जाने में कठिनाई उत्तपन्न होगी। मलुवा निस्तारण हेतु निर्धारित स्थानों में मलुवा निस्तारित नहीं किये जाने से सम्बन्धित स्पष्टीकरण तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, सहायक अभियन्ता एवं अपर सहायक अभियन्ता का स्पष्टीकरण संलग्न किया जा रहा है **(संलग्नक बिन्दु सं० 3 पर)।**

महोदय उक्त प्रकरण में क्षतिपूरक धनराशि रू. 1875000.00 जमा किये जाने से सम्बन्धित दिशा-निर्देश विभागीय उच्च स्तर से मांगे गये है, तद्नुसार आवश्यक अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

संलग्न: उपरोक्तानुसार

CEO (T)	CEO (F)	EE-Envis/ Water Cess/NAMP
CEO (Admn)	SO	FSD
Nodal-BMW	Nodal-SW/PW	Nodal-HW
Nodal-Legal	Nodal-Account	AO (I/C)

भवदीय,

21/12/21
(एल०डी० मथेला)
अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड,लो०नि०विभाग,
रानीखेत।
21/12/21

पत्रांक /अनुबन्ध तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, "विधि प्रकोष्ठ वर्ग" लोक निर्माण विभाग देहरादून को उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि मुख्य अभियन्ता, लो०नि०वि० अल्मोड़ा को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम वृत्त, लो०नि०वि० अल्मोड़ा को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड,लो०नि०विभाग,
रानीखेत।

ASO (R)

Umesh/D;/Daan singh Sir/NGT Letter